मार्च 2004

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

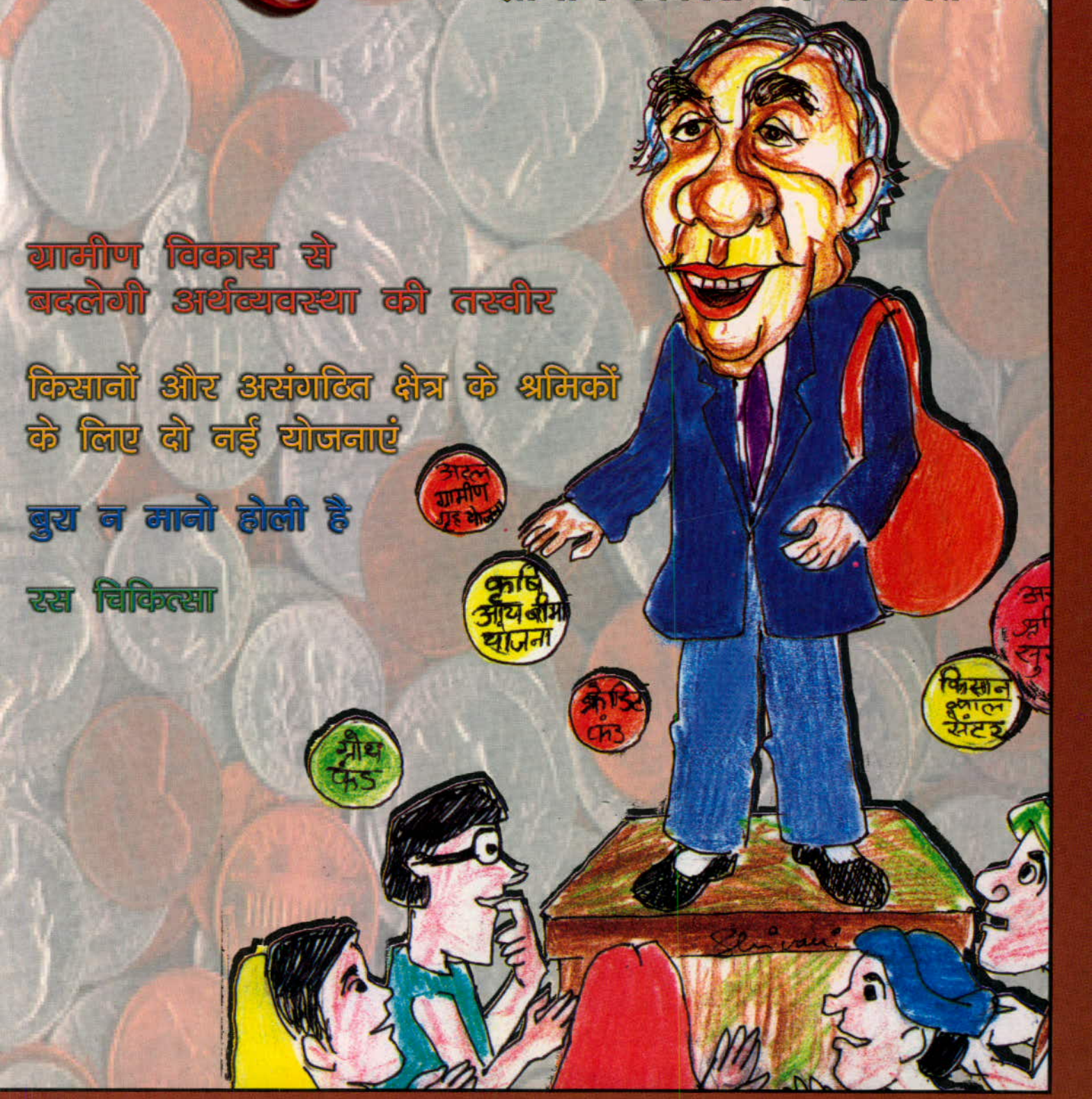

ग्रामीण विकास से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर

किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो नई योजनाएं

बुरा न मानो होली है

रस चिकित्सा

राष्ट्रीय किसान आयोग गठित

सरकार ने योजना आयोग के सदस्य श्री सोमपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया है। श्री सोमपाल 1998–99 के दौरान केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) रहे। इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री सोमपाल का दर्जा केंद्रीय मंत्री का होगा।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि किसानों की दशा और समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग भारतीय कृषि की स्थिति की समीक्षा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का मूल्यांकन करेगा। आयोग असंतुलन और विषमताओं के कारणों का पता लगाएगा और कृषि के स्थाई तथा समान विकास के लिए सुझाव देगा।

आयोग कृषि के त्वरित विकास और विविधिकरण के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों के बारे में सिफारिशें देगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर होगी और कृषि व्यवसाय को आय के एक आकर्षक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकेगा। यह कृषि प्रौद्योगिकी और निवेश प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगा और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी जैसे उपकरणों के जरिए मौसम के पूर्वानुमान जैसी नई टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए कृषकों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के बारे में सुझाव देगा।

आयोग कृषकों की आय में वृद्धि और कल्याण के लिए मौजूदा कीमतों और विपणन नीति तथा विधायी ढांचे जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। आयोग बदलती राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार माहौल तथा इनका जीवनयापन के स्थायित्व और छोटी–छोटी कृषि जोतों की व्यवहार्यता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करेगा।

आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार सरकार द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, जो कृषक समुदाय की समस्याओं और दिक्कतों पर विचार करेगा।

गैर–हिंदी भाषी छात्रों को 2500 छात्रवृत्तियां

गैर–हिंदीभाषी छात्रों को विभिन्न हिंदी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए 300 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह तक छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की गई है। गैर–हिंदीभाषी राज्यों के छात्रों के लिए दसवीं के बाद हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 2004–05 में 1.5 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत 2500 गैर–हिंदीभाषी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

इस स्कीम से गैर–हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही इन राज्यों में हिंदी जानने वाले अध्यापकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं–

कक्षा 11 तथा 12– 300 रुपये प्रतिमाह; बी.ए (पास तथा आनर्स)– 500 रुपये प्रतिमाह;

एम.ए/एम.लिट. तथा इनके समकक्ष पाठ्यक्रमों और हिंदी अध्यापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/पीएचडी– 1000 रुपये प्रतिमाह।

यह छात्रवृत्तियां केवल उन छात्रों को दी जाएंगी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जो गैर–हिंदी भाषी राज्यों में पढ़ रहे हैं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 50 ● अंक : 5

फाल्गुन–चैत्र 1925

मार्च 2004

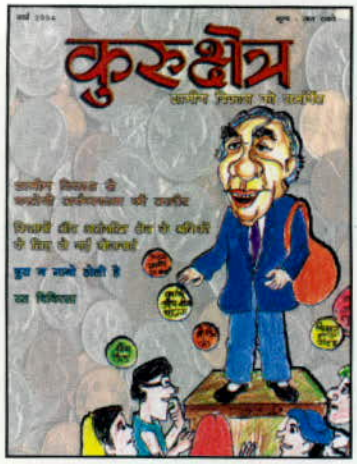

प्रधान संपादक
महादेव पकड़ासी
सहायक संपादक
ललिता खुराना
उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655 / 661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी
व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद
आवरण
राहुल शर्मा
सज्जा
अजय भंडारी
आवरण रेखाचित्र : शिवानी

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

लेख

ग्रामीण और कृषि विकास से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर	अनिल बंसल	7
सुविधाओं की बौछार, कार्यों की भरमार	वेद प्रकाश अरोड़ा	11
किसानों और असंगठित श्रमिकों के लिए दो नई योजनाएं	डा. नीना गुप्ता	14
बुरा न मानो होली है – ग्रामीण भारत का अपना त्योहार	संजय	18
गांव की होली	रामाज्ञा राय शशिधर	21
महिला कल्याण हेतु राज्यों द्वारा किए गए गए प्रयास	अभिनय कुमार शर्मा	24
सूचना के प्रसार में ग्रंथालयों की भूमिका	डा. अरविन्द कुमार शर्मा	26
भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की एक सार्थक पहल – सूचना का जन–अधिकार	भारत डोगरा	29
ग्रामीण महिलाएं भी कमा सकती हैं	सुनीता प्रसाद	31
युवाओं के लिए विकास योजनाएं	चन्द्रेश कुमार	38

साहित्य

सॉलिटेरियन (कहानी)	अभिषेक पाटनी	34
गीत–दोहे	निम्मी श्रीवास्तव, डा. राजीव गुप्ता अवध किशोर सक्सेना, नितेश	37

सफलता की कहानी

अंधेरे को जीतने का हुनर है हममें	प्रशांत कानस्कर	40
महिला स्वयंसहायता समूहों की कारगर भूमिका	सुबोध अग्रवाल	42

स्वास्थ्य

विटामिन की अधिकता हो सकती है घातक	डा. दिनेश मणि	44
स्वास्थ्य सुधार की कारगर पद्धति : रस चिकित्सा	जितेंद्र सिंह एवं सुभाष अरोड़ा	46

पुस्तक चर्चा

क्लोनिंग से जुड़े सवालों का समाधान	सीमा ओझा	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

खाद्य सुरक्षा एक विकट चुनौती

सचमुच, देश की बढ़ती जनसंख्या के साथ सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अपने आप में एक विकट चुनौती है। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ खाद्य संभरण और वितरण प्रणाली को रोजगार और गरीबी से जोड़ना जरूरी होगा। खाद्य सुरक्षा पर श्री योगेश बंधु आर्य का लेख सराहनीय है।

रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से हमारे अंदर जहरीले तत्व पहुंच कर हमारे स्वास्थ्य पर कहर बरपा रहे हैं। तभी आज जरूरत है जैविक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जाने की। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर दोनों लेख अच्छे हैं।

अनेक औषधीय गुणों से युक्त अश्वगंधा की खेती किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। अश्वगंधा पर श्री रत्नेश कुमार राव का लेख अत्यंत उपयोगी है। कविताएं सुंदर हैं। मनु स्वामी के कविता संग्रह पर चर्चा भी अच्छी बन पड़ी है।

डा. प्रदीप कुमार मुखर्जी
43, देशबंधु सोसाइटी
15, पटपड़गंज, दिल्ली–110092

ग्रामीण बेरोजगारी के कई कारण

जनवरी 2004 का अंक ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी पर आधारित था। स्वतंत्रता के 56 वर्षों बाद भी हजारों गांव बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी चरम पर है। बिहार जैसे राज्य में तो 39 प्रतिशत कृषि से जुड़ी आबादी इसकी शिकार है। ऐसे अतिरिक्त श्रम को सेवा क्षेत्र में हस्तांतरित कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

ग्रामीण बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि का सबसे उत्तरदायी कारण जनसंख्या वृद्धि, भूमि का दोषपूर्ण विभाजन, कृषि की मौसमी प्रकृति एवं सहायक उद्योगों का सर्वथा अभाव है। ग्रामीण बेरोजगारी के कारण ही असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। भूमंडलीकरण ने ग्रामीण कुटीर उद्योगों के सामने कई नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। वहीं स्थानीय अपराधी तत्व के लोग उद्योगमालिकों से अवैध कर की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई उद्योग बंद हो रहे हैं। देश के अधिकांश राज्यों में कृषि बाजारों के समुचित संगठन का अभाव है जिसके कारण कृषक महाजनों और दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। सहकारी विक्रय समितियों की संख्या बढ़ाकर और उनके प्रति ग्रामीणों में विश्वास उत्पन्न करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अजिताभ
पटना कालेज
पटना विश्वविद्यालय, पटना

बेरोजगारी एक चुनौती

कुरुक्षेत्र का जनवरी 2004 अंक उपलब्धियों के हाशिए पर रोजगार योजनाएं काफी प्रभावपूर्ण लगा। रोजगार पर विशेष जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि देश की तरक्की में बढ़ती बेरोजगारी एक विकट समस्या है जिस पर काबू पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में देश में 30 करोड़ से ज्यादा युवक बेरोजगार हैं। वर्ष 2025 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.3 अरब हो जाएगी यानी देश में 50 करोड़ के लगभग युवकों के सामने बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। अतः सरकार के सामने आने वाले वर्षों में बेरोजगारी की समस्या निरंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती रहने वाली है!

श्रवण कुमार
राममूर्तिभवन, अशोक नगर
रोड नं.–3, कंकड़बाग, पटना–20

दम तोड़ती ग्रामीण योजनाएं

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जिसे भारत की आत्मा कहते हैं। परंतु देखें तो आज सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति उसी आत्मा की है। फिर भी आज भारत सरकार विज़न 2020 का सपना देख रही है, भारत उदय का प्रचार कर रही है। कागजों पर अनेक योजनाएं दिखाई जा रही हैं। करोड़ों रुपये पास हो रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं परंतु नतीजा शून्य!

आखिर इन योजनाओं के वास्तविकता में क्रियान्वित न होने के कारण क्या हैं? क्या सरकार की लापरवाही या अफसरों की रिश्वतखोरी अथवा ग्रामीण भाइयों की अशिक्षा? कारण कुछ भी हों ऐसे समय में गांधीजी की ग्रामीण स्वराज योजना में कही बात ही याद आती है कि यदि "गांवों का नाश हो गया तो भारत स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।" यदि भारत को समृद्ध बनाना है, उसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है तो हमें अपने गांवों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी, गांवों से पलायन रोकना होगा। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली पत्रिका *कुरुक्षेत्र* को अपना प्रेरणास्रोत व मार्गदर्शक मानते हुए इसके निःस्वार्थ भावों को आत्मसात करना होगा।

पुनीत दूबे
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
डा.रा.म.लो. अवध वि.वि., फैजाबाद

बेरोजगार सरकारी योजनाओं से अनजान

ग्रामीण विकास को समर्पित *कुरुक्षेत्र* पत्रिका का जनवरी 2004 का अंक मैंने प्रथम बार पढ़ा, काफी रोचक लगा। रोजगार पर केंद्रित अनेक योजनाओं का विवरण पत्रिका में दिया गया है। आज भी गांव में रहने वाले 95 प्रतिशत बेरोजगार युवा सरकारी योजनाओं से अंजान हैं।

नील वाचस्पति द्वारा रेखांकित "देश में रोजगार परिदृश्य और भावी रणनीति" का आकलन काफी ज्ञानवर्धक लगा। वहीं डा. राधाकृष्ण विश्नोई द्वारा "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवश्यकता व प्रगति" लेख को पढ़कर काफी जानकारी प्राप्त हुई। मैं *कुरुक्षेत्र* की आज से नियमित पाठिका बन गई हूं।

कंचन कुमारी,
ग्रा.+पो. अमरपुर, थाना मेदनी चौकी
जिला लक्खीसराय, बिहार

सांस्कृतिक और चारित्रिक प्रदूषण

यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं हो रहा है कि *कुरुक्षेत्र* के लगातार प्रकाशन के बावजूद भी मैं इसका नियमित पाठक/ग्राहक नहीं बन पाया था; हालांकि अब मेरे पास *कुरुक्षेत्र* के अगस्त 2003 से लेकर आज तक के सभी अंक मौजूद हैं। जनवरी 2004 अंक, नववर्ष में नई आशाओं के साथ ढेर सारी उपलब्धियों के हाशिए में रोजगार योजनाएं और देश में रोजगार परिदृश्य और भावी रणनीति को ध्यान में रखकर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की आवश्यकता व प्रगति पर बल दिया गया है। साथ ही यह जानकर भी खुशी हुई कि बुनकरों के लिए नई बीमा योजना और बागवानी उद्योग को बढ़ावा देकर रेशम प्रौद्योगिकी मिशन को जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

कृतनारायण 'प्यारा' द्वारा रचित कहानी 'सुराज' एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में ग्राम–अंचल की भाषा का प्रयोग सफलता के साथ किया गया है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश को आत्मसात करके घर–परिवार की समस्याओं से हू–ब–हू टकराते हुए दृष्टिगत होती है। चंद्रमोहन मिश्र ने अपनी कविता 'प्लास्टिक पौधे की तरह' में सांस्कृतिक और चारित्रिक प्रदूषण से ग्रस्त निर्जीव, संवेदनशून्य लोगों की ओर संकेत किया है। वास्तव में सारे प्रदूषणों की जड़ में ये लोग ही हैं। दूसरी कविता 'आधुनिक मनुष्य' में आधुनिकता का बोध सन्निहित है जिसके कारण ही व्यक्ति जुड़ने की कोशिश में टूटता, बिखरता और ऊर्जाहीन बनकर आस्था के संकट से घिरता चला जा रहा है।

अंत में, संपादक जी से मेरा आग्रह होगा कि वे इस पत्रिका में एक–दो ग्राम–अंचल से संबंधित साहित्यिक लेखों को भी स्थान देने की कृपा करेंगे।

डा. अमल सिंह 'भिक्षुक'
भारती गंज, सासाराम
रोहतास (बिहार)

अत्युत्तम प्रयास

अन्य अंकों की तरह जनवरी 2004 अंक भी महात्मा गांधी के सपनों के गांव की दिशा में बढ़ता हुआ दृढ़ कदम–सा है। आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना और स्वरोजगार के बीच अन्योनाश्रय संबंध है। इस दिशा में कुरुक्षेत्र अत्युत्तम प्रयास है।

चंद्र मोहन मिश्र
सी–28, तीसरी मंजिल
नेहरू विहार (तिमारपुर के निकट) दिल्ली–54

स्वरोजगार ही समस्या का समाधान

जनवरी 2004 का अंक पढ़ा। सही अर्थों में आने वाला समय स्वरोजगार की कुंजी साबित होगा। सरकारी एवं निजी संस्थाओं के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वरोजगार ही समस्या का समाधान होगा। कई तरह की बीमा योजनाएं, बागवानी उद्योग, सुतली, रेशम इत्यादि अनेक तरह की योजनाएं फलीभूत हो रही हैं। स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार की बात ही निराली है। यह ग्रामीण परिवेश के लिए अमृततुल्य फल साबित हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि "जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकती उसी तरह स्वरोजगार के बिना ग्रामीण समाज अधूरा प्रतीत होगा।"

संपादकीय तो कल्पना से परे है। यह हम पाठकों के लिए एक रसास्वादन है। अंत में कहानी सुराज पढ़ी। इससे यही प्रतीत हुआ कि अभी भी हमारे समाज में औरत दबी, कुचली एवं बंधक की तरह जी रही है।

मिथिलेश कुमार सिंह (मंटु)
जोरार, पो.–बडौड़ा
जिला–कैमुर (भभुआ)

योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो

कुरुक्षेत्र का दिसंबर 2003 अंक पढ़ा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर प्रकाश डालता डा. उमेशचंद्र अग्रवाल का लेख 'ग्रामीणों और गरीबी हेतु नई योजनाएं एक समीक्षा' काफी जानकारीपूर्ण तथा संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने विकास के कई क्षेत्रों में उत्साहवर्धक प्रगति की फिर भी इस विकास के फल ग्रामीण, वंचित और पिछड़े वर्गों को नहीं मिले। इसलिए इन योजनाओं के अच्छे फल मिलने हेतु भ्रष्टाचार कम करने की आवश्यकता है। रोजगार योजनाओं को समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो सचमुच में हमारा देश दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त हो सकता है।

'विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय कृषि' इस लेख ने विश्व व्यापार संगठन की विपरीत नीतियों से भारतीय कृषि पर पड़ते बुरे असर से अवगत कराया। इससे निपटने के लिए लेखक ने कई मौलिक सूचनाएं दी हैं।

सय्यद रफीक रज्जाकमियां
मु.पो. अंबासारवर, ता. अंबाजोगाई जि. बीड.

प्रश्नों के उत्तर मिल सके

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का दिसंबर अंक पढ़ा जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिला। काफी दिनों से मैं इस पत्रिका में एक ऐसे स्तंभ का आकांक्षी हूं जहां ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर पाठकों की बौद्धिक जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त किया जा सके। अगर संपादक महोदय द्वारा इस संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल की जाती है तो निश्चित ही हम जैसे पाठकों की नजर में यह एक सराहनीय कदम होगा। साहित्य पर भी अपेक्षाकृत अधिक सामग्री हो तो अच्छा होगा। आशा है संपादक महोदय द्वारा इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा। 'सफलता की कहानी' के तहत प्रकाशित होने वाली कहानी अत्यंत ही प्रभावपूर्ण है। पत्रिका अपनी इस

गौरवपूर्ण उपलब्धियों को आगे भी बरकरार रख पाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

अमरेंद्र कुमार
पोद्धार लॉज, पटेल नगर,
पत्रा.– टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर (बिहार)

गांवों का प्रतिनिधित्व

ग्रामीण जीवन पर आधारित प्रदेश से अन्य कई पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं किंतु *कुरुक्षेत्र* पत्रिका को पढ़कर मुझे काफी प्रसन्नता मिली। इतनी अच्छी सामग्री के प्रकाशन के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

संपादकीय में आपने जो मुद्दे दर्शाए हैं, वह काबिलेतारीफ हैं। आपने सच ही लिखा है कि नए वर्ष में नया मुद्दा क्या है! मुद्दे तो वही हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं। आज हमारे देश की मुख्य समस्या बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, बीमारी, जनसंख्या विस्फोट है। बावजूद इसके कोई सरकार इस ओर ठोस कदम नही उठा पा रही है। समसामयिक लेख 'उपलब्धियों के हाशिए में रोजगार योजनाएं', 'देश में रोजगार परिदृश्य और भावी रणनीति', 'नई पीढ़ी गांवों की तस्वीर बदल देगी' काफी सटीक एवं सारगर्भित लगे जबकि कृतनारायण प्यारा की कहानी 'सुराज' मन को कुछ सोचने पर बाध्य कर गई। साथ ही साथ स्वास्थ्य चर्चा में स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 'हड्डियों की समस्याओं से जुड़े सवाल–जवाब' प्रकाशित कर सचमुच ही आपने गांव का प्रतिनिधित्व किया है। कुल मिलाकर पत्रिका ने 'गागर में सागर' भरने का एक स्तुत्य कार्य किया है। आशा है *कुरुक्षेत्र* इसी तरह गांवों के देश का सही आकलन कर जन सामान्य के बीच सही तस्वीर रखेगा। यह दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ईश्वर से यही कामनाएं हैं।

संजय कुमार सुमन
मंजू सदन, चौसा, मधेपुरा–852213 (बिहार)

संपूर्ण पत्रिका

कुरुक्षेत्र में लेख, साहित्य, स्वास्थ्य, पुस्तक समीक्षा स्तंभ सम्मिलित होने से यह संपूर्ण पत्रिका बन गई है। इसके लिए संपादकमंडल बधाई का पात्र है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं में से एक–दो योजनाओं के बारे में उसकी उपलब्धियों के साथ *कुरुक्षेत्र* के प्रत्येक अंक में जानकारी दी जाए तो बेहतर होगा। एक पृष्ठ में यह जानकारी दी जा सकती है।

काशीगोपाल श्रीवास्तव
824, से. सी, शाहपुरा, भोपाल

अद्वितीय

यह पत्रिका मुझे बेहद पसंद है। *कुरुक्षेत्र* नई योजनाओं, नए संकलनों एवं ग्रामीण परिवेश को सारगर्भित लेखों के माध्यम से अवगत कराती है, साथ ही ग्रामीण लोगों को लेखों में आमंत्रित करके उनके विचारों को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करती है।

लेख, कविता, लघुकथा, सफलता की कहानी या स्वास्थ्य हो, हर मामले में *कुरुक्षेत्र* अद्वितीय है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा आशा करता हूं कि पत्रिका हमें हमेशा महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करती रहेगी।

अनूप मिश्र 'बैरागी'
स्नातक प्रथम वर्ष
ईश्वरशरण महाविद्यालय, प्रयाग, इलाहाबाद

अच्छी पत्रिका

मुझे अपने फ्रैंड पर इतना भरोसा नहीं था लेकिन उसके हाथ में इतनी अच्छी पत्रिका हो सकती है, मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। संपादकीय पढ़ने के बाद मुझे अपने फ्रैंड पर काफी भरोसा हो गया है कि वह पढ़ने वाला छात्र है क्योंकि पढ़ने वाले ही *कुरुक्षेत्र* जैसी पत्रिका को अपना सकते हैं। मैं प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी अन्य पत्रिकाएं पढ़ती हूं लेकिन ग्रामीण विकास को समर्पित और ज्ञानवर्धक पत्रिका अगर कोई है तो सिर्फ *कुरुक्षेत्र* पत्रिका है।

बेरोजगारी एक विकट समस्या बनती जा रही है, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों की। गांवों से युवक शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों से महानगरों की ओर तथा महानगरों से समुद्रपार विदेशों की ओर। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं महिलाओं की स्थिति पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो आज भी वे अपने को जहां एक ओर आसमान में कल्पना चावला जैसी पाती हैं तो दूसरी तरफ बेसहारा। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महिलाएं तेजी से विकास कर रही हैं वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं होता।

भले ही प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में कुछ समय पहले देश की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए आठ सूत्री कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के नए अवसरों के सृजन की बात कही थी परंतु हर साल रोजगार के एक करोड़ अवसर कहीं दिखाई देते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति से अवगत होते है तो हमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता की कुछ पंक्तियां आती हैं:–

"समय साक्षी है कि जलते हुए दीप
अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए।
मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे
उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा।"

नेहा मधु
क्वार्टर नं. 49, लालबाग, तिलकामांझी
भागलपुर, बिहार–812001

नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आवश्यक

हम सभी छात्र *कुरुक्षेत्र* पत्रिका के नियमित पाठक हैं। आपकी इस पत्रिका से हम अगस्त 2002 से जुड़े हैं। आपकी पत्रिका में अनेक विषयों पर बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं सच्चाई के निकट लेख प्रकाशित होते हैं जो ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत लाभपरि हैं; चूंकि ग्रामीण भारत के विकास हेतु अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग की भी आवश्यकता है जिससे हम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना सकें तथा शहरी भारत एवं ग्रामीण भारत के मध्य की दूरी को कम कर सकें। महोदया, आपके द्वारा प्रकाशित संपादकीय पूरी पत्रिका के संदर्भ में सार प्रस्तुत करता है जो एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक है।

निवेदन है कि आप अपने आगामी अंकों में ग्रामीण विकास के कार्लमार्क्स, नेहरू, विनोबा भावे के मॉडल जरूर प्रकाशित करें। यह विकास मॉडल किस तरह गांवों के विकास की दशा प्रस्तुत करते हैं, इस पर लेख अवश्य निकालें तथा ग्रामीण विकास तकनीकी क्या है, इसका क्या क्षेत्र है? भारत में इसकी क्या स्थिति है एवं ग्रामीण विकास की आधुनिक तकनीकी की उपयोगिताओं, सीमाओं पर अपना आगामी अंक अवश्य प्रस्तुत करें चूंकि ये लेख हमारे पाठयक्रम में मार्गदर्शक होने के साथ–साथ ग्रामीण जनता के लिए भी उपयोगी होंगे।

समस्त छात्रगण
एम.जे.पी. रुहेलखंड विश्वविद्यालय (ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन में मास्टर डिग्री, द्वितीय वर्ष), बरेली (उ.प्र.)

भूल सुधार

कुरुक्षेत्र फरवरी 2004 अंक में 'कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलती पराजीनी फसलें' शीर्षक से प्रकाशित लेख में भूलवश पराजीनी की जगह पराजीवी छपा है। इसका हमें खेद है। इसमें पराजीवी को पराजीनी और जीव को जीन पढ़ा जाए।

संपादकीय

जाती सर्दी, चिलचिलाती धूप के साथ चुनावों की सरगर्मी, बजट की नरमी और होली की गुजिया और गुलाल–मार्च महीने की तस्वीर कुछ यों ही बनेगी! एक तरफ वित्तमंत्री ने होली से पहले ही लोक–लुभावनी घोषणाओं से बजट के रंग में सभी को रंग दिया है तो दूसरी तरफ रेलमंत्री ने बिना कोई मालभाड़ा बढ़ाने वाले रेलबजट के साथ विभिन्न राज्यों को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली 18 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा कर अपना पासा फेंका है। चुनाव से पहले की इस सुगबुगाहट में सरकार ने दिल खोलकर किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। चाहे इन सभी लोक–लुभावनी योजनाओं और घोषणाओं के पीछे चुनाव भी एक कारण है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में इनके सुखद परिणाम आम जन को फायदा पहुंचाएंगे।

पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से देश के बजट की प्राथमिकताओं में कृषि और ग्रामीण विकास को इतना महत्व कभी नहीं मिला था। इस बजट के बारे में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की भी यही टिप्पणी रही कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट न तो औद्योगिक क्षेत्र को ज्यादा तरजीह देने वाला है और न नौकरीपेशा मध्य वर्ग को। इसमें तो सरकार ने गांव और गरीब की ही ज्यादा चिंता की है। वित्तमंत्री के बजट भाषण में किसानों के प्रति चिंता इन शब्दों से भी जाहिर होती है– "मैं भारतीय बैंक संघ से आग्रह कर रहा हूं कि कृषि उद्देश्यों हेतु ब्याज दरों में और कमी लाएं"। केंद्रीय बजट में सरकार ने किसान का दर्द समझा है। कृषि आय बीमा योजना के विस्तार का फैसला इसका प्रमाण है। यह योजना पिछले वर्ष नवंबर में प्रयोग के तौर पर देश के 20 जिलों में शुरू की गई थी। आगामी खरीफ फसल से इसका विस्तार देश के 100 जिलों में कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान की आय का भी बीमा किया जाता है लेकिन केवल फसल की पैदावार पर, लगाई गई लागत का नहीं। यह योजना इस तरह से अनूठी है कि इसके लागू होने के बाद अगर किसी कारण से फसलें बरबाद भी हो जाएं तो किसान कंगाल नहीं होंगे; उन्हें अपने प्रयास और परिश्रम का हर हालत में लाभ मिल सकेगा। उम्मीद है कि भविष्य में यह योजना सारे देश में लागू हो जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा, बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक चरण में इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रयोग के तौर पर देश के चयनित 50 जनपदों में दस लाख श्रमिकों को शामिल करते हुए किया जा रहा है। इस अंक में इन योजनाओं का ब्यौरा शामिल है।

होली के त्योहार से जुड़ी किंवदंतियों, धार्मिक आस्थाओं और उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों को उजागर करते लेख भी इस अंक में हैं। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर भी लेख शामिल किए गए हैं। राज्यों द्वारा महिला कल्याण हेतु किए गए प्रयासों के साथ रोजगार के तहत इस बार ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे अपना कोई काम शुरू कर कमाने के कुछ टिप्स दिए गए हैं। सफलता की कहानी के तहत महिला स्वयंसहायता समूहों की भरतपुर जिले में सफलताओं के साथ–साथ महिला सरपंच लोकेश्वरी के संघर्ष की गाथा है।

15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मद्देनजर हमने इस अंक में पंचायती राज के तहत प्रदान किए गए सूचना के अधिकार का भी जिक्र किया है। पंचायतों के संदर्भ में इस कानून का व्यावहारिक अर्थ है कि किसी गांव में पचांयत जो भी विकास कार्य करेगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उससे संबंधित विभिन्न कागजातों को देखने या उनकी जांच करने का हक ग्रामीणों को होगा। इस अधिकार के तहत उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य–चर्चा के अंतर्गत विटामिनों की अधिकता से होने वाले नुकसान और रस चिकित्सा के लाभ बताए गए हैं तो पुस्तक–चर्चा में विज्ञान विषय पर प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'क्लोनिंग' पुस्तक की चर्चा की गई है। कहानी, कविताओं के नियमित स्तंभ तो हैं ही। उम्मीद है कि यह अंक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

55 का हुआ गणतंत्र
तेजी से बढ़ता प्रगति का चक्र

आज, भारतीय गणतंत्र 55 वर्ष का होने पर जब हम अपने अतीत में झांकते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कितना आगे आ चुके हैं। चाहे कृषि, उद्योग, सामाजिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा का क्षेत्र हो या फिर कमजोर अथवा गरीबों की देखभाल की बात हो, हमने हर क्षेत्र में स्मरणीय प्रयास किए हैं। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहते हुए न तो हमें आसमान छूने से कोई रोक पाया है और न ही गहरे सागर की असीम गहराई हमें आगे बढ़ने से रोक पाई है। साथ ही सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित हमारे नए आयामों की वजह से आज हमें विश्व भर में साफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में जाना जाता है।

ये सब सफलताएं हम देशवासियों के भीतर छिपी शक्ति का ही नतीजा है। भारतीय लोकतंत्र सही रूप में गरीब एवं निचले तबके का प्रतिनिधित्व करता है और इसका संविधान अपने मूल तत्वों-न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की कसौटी पर हमेशा से खरा उतरता आया है।

कदम से कदम मिलाते हमारे बहादुर जवानों की गौरवमयी मुस्कान तथा एकता में अनेकता का संदेश देती झांकियों को देख हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमने, हमें भूखा और कमजोर कहने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। लोकतंत्र की रक्षा और विकास की प्रक्रिया साथ-साथ चल सकती है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने लोकतंत्र-जनतंत्र प्रहरियों का अभिनंदन करते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

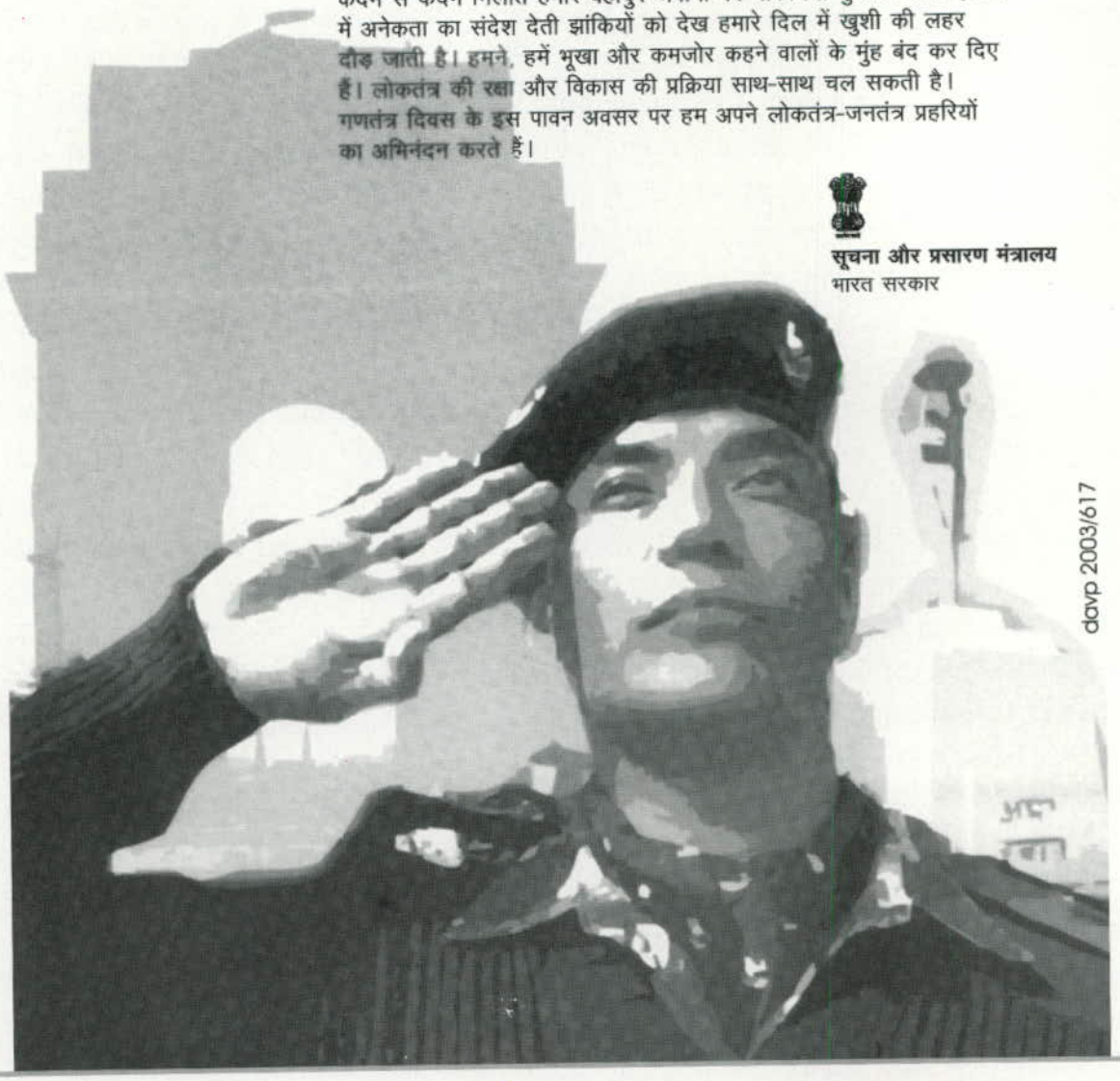

davp 2003/617

ग्रामीण और कृषि विकास से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर

☞ अनिल बंसल

केंद्र की वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2004-05 के अंतरिम बजट में ग्रामीण व कृषि विकास पर ज्यादा फोकस करके सचमुच आर्थिक विकास की अहमियत को स्वीकार किया है। पिछले एक-डेढ़ दशक में देश के बजट की प्राथमिकताओं में कृषि और ग्रामीण विकास को इतनी तरजीह कभी नहीं मिली। वित्तमंत्री जसवंत सिंह ने "गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में आना" के अपने इरादे को अमल में लाने की सचमुच गंभीरता से कोशिश की है।

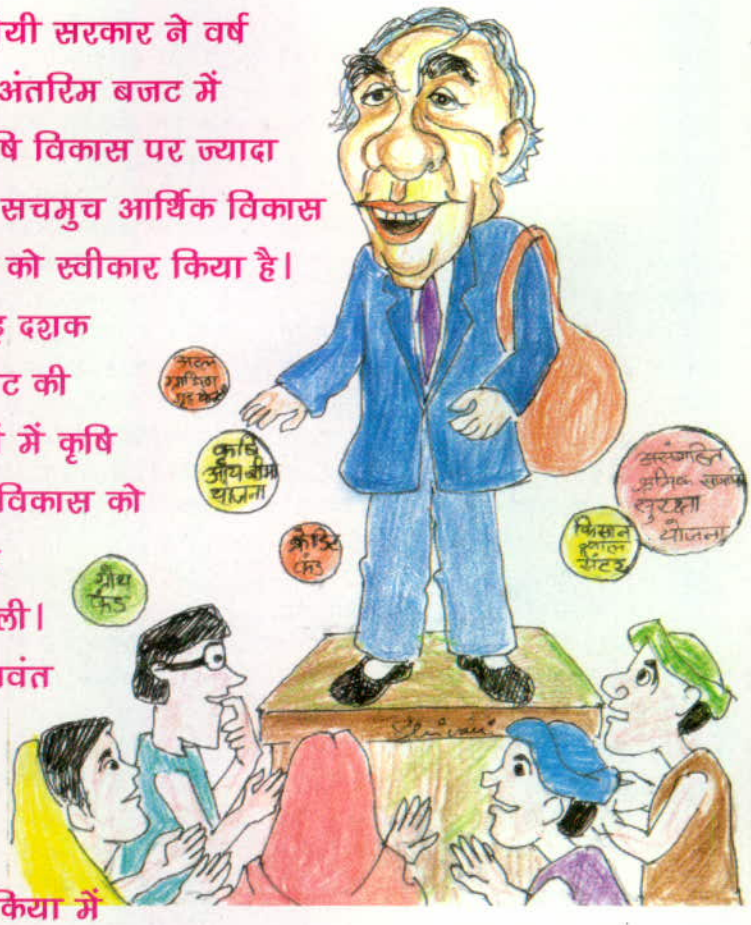

शहरीकरण की अंधी दौड़ के बावजूद असली भारत आज भी मुख्य रूप से गांवों में ही बसता है। आखिर 70 प्रतिशत जनसंख्या तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। चूंकि गांवों में भी लोगों की आजीविका का बड़ा स्रोत खेती है, अतः ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह वास्तविकता है कि देश की सकल उत्पादकता में एक चौथाई योगदान आज भी कृषि क्षेत्र का ही है। 11 करोड़ परिवार जहां खेती के काम से सीधे जुड़े हैं वहीं इतने ही परिवारों को मजदूरी खेती से मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर खेती की रीढ़ कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। पिछले दशक के दौरान हमने खुद अनुभव भी किया था। औद्योगिक विकास के बल पर विकास की तेज रफ्तार से विश्व मंच पर बड़े-बड़े देशों को भी चिढ़ाने वाले नव-धनाढ्य देशों की अर्थव्यवस्था की औद्योगिक मंदी के कारण जो गत हुई थी, हमारे सामने है। लेकिन विश्वव्यापी मंदी के उस दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था अगर चरमराई नहीं तो कारण कृषि अर्थव्यवस्था का सहारा ही था।

अतः केंद्र की वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2004-05 के अंतरिम बजट में ग्रामीण व कृषि विकास पर ज्यादा फोकस करके सचमुच आर्थिक विकास की अहमियत को स्वीकार किया है। पिछले एक-डेढ़ दशक में देश के बजट की प्राथमिकताओं में कृषि और ग्रामीण विकास को इतनी तरजीह कभी नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यों इसका संकेत पिछले वर्ष लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वाधीनता दिवस के अपने भाषण में ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र में एक और हरितक्रांति की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। इस तरह के सरोकार हालांकि सरकारें पहले भी दिखाती रही हैं पर खेती को लगातार उपेक्षित ही रहना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने पिछले दो महीने के दौरान जो पहल की, वे न केवल सकारात्मक है बल्कि अमल के धरातल पर भी नजर आती हैं।

देश के बजट में ग्रामीण विकास के स्थान को समझने के लिए आंकड़ों पर गौर जरूरी है। इस मद में केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए 1,20,974 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया था पर व्यय इससे अधिक ही हुआ है। संसद में प्रस्तुत किए गए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के हिसाब से

☞ (लेखक दैनिक जनसत्ता के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख हैं।)

यह खर्च 533 करोड़ रुपये ज्यादा यानी 1,21,507 करोड़ रुपये रहने वाला है। यह संतोष की बात है कि बढ़ोत्तरी का एक कारण सर्वशिक्षा अभियान के लिए ज्यादा वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना रहा है।

वर्ष 2004–05 के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री जसवंत सिंह ने "गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में आना" के अपने इरादे को अमल में लाने की सचमुच गंभीरता से कोशिश की है। योजनागत मद में प्रस्तावित बजट आवंटन को बढ़ाकर 1,35,071 करोड़ रुपये करना ग्रामीण विकास के प्रति बदले सरोकार का प्रमाण है। यह राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से भी 13,564 करोड़ रुपये अधिक है। आंकड़ों की कसौटी पर यह एक वर्ष में 11.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। **तभी तो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने टिप्पणी की कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट न औद्योगिक क्षेत्र को ज्यादा तरजीह देने वाला है और न नौकरीपेशा मध्य वर्ग को। इसमें तो गांव और गरीब की ही ज्यादा चिंता की है सरकार ने।**

मशहूर कृषि वैज्ञानिक श्री एम.एस. स्वामीनाथन मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूख एवं गरीबी से निपटने के लिए जरूरी है कि हम पैदावार बढ़ाएं पर ऐसा करते वक्त यह भी ध्यान में रखें कि पर्यावरण का विनाश न हो। कृषि उत्पादों का संवर्द्धन (प्रसंस्करण आदि द्वारा) करें और खेती के विविधीकरण को अपनाएं। तभी कृषि का और विस्तार एवं विकास संभव है। दूसरी हरितक्रांति पहली हरितक्रांति से इसी अर्थ में भिन्न है कि उसमें लक्ष्य था उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना। जबकि अब लक्ष्य है– आमदनी और रोजगार के अवसर दोनों बढ़ाना।

वास्तविकता यह है कि कृषि उत्पादन के मामले में हमने तरक्की तो की है पर विद्यमान संभावनाओं का पूरा लाभ हमने नहीं उठाया। कुल खाद्य उत्पादन में प्रसंस्करण के द्वारा हम अभी मुश्किल से आठ प्रतिशत संवर्द्धन (वैल्यू एडीशन) ही कर पा रहे हैं। बागवानी उत्पादन का हमारा 30 प्रतिशत तो हर वर्ष बर्बाद हो जाता है। केवल दो प्रतिशत का ही हम संवर्द्धन कर पाते हैं। कारण है– प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं का अभाव। इनसे भी बड़ा कारण है – खेती के लिए पर्याप्त और प्रतिस्पर्धी पूंजी का उपलब्ध न होना।

वाजपेयी सरकार को अगर किसी फैसले के लिए सचमुच श्रेय दिया जाना चाहिए तो वह है – खेती के लिए पूंजी की उपलब्धता सस्ती ब्याज दरों और आसान शर्तों पर बढ़ाना। छह महीने पहले तक भी हमारे सार्वजनिक बैंक किसानों से 16–17 प्रतिशत ब्याज वसूल रहे थे। जबकि आवासीय ऋण और उपभोक्ता सामग्री – कार आदि खरीदने के लिए ये बैंक अपनी ब्याज दरों में लगातार कटौती कर उसे नौ प्रतिशत के स्तर पर ले आए थे। राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद इस विषमता को पकड़ा और प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री को किसानों के कल्याण का वास्ता देकर ब्याज दरें कृषि ऋणों के लिए भी नौ प्रतिशत करा दी। एक सितंबर, 2003 से ये घटी ब्याज दरें लागू हो भी गईं।

पर वित्तमंत्री जसवंत सिंह के बजट भाषण को देखें तो साफ है कि सरकार का इरादा कृषि ऋणों की ब्याज दरों को अभी ओर नीचे लाने का है। उन्होंने कहा – "मैं भारतीय बैंक संघ से आग्रह कर रहा हूं कि कृषि उद्देश्यों हेतु ब्याज दरों में और कमी लाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने पहले ही ब्याज दरें घटा दी हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य बैंक भी वर्तमान में मौजूद ऋणों की ब्याज दरों में कमी करेंगे।"

दरअसल हमारे देश का बड़ा किसान वर्ग सीमांत है। वह बाजार के लिए पैदा नहीं करता, अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति ही कर पाता है अपनी कृषि पैदावार से। सो उसके पास अतिरिक्त पूंजी है ही नहीं कि उत्पादकता बढ़ाने और विविधीकरण जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए खर्च कर सके। बैंकों से अव्वल तो कृषि के लिए सुगमता से ऋण मिलता नहीं और अगर मिल भी जाए तो मौसम का क्या भरोसा? सूखे और अतिवृष्टि जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल चौपट हो जाती है, ऐसे में एक तो अपने निर्वाह का संकट, ऊपर से कर्ज का महंगे ब्याज के कारण बढ़ जाना – दोहरी मार से बेचारा किसान पुरजोर कोशिश करके भी नहीं उबर पाता। उल्टे ब्याज के कारण बढ़ चुकी अपनी वसूली के लिए बैंक उसके बंधक खेतों को और नीलाम कर देते हैं।

केंद्रीय बजट में किसान के दर्द को सरकार ने समझा है। कृषि आय बीमा योजना के विस्तार का फैसला इसका प्रमाण है। यह अभिनव योजना पिछले वर्ष नंवबर में प्रयोग के तौर पर देश के 20 जिलों में शुरू की गई थी। आगामी खरीफ फसल से इसका विस्तार देश के 100 जिलों में कर दिया जाएगा। इसमें किसान की आय का भी बीमा किया जाता है लेकिन केवल फसल की पैदावार पर, लगाई गई लागत का नहीं। उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में यह योजना सारे देश में लागू हो जाएगी।

कृषि व उससे जुड़े उद्योगों के लिए आसानी से पूंजी उपलब्ध कैसे होगी, इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने "एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट फंड" बनाने का फैसला भी किया है जो बंजर भूमि विकास, लघु सिंचाई परियोजनाओं, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, प्रमाणीकरण और भंडारण आदि के लिए तो पूंजी उपलब्ध कराएगा ही, आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना को भी प्राथमिकता देगा ताकि मांस निर्यात के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी कृषि कार्यों हेतु ऋण की उपलब्धता में सहायक सिद्ध हुआ है। इस व्यवस्था में किसान की जमीन और आवश्यकता के आधार पर बैंक ऋणसीमा एक बार तय कर देते हैं। किसान को जब जितनी जरूरत पड़ती है, उस सीमा के भीतर वह इच्छा और आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहता है। ब्याज के अनावश्क बोझ से भी वह बचा रहता है। **वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए संसद को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जल्दी ही इन कार्डों का प्रयोग किसान ए.टी.एम. सुविधा के लिए भी कर सकेंगे, तभी तो उन्हें भी लगेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी केवल उच्च वर्ग के कल्याण का माध्यम नहीं है।**

हम जानते हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा का एक बड़ा कारण सहकारिता की प्रणाली में आई विसंगतियां रही हैं। जो सहकारी क्षेत्र गांवों और खेती का कायाकल्प कर सकता था, कुप्रबंध और दूरदृष्टि के अभाव के कारण वह विफल साबित हो गया। गनीमत है कि सरकारी बैंकों की दशा सुधारने का बीड़ा भी सरकार ने उठा लिया है। कृषि अर्थशास्त्री वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में समिति गठित कर वित्तमंत्री ने सहकारी वित्तीय संस्थाओं के पुनरूद्धार की आस लगाई है। **तीन महीने के भीतर यह समिति सहकारी बैंकों के "नान परफोर्मिंग एसेटस" आदि के बारें में अपनी राय दे देगी। उसके आधार पर ही सरकार सहकारी बैंकों का कायाकल्प करेगी।** पर वित्तमंत्री जसवंत सिंह ने भविष्य का इरादा तो पहले ही साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में 15 हजार करोड़ रुपये की पूंजी का प्रवाह केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे।

बजट से भी पहले 20 जनवरी को ही सरकार ने कृषि विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण

कार्यक्रमों की घोषणा की थी। यह सही है कि इस चिंता के मूल में आगामी लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं हैं जरूर। पर संसदीय लोकतंत्र में ऐसा तो स्वाभाविक ही है। लोक–लुभावन कार्यक्रम बनाना तो वैसे भी सरकार का उत्तरदायित्व होता है। अंतर इतना ही है कि चुनाव पूर्व किए जाने वाले वादे आमतौर पर हवाई साबित होते हैं पर बजट पर दृष्टिपात करने से यह आशंका स्वतः खारिज हो जाती है।

खेती का स्वरूप क्या हो, यह देश में आजादी के बाद से ही वाद–विवाद का बिंदु रहा है। आमतौर पर देश के किसान संगठनों की मांग रही है कि खेती को भी उद्योग का दर्जा मिले। पर केवल दर्जा पा जाने से ही क्या होता है? खेती को खेती का सही दर्जा भी मिल जाए तो हम दूसरी हरितक्रांति को सफल होते देख सकते हैं। **पांच सदस्यीय राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने का फैसला करके केंद्र सरकार ने किसानों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में पहल की है। दो वर्ष के भीतर यह आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।** उसे बताना है कि देश में अनाज, दलहन और तिलहन की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि क्यों नहीं हो पाई? आज भी देश का बड़ा भाग ऐसी भूमि है जो बंजर और असिंचित है, इसके उपयोग का व्यावहारिक तरीका क्या हो और फसलों में बदलाव कैसे लाया जाए? लंबी अवधि के विकास को ध्यान में रखकर एक कार्ययोजना भी बनाएगा यह आयोग। मूल उद्देश्य है – भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश ही नहीं है, इसकी आत्मा भी गांवों में बसती है। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद हम औद्योगीकरण की अंधी दौड़ में शामिल हो गए जिससे हमें तात्कालिक लाभ तो जरूर हुआ पर उस चक्कर में गांव और खेती की जाने–अनजाने अनदेखी होती गई। बढ़ती बेरोजगारी उसी का नतीजा है। गनीमत है कि सरकार ने ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों की भूमिका को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नए सिरे से समझना शुरू किया है। विश्व व्यापार संगठन की चुनौती का सामना करने के लिए भी हमें कृषि पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हुए विकास की नीतियां और कार्यक्रम बनाने होंगे। कृषि क्षेत्र में अभी विकास की संभावनाएं हैं भी असीमित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे कृषि उत्पाद अपनी जगह क्यों नहीं बना सकते? पर अभी तो हमने घरेलू बाजार की भी ठीक से सुध नहीं ली है। भारतीय खाद्य बाजार इस समय 35 खरब रुपये सालाना से कम नहीं है। पर इस संभावना का फायदा तभी मिल सकता है जब खेती की उत्पादकता बढ़े, खेती करने वाले को मुनाफा हो, कृषि उत्पाद गुणवत्ता की कसौटी पर विशिष्ट पहचान बनाएं और हमारी फसल प्रणाली टिकाऊ हो।

चीनी, कॉफी, चाय, सोस, जैली और शहद जैसे उत्पादों की विश्व बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। फल प्रसंस्करण, मसाले और मांस के निर्यात की भी प्रचुर संभावनाएं हैं। जाहिर है कि खेती के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ग्रामीण भंडारागार, फूड पार्क, जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, एग्रो बिजनेस सेंटर व एग्री क्लीनिक्स जैसी योजनाएं सरकार ने शुरू तो की हैं पर अभी किसानों के सीमित वर्ग को ही इनका लाभ मिल पा रहा है। चीनी उद्योग की बजट में चिंता कर सरकार ने ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रति सरोकार दिखाया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत का यह प्रमुख उद्योग है। वित्तमंत्री ने बैंकों को हिदायत दी है कि चीनी उद्योग के कर्ज की पुनर्संरचना की जाए। तय है चीनी उद्योग को पटरी पर लाने के लिए पैकेज देना सरकार की मंशा है।

जहां तक बजट के संकेतों का सवाल है– इसमें कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को जादुई छड़ी घुमाने के अंदाज में हल भले नहीं किया गया हो पर सरकार के चिंतन में बदलाव तो दिखता ही है। मसलन **किसानों की एक बड़ी समस्या यह थी कि सरकार अपनी जरूरत के लिए जब उनकी जमीन का अधिग्रहण करती थी तो उन्हें बेकार तो होना ही पड़ता था, उनको मिलने वाले मुआवजे की रकम पर सरकार टैक्स और लगा देती थी। वर्ष 2004–05 के अंतरिम बजट में किसानों को इस झंझट से राहत मिल गई है। न तो अब जमीन के मुआवजे की रकम पर टैक्स कटेगा और न मुआवजे के भुगतान में देरी की अवधि के लिए मिलने वाले ब्याज पर टी. डी.एस.।**

वित्तमंत्री ने सबसे क्रांतिकारी फैसला तो यह लिया है कि किसान को कर्ज लेने के लिए वित्तीय संस्था के पास अपनी सारी चल–अचल सम्पत्ति बंधक (रेहन) नहीं करनी पड़ेगी। कर्ज की रकम के बराबर मूल्य की सम्पत्ति को बंधक रखने से ही उसे कर्ज मिल जाएगा। इससे किसान तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस निर्देश पर ठीक से अमल हो, इसकी निगरानी की व्यवस्था भी करनी होगी सरकार को।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण और है। हमने पशुपालन को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? जबकि इसमें स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यह सही है कि हमारा डेयरी व्यवसाय बढ़ा है और हम विश्व के अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश बन चुके हैं। लेकिन यह तथ्य भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस क्षेत्र में निर्यात का कोई लाभ हम नहीं उठा पाए हैं। खैर, सरकार ने पशुपालन के महत्व को नए सिरे से स्वीकार तो किया है। राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड बनाने का फैसला आर्थिक कसौटी पर पशुपालन की महत्ता की परख जताता है हालांकि धर्मपाल आयोग ने भी इस बाबत सिफारिश की थी।

चाय की खेती करने वाले किसानों का बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। मसलन मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन जो रबड़, कॉफी और चाय की कीमतों को बाजार में गिरने से रोकेगा। **अगले चार महीने तक छोटे किसानों को चाय पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी मिलेगी। कृषि के लिए बजट में आवंटन भी सरकार ने 44 प्रतिशत बढ़ाया है।** इससे पहले गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य में बढ़ोत्तरी और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए आर्थिक पैकेज देकर, भले वोट की चिंता में ही सही, पर किसानों के हितों पर ध्यान तो दिया ही था।

नई खाद्य नीति के तहत अब अनाज का निर्यात निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र की सरकारी मंडियों के बजाए बाजार से सीधे अनाज खरीदने की सुविधा दी गई है। लेकिन निर्यात के कारण घरेलू बाजार में अनाज की कमी न आ जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तय है कि इन प्रयासों से अनाज भंडारण, रक्षण और वितरण में निजी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

"किसान चैनल" और "किसान कॉल सेंटर" शुरू करने के फैसलों ने वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों में अलग स्थान बनाया है। सरकार जब ये फैसले ले रही थी तो आलोचकों ने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति का आम आदमी से क्या लेना–देना? काश ऐसे आलोचक "किसान कॉलसेंटरों" पर आ रही किसानों की पूछताछ संबंधी टेलीफोन कालों पर गौर कर पाते। **ये कालसेंटर देशभर में हफ्ते के सातों दिन**

और 24 घंटे किसानों की खेती और मौसम संबंधी उनके सवालों का उनकी स्थानीय भाषा में जवाब देने के लिए शुरू किए गए हैं। खास बात यह है कि इसका नंबर 1551 – पूरी तरह टोल फ्री है। यानी कॉल करने पर किसान का कोई खर्चा नहीं होगा। दिन के वक्त तो ऑनलाइन सेवा है ही, रात के वक्त की जाने वाली कालें दर्ज करके उनका डाक द्वारा समाधान करने की व्यवस्था की गई है।

ये कालसेंटर शुरू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है पर देश के ऐसे आठ किसान कॉलसेंटरों में दो हजार से ज्यादा टेलीफोन रोज आ रहे हैं। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में स्थित एक कॉलसेंटर पर पूछे जाने वाले सवालों की बानगी देखी जा सकती है–"मैं मशरूम उगाना चाहता हूं, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, सूरजमुखी की फसल क्या आजकल बोना ठीक रहेगा, सरकार द्वारा घोषित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हैं और इस समय बोने के लिए ज्वार की कौन–सी किस्म अच्छी रहेगी", आदि। दिल्ली का केंद्र तीन राज्यों राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को सेवा देता है। फसल में कीड़ा लगने जैसी समस्या पर भी किसान सवाल करते हैं।

दरअसल खेती की उपेक्षा का एक कारण लोगों में जागरूकता और जानकारी का अभाव भी रहा है। इसके लिए किसान चैनल की शुरूआत अच्छा कदम है। पर इसके कार्यक्रमों को व्यावहारिक, लोकप्रिय और रोचक बनाया जाए, यह कोशिश जरूरी है अन्यथा फिजूलखर्ची ही कहलाएगी।

कृषि के साथ ही ग्रामीण विकास के दूसरे कई अहम पहलुओं के प्रति भी बजट में सरोकार साफ दिखाई देता है। इनमें सबसे प्रमुख है – ग्रामीण गरीबों के कल्याण की चिंता। अभी भी 26 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। **सरकार ने बजट में ग्रामीण अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार कर ज्यादा गरीबों की सुध ली है। इस योजना के दायरे में अभी डेढ़ करोड़ गरीब थे। इस संख्या को बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है।** इस योजना के अंतर्गत गरीबों को गेहूं दो रुपये किलो और चावल तीन रुपये किलो की सस्ती दर पर दिया जाता है।

इसी तरह एक अप्रैल से अटल ग्रामीण गृह योजना शुरू करने का भी फैसला किया गया है। गांववालों को मकान बनाने के लिए इस योजना के तहत सस्ती ब्याजदरों पर कर्ज दिया जाएगा। जो एजेंसियां इस तरह के कर्ज देंगी, उन्हें सरकार आकर्षक कर रियायतें भी देगी।

हम जानते हैं कि गांवों के पिछड़ेपन के मूल कारणों में एक अशिक्षा है। वाजपेयी सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान को ग्रामीण विकास के अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर आलोचकों को भी प्रशंसक बनाया है। कम से कम हाईस्कूल तक सबको मुफ्त शिक्षा मिले, यह इस अभियान का मूल ध्येय है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस मद में सरकार ने 1950 करोड़ रुपये रखे था। पर संसद में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों को देखें तो वास्तविक खर्च 2732 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। वर्ष 2004–05 के लिए सरकार ने इस मद में बजटीय सहायता में और वृद्धि कर उसे 3057 करोड़ रुपये कर दिया है।

ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन कम करने के लिए "प्रोविजन ऑफ अरबन इन रूरल योजना" को मंजूरी बजट से पहले ही मिल गई थी। **इसके तहत एक लाख की आबादी वाले शहरों से जुड़े गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सड़क, बिजली, परिवहन व संचार आदि सुविधाएं होंगी तो गांवों का कायाकल्प अपने आप दिखेगा।** यह योजना वैसे भी योजना आयोग की है। 5000 गांवों पर 12,390 करोड़ रुपये इस योजना के तहत खर्च करने का प्रस्ताव है। गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब कर्ज के साथ अनुदान भी दिया जाएगा। ब्याज दर तो खैर 10.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर ही दी गई है।

मछुआरों के लिए मंजूर की गई 286 करोड़ रुपए की योजना भी उल्लेखनीय कदम है। छोटी नौकाएं रखने वाले मछुआरों को इस योजना के तहत डीजल कम कीमत पर मिलेगा। 20 मीटर से कम लंबी नौकाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। डीजल पर छूट डेढ़ रुपये लीटर की होगी। मत्स्य उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि के लिए मत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जो सुविधाएं घोषित की हैं, सस्ता डीजल उन्हीं में है।

ग्रामीण क्षेत्र के युवा बेरोजगार अपना उद्यम शुरू कर सकें, इसके लिए सिडबी से सरकार ने एक ग्रोथ फंड शुरू करने को कहा है। शुरू में इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपये रहेगी पर बाद में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक किया जाएगा। मरूस्थली इलाकों के समग्र विकास के लिए सरकार ने एक कार्यबल का गठन करने की भी घोषणा की है। राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पिछले वर्ष शुरू की गई "मरू गोचर योजना" का ही यह विस्तार है। पारंपरिक चरवाहों के कल्याण के लिए इसे शुरू किया गया है। यों यह मात्रा के पैमाने पर बहुत छोटी योजना है पर इसका संदेश बड़ा है। आखिर किसी भी क्षेत्र को यह पीड़ा क्यों हो कि वह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

लेकिन सरकार के प्रयासों और दावों की चर्चा करते वक्त हम अतीत के कटु अनुभवों को नहीं भूल सकते। बजट में वादे तो कर लिए जाते हैं, पर बाद में अमल या तो शुरू ही नहीं हो पाता या प्रयास अधूरे रह जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बदले दौर में ग्रामीण व कृषि विकास पर फोकस न करने के नतीजे नुकसानदेह हो सकते हैं। विकास की चर्चा हो और आबादी के बढ़ते दबाव को भुला दिया जाए, यह उचित नहीं होगा। सीमित संसाधनों के क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को पलक झपकते आकर्षक बनाना संभव नहीं है, शायद इसी वास्तविकता के कारण वित्तमंत्री ने संसद में कहा कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। जादुई चमत्कार की तो खैर कोई सरकार से उम्मीद करता भी नहीं है। पर शुरू की गई पहल बीच में न छूटे, यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है। घोषणाओं से ज्यादा जोर जब तक उनके सही क्रियान्वयन पर नहीं होगा, ग्रामीण विकास मुंगेरीलाल का हसीन सपना ही बना रहेगा।

अंत में सवाल उठता है सरकार की नीयत का। सारी आशंकाएं और आलोचनाएं उसी के इर्द–गिर्द रहती हैं। बजट पर संसद में हुई परिचर्चा के वित्तमंत्री के जवाब पर गौर करना समीचीन भी है और महत्वपूर्ण भी। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार कृषि पर सब्सिडी में कोई कटौती नहीं करेगी। उन्होंने विदेशी दबाव को छिपाया नहीं। उनका यह बयान कि जो खुद ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं वे हमें उपदेश न दें, साबित करता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्य देश भारतीय कृषि के विकास की संभावनाओं से भयभीत हैं। वित्तमंत्री ने ठीक ही कहा। आखिर विकसित होने के बावजूद वे अपने किसानों को हमारी तुलना में कहीं ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। सरकार की सफलता और विश्वसनीयता दोनों इसी बात पर टिकी हैं कि किसी दबाव में न आने के अपने निश्चय पर वह किस सीमा तक दृढ़ रहती है? ❑

244/1, मधुबन कालोनी,
बागपत रोड, मेरठ,
उ.प्र.–250002.

सुविधाओं की बौछार कार्यों की भरमार

☞ वेद प्रकाश अरोड़ा

निस्संदेह रेल बजट हर लिहाज से विकासोन्मुख है। यह अगड़े और पिछड़े इलाकों को जोड़ने वाला है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर सड़कें हाथ की रेखाओं की तरह हैं तो रेलें जीवनरेखा की तरह। इनमें जितना सुधार होगा, देश उतना ही मजबूत होगा।

रेल मंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2003–2004 के संशोधित अनुमान तथा अगले वर्ष 2004–2005 के अनुमानित आय और व्यय का विवरण पेश करते हुए यह बात साफ कर दी कि अगले वित्त वर्ष से जुड़े अनुमान और आकलन भले ही पूरे वर्ष के लिए हैं लेकिन लेखानुदान वर्ष के पहले चार महीने के लिए होगा। वर्ष की बाकी अवधि की जरूरतें अलग से मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। इसीलिए इस रेल बजट को अंतरिम बजट का नाम दिया गया। इसके बावजूद **प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल और संचार जैसे संपर्क और जुड़ाव के माध्यमों की गुणवत्ता सुधारने, उन्हें तेज चाल से पूरा करने और सारे राष्ट्र को एक साथ बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी साफ झलक इस रेल बजट में मिलती है।** बजट से संपर्क क्रांति को एक नई प्रेरणा, नई दिशा और नई गति मिलेगी। भरपूर खरीफ फसल की बाजार में आमद, विदेशी मुद्राभंडार के एक खरब चार अरब डालर से अधिक बढ़ जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी में नए आयामों के जुड़ जाने, कश्मीर समस्या के समाधान के ईमानदार प्रयत्नों, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि निखरने जैसे अनेक कारणों से देश में चल रही बेहतरी की बयार और मनमोहक सौंध से बजट कैसे अछूता रह सकता था। उलटा यह अंतरिम बजट भी बेहतरी के एहसास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसमें न तो किराया बढ़ाकर यात्रियों की नींद हराम की गई है और न कोई माल–भाड़ा बढ़ाकर महंगाई की आग भड़काई गई है। बल्कि यात्रियों का सफर सुखद, किफायती और कम समय में पूरा करने तथा सभी राज्यों को साथ लेकर पूरे देश के सर्वांगीण विकास का कमाल इस बजट में है। बजट की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने में राजनीतिक राग–द्वेष या भेदभाव की कोई बू नहीं है। उलटा सभी राज्यों के प्रति समव्यवहार और समदृष्टि अपनाते हुए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शृंखला नाम से 18 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये एक राज्य विशेष को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेंगी। इनमें राज्य विशेष के बाहर बिना कहीं रूके यात्रा की जाएगी, तथा कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारी–सेवा और पब्लिक–एड्रैस (जन उद्घोषणा) प्रणाली उपलब्ध रहेगी। **इस शृंखला की पहली एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली में निजामुद्दीन और बंगलौर में यशवंतपुर के बीच आठ फरवरी से चलने लगी है।**

☞ (लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं और *आजकल* पत्रिका के पूर्व संपादक रह चुके हैं।)

इनके अलावा दूरदराज के पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों को रेलमार्गों से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की अपूर्व योजना बनाई गई है। रेलमंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए याद दिलाया कि प्रधानमंत्री की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का काम अगले पांच वर्षों में पूरा हो जाएगा। इससे इन क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प तो होगा ही, रोजगार के नए–नए अकल्पित अवसर मिलने से लोगों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। बजट पर जहां नई लोकसभा के चुनाव की छाया साफ पड़ी दिखाई देती है, वहां बजट में संरक्षा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई है।

यात्री सुविधाएं सर्वोपरि

यह बजट यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में बेजोड़ है। तत्काल आरक्षण स्कीम, कम सूचना पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सभी रेलगाड़ियों, स्लीपरों (शयनयानों), चेयरकारों (कुर्सीयानों) ए.सी.–3 (वातानुकूलित–तृतीय श्रेणी), ए.सी.–2 टीयर (वातानुकूलित–द्वितीय श्रेणी, पर भी लागू की जाएगी। अभी यह चुनींदा गाड़ियों और मुख्य रूप से स्लीपर क्लास (शयनयान श्रेणी) तक सीमित है। **मोबाइल फोन से आरक्षण की व्यवस्था कर यात्रियों को जबर्दस्त राहत प्रदान की गई है। यात्रियों के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली – पी.आर.एस. का दायरा बढ़ाते हुए इंटरनेट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।** अब चुनींदा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए इंटरनेट से आरक्षण करवाया जा सकेगा। इसके अंतर्गत यात्री कंप्यूटर से तैयार की गई पर्ची के आधार पर रेलगाड़ी में अपना आरक्षित स्थान ले सकेंगे। सुविधाओं का दायरा और बढ़ाते हुए यह व्यवस्था भी की गई है कि अगर राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी रेलगाड़ियों के रवाना होने में 30 मिनट से अधिक देर हो जाए तो यात्रियों को शार्ट मैसेज सर्विस (SMS) के जरिए मोबाइल फोन पर इसकी सूचना मिल सकेगी। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए ही उपलब्ध होगी। पत्रिकाओं और पुस्तकों की प्रतियां सामानार्थ भेजने की प्रथा आम है, लेकिन अब इस प्रथा को रेल सफर के लिए निराले ढंग से प्रचालित किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले मौसम के दौरान राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी की पहली और दूसरी श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों, और कुर्सीयान श्रेणियों में अक्सर सफर करने वाले यात्री वार्षिक सफर के आधार पर अतिरिक्त कंपलीमेंटरी यानी सम्मानार्थ यात्रा के हकदार होंगे।

इस वर्ष लगभग 8500 किलोमीटर नई पटरियां बिछाए जाने का अनुमान है। इसी वर्ष लक्षित 2700 पुलों में से लगभग 1350 पुलों की मरम्मत कर उन्हें काम के लायक बना दिए जाने का अनुमान है। इसी वर्ष के दौरान 1500 रेलवे स्टेशनों पर सिग्नलिंग संस्थापनाओं को बदलने के लक्ष्य में से लगभग 444 स्टेशनों पर सिग्नलिंग संजाल का बदलाव कार्य पूरा होने की संभावना है।

सुविधाओं का विस्तार करते हुए आरक्षण टिकट अब उपभोक्ताओं को घर पर ही दिए जाने लगे हैं। पिछले वर्ष शुरू की गई कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट व्यवस्था का भी अधिक विस्तार किया जा रहा है। इन बहुआयामी प्रयासों से सारी टिकट प्रणाली अत्याधुनिक हो गई है।

रक्षा–संरक्षा

बजट में रेल यात्रा और यात्रा क्षेत्रों को सुरक्षित, सकुशल और सुविधासंपन्न बनाए जाने को महत्वपूर्ण ही नहीं माना गया है, बल्कि उसे प्राथमिकता प्रदान की गई है। अंतरिम बजट के आरंभ में ही कहा गया है कि संसद के इस अधिवेशन में यात्री अधिनियम और रेल सुरक्षा बल अधिनियम में कुछ संशोधन कर इस बल को कुछ छोटे अपराधों से निपटने के प्रयोजन से पूछताछ करने और मुकदमा चलाने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बल के जवान इसी वर्ष पहली जुलाई से रेलगाड़ियों के साथ जाया करेंगे और यात्री क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करेंगे। उधर सरकारी रेल पुलिस, जी आर पी गंभीर अपराधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। कर्मचारियों में संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, सभी स्तरों पर संरक्षा को बेहतर बनाने, और इसके लिए सकारात्मक उपाय करने जैसे संरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं और संरक्षा संवाद आयोजित किए गए। इनसे जहां कर्मचारियों में जागरूकता की भावना और संरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी, वहां प्रशासन कर्मचारियों का भरोसा और विश्वास भी जीतने में सफल हुआ। सभी क्षेत्रीय रेलों और मंडलों की कार्पोरेट–समवेत संरक्षा योजना के लागू होने के बाद रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं में काफी कमी होने की आशा है। पिछले वर्ष, 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस पर रेलवे संरक्षा पर टैक्नोलोजी मिशन के गठन की घोषणा के बाद (1) कर्षण और इंजनों–डिब्बों, (2) रेलमार्गों और पुलों, (3) सिग्नल और दूर संचार तथा (4) कोहरे में देखने के उपकरणों के संबंध में चार मिशन कार्यक्रम बनाए गए, जिनके अंतर्गत 14 परियोजनाएं रेल मंत्रालय ने मंजूर कीं। टक्कर रोकने के साधन यानी रक्षा कवच के सफल परीक्षणों के बाद ये रेलों पर लगाए जा रहे हैं और अगले पांच वर्षों में ये बड़ी लाइन के सभी शेष रेलखंडों में भी लगा दिए जाएंगे। संरक्षा कार्यों को छह वर्षों में पूरा करने के लिए वर्ष 2001 में गठित विशेष रेलवे संरक्षा कोष की सहायता से विभिन्न परियोजनाओं पर संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसके गठन के पहले वर्ष में ही 1434 करोड़ रुपये और दूसरे वर्ष 2002–03 में 2,488 करोड़ रुपये लागत के काम किए

गए। 16,500 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गईं। इस वर्ष लगभग 8500 किलोमीटर नई पटरियां बिछाए जाने का अनुमान है। इसी वर्ष लक्षित 2700 पुलों में से लगभग 1350 पुलों की मरम्मत कर उन्हें काम के लायक बना दिए जाने का अनुमान है। इसी वर्ष के दौरान 1500 रेल स्टेशनों पर सिग्नलिंग संस्थापनाओं को बदलने के लक्ष्य में से लगभग 444 स्टेशनों पर सिग्नलिंग संजाल का बदलाव कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा 5300 ट्रैक सर्किटों में से 1675 ट्रैक सर्किटों की भी व्यवस्था इसी वर्ष पूरी हो जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

अगले पांच वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण रेलखंडों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इस पहल के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज तथा बंदरगाहों से संपर्क को मजबूत बनाना और चार विशाल पुलों का निर्माण करना भी शामिल है। इनकी सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। पहले दो क्षेत्रों की अधिकतर परियोजनाएं, तेजी से पूरी करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से गठित रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंप दी गई हैं। वित्तमंत्री ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को ही सरल नहीं किया है बल्कि बुनियादी संरचना विकास कोष से आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। सारे परियोजना कार्य और उनके लक्ष्य हासिल करने के काम पूरी तेज गति से चल रहे हैं। जम्मू–ऊधमपुर नई लाइन परियोजना पूरी होने वाली है। उसे लक्षित तारीख से पहले पूरा कर 25 मार्च, 2004 को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2003–04 के लेखानुदान भाषण में घोषित नई रेलगाड़ियों, विस्तार सेवाओं, फेरों में वृद्धि और मेमू तथा देमू सेवाओं में से अधिकतर शुरू हो चुकी हैं और बाकी के काम भी जल्द आरंभ कर दिए जाएंगे। इनके अलावा जन साधारण एक्सप्रेस सहित 35 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान रेलों के कामकाज पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने बताया कि **रेलवे ने ढुलाई के बढ़े हुए 51.5 करोड़ टन के संशोधित लक्ष्य से भी अधिक 51 करोड़ 87 लाख 40 हजार टन की ढुलाई की। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5.3 प्रतिशत अधिक थी। इसी के साथ व्यय से 95 करोड़ रुपये अधिक आय हुई। वर्ष 2003–04 के लिए न सिर्फ ढुलाई लक्ष्य बढ़ाकर 54 करोड़ टन कर दिया गया है बल्कि पूरे वर्ष इससे भी अधिक ढुलाई होने की आशा है।** इसे देखते हुए इस वर्ष का ढुलाई लक्ष्य बढ़ाकर 55 करोड़ टन कर दिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या में भी 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि आय का रूझान आशाओं के अनुरूप नहीं रहा।

नई वार्षिक योजना अस्थायी

रेल संचालन की कार्यकुशलता का एक सुखद परिणाम यह रहा है कि 2003–04 में कुल संचालन व्यय, 1,523 करोड़ रुपये घट जाएगा और शुद्ध राजस्व, बजट अनुमान से बढ़कर 4,148 करोड़ रुपये हो जाएगा। जहां तक नए वित्त वर्ष 2004–05 की वार्षिक योजना का संबंध है, इसके आय–व्यय की रूपरेखा अंतिम रूप से लोकसभा चुनाव के बाद ही तैयार की जाएगी। तो भी यह अस्थायी रूप से 13,425 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस राशि में से 4,544 करोड़ रुपये बजट से और 2,635 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधनों से जुटाए जाएंगे। विशेष रेलवे संरक्षा कोष के लिए 2,795 करोड़ रुपये और रेलवे संरक्षा कोष के लिए 401 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा गैर–बजटीय संसाधनों के लिए 3,050 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना

इस समय रेल मंत्रालय के पास लगभग 43 करोड़ रुपये की 230 से अधिक परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं नई रेल लाइनें बिछाने, छोटी गेज की लाइनों को बड़ी गेज लाइनों में बदलने, दोहरी पटरियां बिछाने, बिजलीकरण और महानगरीय परिवहन के लिए हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं का काम अगले पांच वर्षों के बाद भी जारी रहेगा। इनमें से बहुत–सी परियोजनाएं दूरदराज के और पिछड़े इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने, इन इलाकों का सामाजिक और आर्थिक विकास करने तथा निर्माण के दौरान और उसके बाद भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मंजूर की गई हैं। **यह सारा काम 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय से एक महत्वाकांक्षी सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना के नाम से आरंभ किया जा रहा है।**

रोजगार के नए अवसर

इस योजना से दूरदराज के पिछड़े इलाकों के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में बदलाव लाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। वहां जिंदगी नई हिलोरे लेने लगेगी और गरीबों के बुझे चेहरे मुस्कानों और खुशियों से कुछ तो चमकने लगेंगे। **पांच वर्षों में इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मोटेतौर पर लगभग तीन लाख लोगों को वार्षिक रोजगार मिल सकेगा। काम पूरा होने पर सामान्य रखरखाव और संचालन के लिए लगभग 18,000 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। समय के साथ–साथ इसमें वृद्धि होती जाएगी। प्रत्येक वर्ष लगभग 55 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी गुंजाइश रहेगी।** इस सारे काम के लिए इस्पात, सीमेंट, इंजनों, डिब्बों, फिटिंग की वस्तुओं, संयंत्रों, मशीनों, अन्य उपकरणों तथा हिस्से–पुर्जों की जबर्दस्त मांग से न सिर्फ इन पिछड़े क्षेत्रों बल्कि सारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। निस्संदेह रेल बजट हर लिहाज से विकासोन्मुख है। यह अगड़े और पिछड़े इलाकों को जोड़ने वाला है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर सड़कें हाथ की रेखाओं की तरह हैं तो रेलें जीवनरेखा की तरह। इनमें जितना सुधार होगा, देश उतना ही मजबूत होगा। ये बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके मजबूत होने पर देश मजबूत होगा और उन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में सिर उठाकर खड़ा हो सकेगा। ❑

268, सत्य निकेतन,
मोती बाग, नई दिल्ली–21

किसानों और श्रमिकों के लिए दो नई योजनाएं

☞ डा. नीना गुप्ता

यह योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी यदि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक इस सुरक्षा के दायरे में ठीक उसी प्रकार आ सकें जिस प्रकार संगठित क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी वर्तमान में हैं। योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कमजोर और निर्बल वर्गों के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के घेरे में आ जाने से न केवल इन लोगों को ही लाभ होगा बल्कि इसका लाभ कुल मिलाकर पूरे देश को भी होगा।

अमेरिका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था में 37 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कृषि क्षेत्र से संबंधित देशभर में फैले करीब 13 करोड़ किसानों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 37 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के अहम् उद्देश्य से सरकार द्वारा कमजोर वर्गों को दो अनुपम तोहफे वर्ष 2004 के प्रथम माह में **दो नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ** करके प्रदान किए गए हैं। इनमें से कृषकों के लिए हैं – **कृषि आमदनी बीमा योजना** और मजदूरों के लिए – **सामाजिक सुरक्षा योजना।** किसानों के लिए संचालित की गई इस नई कृषि आमदनी बीमा योजना से अनिश्चितता के माहौल में जीने वाले इस बड़े वर्ग को व्यापक जोखिम बीमा, समुचित आर्थिक सुरक्षा, कृषि के उन्नतशील तरीकों को अपनाने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन तथा जीवनयापन सुरक्षा में अनुकूल लाभ मिलने की संभावनाएं बलवती हुई हैं।

उपर्युक्त दोनों योजनाओं के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

कृषि आमदनी बीमा योजना

देश के किसानों को विशेष रूप से छोटे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की मार से होने वाले नुकसान से उबारने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2004 से किसानों की आमदनी का बीमा करने हेतु इस नई महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान – भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। यह योजना प्रयोग के तौर पर सर्वप्रथम वर्ष 2003–2004 के रबी के मौसम हेतु 13 राज्यों के 20 चयनित जिलों में गेहूं और चावल की फसलों के लिए लागू की गई है जिसे अगले फसल वर्ष में पूरे देश में अर्थात सभी राज्यों में सभी फसलों के लिए लागू करने की घोषणा भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना को संचालित किए जाने के फलस्वरूप कृषकों को कृषि के उन्नतशील तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ उनकी जीवनयापन सुरक्षा में भी वृद्धि किया जाना संभव हो सकेगा। योजना का विशेष लाभ उन छोटे–छोटे किसानों को भी प्राप्त होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं जो अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने भर का अनाज पैदा करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को इस मायने में भी दुनिया की अपनी तरह की अनूठी योजना बताया गया है कि इसके लागू होने के बाद फसलें भले ही मारी जाएं लेकिन किसान कंगाल नहीं होंगे और उन्हें अपने द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का हर हालत में पूरा–पूरा लाभ हो सकेगा।

इस योजना में योजना निर्माण के स्तर पर ही कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, ताकि इसके लाभ बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसानों को समुचित मात्रा में प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके। संक्षेप में इस योजना की निम्नांकित विशेषताएं रेखांकित की जा सकती हैं–

1. कृषि आमदनी बीमा योजना को ऐसे सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य रूप से

☞ (लेखिका स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, हिंदू कालेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में सीनियर लेक्चरर हैं)

लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने किसी भी सरकारी, सहकारी या निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान से कृषि फसल उगाने हेतु ऋण लिया हो ताकि उन्हें अपनी फसल के नुकसान हो जाने की दशा में ऋण की भरपाई बीमा कंपनी के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित हो सके और वे स्वयं अपने को ऋणमुक्त अनुभव कर सकें।

2. गैर ऋणी किसानों अर्थात् जिन्होंने बिना कहीं से ऋण लिए हुए फसलें उगाई हैं, के लिए भी इस योजनांतर्गत लाभान्वित किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। हालांकि ऐसे किसानों के लिए इस योजना को ऐच्छिक रखा गया है। इस प्रकार ऐसे किसान यदि चाहें तो स्वेच्छा से बीमा कंपनी को निर्धारित प्रीमियम का यथासमय भुगतान कर अपनी फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अर्ह हो सकते हैं।
3. योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि आय में हानि होने की दशा में कृषकों को व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्राकृतिक आपदा के कारण उपज में प्रतिकूल अस्थिरता या फिर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य में प्रतिकूल उतार–चढ़ाव के अनुसार दोनों में से किसी भी दशा में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया है ताकि किसानों को उनके द्वारा उगाई गई फसल का समुचित मूल्य हर हालत में प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके।
4. इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लाभ प्राप्त करने हेतु यद्यपि सभी श्रेणियों के किसानों को बीमा करने वाली कंपनी को निर्धारित दरों पर प्रीमियम का भुगतान अनिवार्य रखा गया है लेकिन छोटे तथा सीमांत किसानों को उनके द्वारा बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम का 75 प्रतिशत अंश अनुदान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रकार योजनांतर्गत छोटे तथा सीमांत कृषकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम से कम रखने की चेष्टा की गई है।
5. लघु एवं सीमांत कृषकों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के कृषकों के लिए भी उनके द्वारा बीमा कंपनी को किए जाने वाले प्रीमियम के भुगतान पर सरकारी अनुदान की व्यवस्था रखी गई है लेकिन उसकी सीमा 75 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है यानी कि बड़े किसानों को भी केवल आधा प्रीमियम ही अपनी ओर से बीमा कंपनी को देना पड़ेगा तथा आधा भाग केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
6. इस योजना की एक अन्य अहम विशेषता यह भी है कि इसमें किसानों की आय का निर्धारण करने के लिए प्रति एकड़ उत्पादन के उनके पिछले सात वर्षों के औसत को आधार बनाने के प्रावधान किए गए हैं जिसमें फसल की कीमत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर से आंकी जा सकेगी अर्थात यदि किसी एक कृषि मौसम में कृषक को वास्तविक आमदनी निश्चित आदमनी से कम होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी।
7. इस योजना के अंतर्गत कृषक की वास्तविक आमदनी की गणना करने हेतु वर्तमान वर्ष की उसकी वास्तविक उपज के साथ मौसम के बाजार मूल्य से गुणा करके निकाला जाएगा और निश्चित आमदनी को उसके द्वारा अर्जित पिछले 7 वर्षों की औसत उपज को उसके क्षतिपूर्ति स्तर के साथ वर्तमान वर्ष के सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा करके प्राप्त किया जा सकेगा ताकि फसल का बाजार भाव कम होने की दशा में बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा कराई जा सके।
8. योजना की एक और प्रमुख विशेषता यह भी कही जा सकती है कि इसमें किसान को बीमा कंपनी से दावा प्राप्त करने हेतु उसे दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उनका कोई दावा बीमा कंपनी पर बनता है तो दावा राशि बीमा कंपनी द्वारा सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करनी होगी जिसका निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपज आंकड़ों और बाजार मूल्य के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
9. कृषि आमदनी बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थीगणों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था भारतीय कृषि कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, निकटतम बैंक की शाखा अथवा भारतीय कृषि बीमा कंपनी के किसी भी कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराकर की जाएगी ताकि योजना के अंतर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त किए जाने हेतु कृषकों को सदस्यता ग्रहण करने में आसानी हो सके।
10. इस योजना को यद्यपि वर्ष 2003–2004 के रबी मौसम के लिए गेहूं और चावल की फसलों हेतु प्रयोग के तौर पर 13 राज्यों के 20 जिलों में ही लागू किया जा रहा है लेकिन अगले मौसम से इसे सभी प्रदेशों में तथा सभी फसलों हेतु लागू किए जाने की घोषणा भी की गई है ताकि देश के सभी किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

इस योजना की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर सामान्य रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके संचालन से विशेष रूप से छोटे किसानों को दैवीय आपदाओं की मार से होने वाले नुकसान से उबारने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद अवश्य मिलेगी लेकिन पूर्व में संचालित की गई इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे प्राप्त परिणामों के अनुभव इस योजना के संचालन में कुछ विशेष सावधानियां बरतने के लिए इशारा करते हैं जिनके बिना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। इनमें मुख्य रूप से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने हेतु योजना का समुचित प्रचार–प्रसार, हेराफेरी और बिचौलियों की भूमिका रोकने के लिए कठोर प्रावधान, अनावश्यक कागजी कार्यवाही पर अंकुश तथा स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त करने के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों से ही ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा जिससे योजना के अंतर्निहित परिणामों को वास्तविक धरातल पर उतारा जाना संभव हो सके।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना

केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई इस नई योजना को असंगाठित

क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा, बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है। उल्लेखनीय है कि देश की कुल श्रमशक्ति का 93 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इनकी भारी संख्या को देखते हुए इस योजना को पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। प्रारंभिक चरण में इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रयोग के तौर पर देश के चयनित 50 जनपदों में 10 लाख श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए शुरू किया जा रहा है। इन जिलों का चयन मुख्यमंत्रियों तथा सांसदों की संस्तुतियों के आधार पर किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। योजना के अंतर्गत रेहड़ी, खोमचे वालों से लेकर छोटी–छोटी पंजीकृत व गैर–पंजीकृत इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों की 122 श्रेणियों को फिलहाल इसमें सम्मिलित किया गया है लेकिन साथ ही इसमें अन्य श्रेणियों को भी आवश्यकतानुसार शामिल करने की गुंजाइश रखी गई है ताकि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों और अपना छोटा–मोटा कामधंधा करने वाले अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के घेरे में लाया जाना संभव हो सके। अभी तक इस स्तर के लोगों के लिए कोई औपचारिक पेंशन अथवा बीमा स्कीम उपलब्ध न होने के कारण समाज का इतना विशाल वर्ग अपने को सामाजिक–आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करता आ रहा था जिसकी भावनाओं की कद्र करते हुए और इसे सरकार का दायित्व स्वीकार करते हुए इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। यद्यपि केंद्र सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु इस संबंध में एक विस्तृत कानून बनाकर पूरे देश में उसे एक साथ लागू करके इस विशाल तबके को राहत पहुंचाने का था लेकिन इनकी बहुत बड़ी संख्या के चलते कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों तथा उनके संभावित निराकरण का आकलन करके उन्हें दूर किया जा सके और फिर एक मजबूत और व्यापक कानून संसद से पास कराके पूरे देश में सभी श्रमिकों हेतु इसको व्यापक स्तर पर सफलता–पूर्वक संचालित किया जाना संभव हो सके।

वर्तमान में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा उनके विकलांग हो जाने की दशा में उनमें से प्रत्येक को 500 रुपये मासिक दर पर आजीवन पेंशन दिए जाने की व्यवस्था रखी गई है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा अथवा आश्रित को स्कीम का लाभ प्रदान कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत कर्मचारी को 1.25 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु बीमा और चिकित्सा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। योजना का वित्त–पोषण कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार मिलकर करेंगे। इस स्कीम का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से करेगा। स्कीम के तहत एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन करने का प्रावधान भी रखा गया है जो इसका संचालन करेगा। यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व गैर–पंजीकृत प्रतिष्ठान को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा जबकि स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए यह स्कीम वैकल्पिक होगी। 6,500 रुपये प्रतिमाह से ऊपर का वेतन पाने वाले असंगाठित क्षेत्र के श्रमिक और 36 से 50 वर्ष की आयु वाले श्रमिक इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इस आयुवर्ग के श्रमिकों को यह विकल्प दिया जा रहा है कि वे और उनके नियोक्ता 200 रुपये प्रतिमाह के योगदान पर स्कीम में शमिल हो सकते हैं जिसमें से सौ रुपये का योगदान संबंधित कर्मचारी और सौ रुपये का योगदान उसके नियोक्ता का रहेगा।

इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक का 1.25 लाख रुपये का निजी दुर्घटना बीमा कराए जाने का जो प्रावधान रखा गया है उसके अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को बीमा कंपनी द्वारा एक लाख 25 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक श्रमिक के लिए उपलब्ध 30 हजार रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के अंतर्गत यदि श्रमिक बीमार पड़ जाता है तो उसे एक वर्ष में 15 दिनों तक 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने पर श्रमिक को एक वर्ष में अधिकतम 30,000 रुपये तक का भुगतान अनुमन्य होगा। योजना के वित्तपोषण हेतु 18 से 35 आयुवर्ग के श्रमिकों से प्रतिमाह 50 रुपये तथा 36 से 50 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों से 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। इसके अलावा नियोजकों को भी प्रति श्रमिक 100 रुपये प्रतिमाह का योगदान करना होगा जबकि सरकार इसमें राष्ट्रीय मजदूरी दर का 1.16 प्रतिशत का अंशदान करेगी जो इस समय प्रति श्रमिक 1800 रुपये प्रतिमाह है। जैसे–जैसे इस दर में बढ़ोत्तरी होती जाएगी, सरकार का अंशदान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाएगा। वास्तव में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा घोषित की गई यह योजना अति महत्वपूर्ण योजना है। संक्षेप में इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

1. यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा, आजीवन पेंशन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमां तथा पारिवारिक पेंशन जैसी सुविधाओं को उनके स्वयं के, नियोजकों के तथा सरकार द्वारा अर्थात त्रिपक्षीय सहयोग के साथ उपलब्ध कराने हेतु अतिमहत्वाकांक्षी योजना है जिसमें समाज के सर्वाधिक कमजोर लेकिन संख्या की दृष्टि से बहुत बड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा घेरे में लाने का प्रयास किया गया है।
2. योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सेवानिवृत्ति या अपंगता की स्थिति में 500 रुपये मासिक की आजीवन पेंशन की व्यवस्था रखी गई है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को पारिवारिक पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
3. प्रत्येक श्रमिक को इस योजना के अंतर्गत 1.25 लाख रुपये की धनराशि का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा अर्थात उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रितों को 1.25 लाख रुपये की धनराशि बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
4. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को 30 हजार रुपये का चिकित्सा बीमा भी उपलब्ध होगा जिसके अंतर्गत उसे अन्य सुविधाओं के साथ–साथ अस्पताल में भर्ती होने की दशा में एक वर्ष में अधिकतम 30 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी की ओर से प्राप्त हो सकेगी।
5. इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक

श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक पंजीकृत तथा गैर–पंजीकृत प्रतिष्ठानों को इसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए इस योजना में शामिल होने के विकल्प को खुला रखा गया है। वे लोग स्वेच्छा से इस योजना में शमिल हो सकते हैं।

6. निम्न आय वर्ग के सभी श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत आवश्यक रूप से आच्छादित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं अर्थात 6,500 रुपये प्रतिमाह तक की मासिक आय वाले श्रमिक इसमें शामिल हो सकेंगे हालांकि इससे ऊपर की आमदनी वाले श्रमिकों को तथा उनके नियोक्ताओं को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिक अंशदान करना होगा।
7. इस योजना को संचालित करने का दायित्व इस क्षेत्र के अनुभवी, कुशल और अग्रणी संगठन अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपा गया है जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इसे लागू करेगा। साथ ही इसमें एक त्रिपक्षीय बोर्ड के गठन का प्रावधान भी रखा गया है जो योजना के भली–भांति संचालन पर नजर भी रखेगा।
8. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक हेतु एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्ड बनाकर दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें योजना के अंतर्गत अनुमन्य सुविधाओं को सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जाना संभव हो सकेगा।

योजना की उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन तथा बीमा सुविधाएं कराए जाने हेतु सरकार द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने का निर्णय कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी यदि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक इस सुरक्षा के दायरे में ठीक उसी प्रकार आ सकें जिस प्रकार संगठित क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी वर्तमान में आच्छादित हैं। योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कमजोर और निर्बल वर्गों के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के घेरे में आ जाने से न केवल इन लोगों का ही लाभ होगा बल्कि इसका लाभ कुल मिलाकर पूरे देश को भी प्राप्त होगा। अतः इस कल्याणकारी योजना को लागू करने की घोषणा के साथ–साथ अब अधिक महत्वपूर्ण अगला कदम यह होना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की जो पहल की जा रही है उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ हर जरूरी कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए ताकि गरीब और कमजोर वर्गों के लिए अभी तक चलाई गईं अनेकानेक कल्याणकारी योजनाओं की भांति ये योजनाएं रास्ते में ही दम न तोड़ दें। ❑

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

बुरा न मानो होली है

ग्रामीण भारत का अपना त्योहार

☞ संजय

बेशक, होली इस कृषिप्रधान देश की आम जनता का अपना पर्व है। न तो यह दीपावली जितना खर्चीला और व्यापारप्रधान त्योहार है, न ही वेलेंटाइन डे जैसा अजनबी और सभ्रांत। यह हमारे ग्रामसमाज की सदियों पुरानी जड़ों से जुड़ा ऐसा अद्भुत पर्व है जिसका उल्लेख प्राचीनतम शास्त्रों और पुराणों में भी मिलता है। यह देखना रोचक होगा कि इस पर्व से जितनी भी किंवदंतियां और आख्यान जुड़े हैं, उनका किसी न किसी रूप में ग्रामीण भारत से नाता रहा है!

शहरों में बसने वाला एक औसत हिंदुस्तानी अपने घर की चहारदीवारी के भीतर चुटकी भर गुलाल और बाल्टी भर पानी से जो होली मनाता है, वह वास्तव में होली नहीं है। होली जैसा अलमस्त त्योहार ड्राइंगरूम जैसी बंद जगह में मनाया ही नहीं जा सकता। इस पर्व का असली रूप देखना हो तो शहर और कस्बे की सीमा लांघकर जरा किसी गांव में कदम रखिए। तब आप

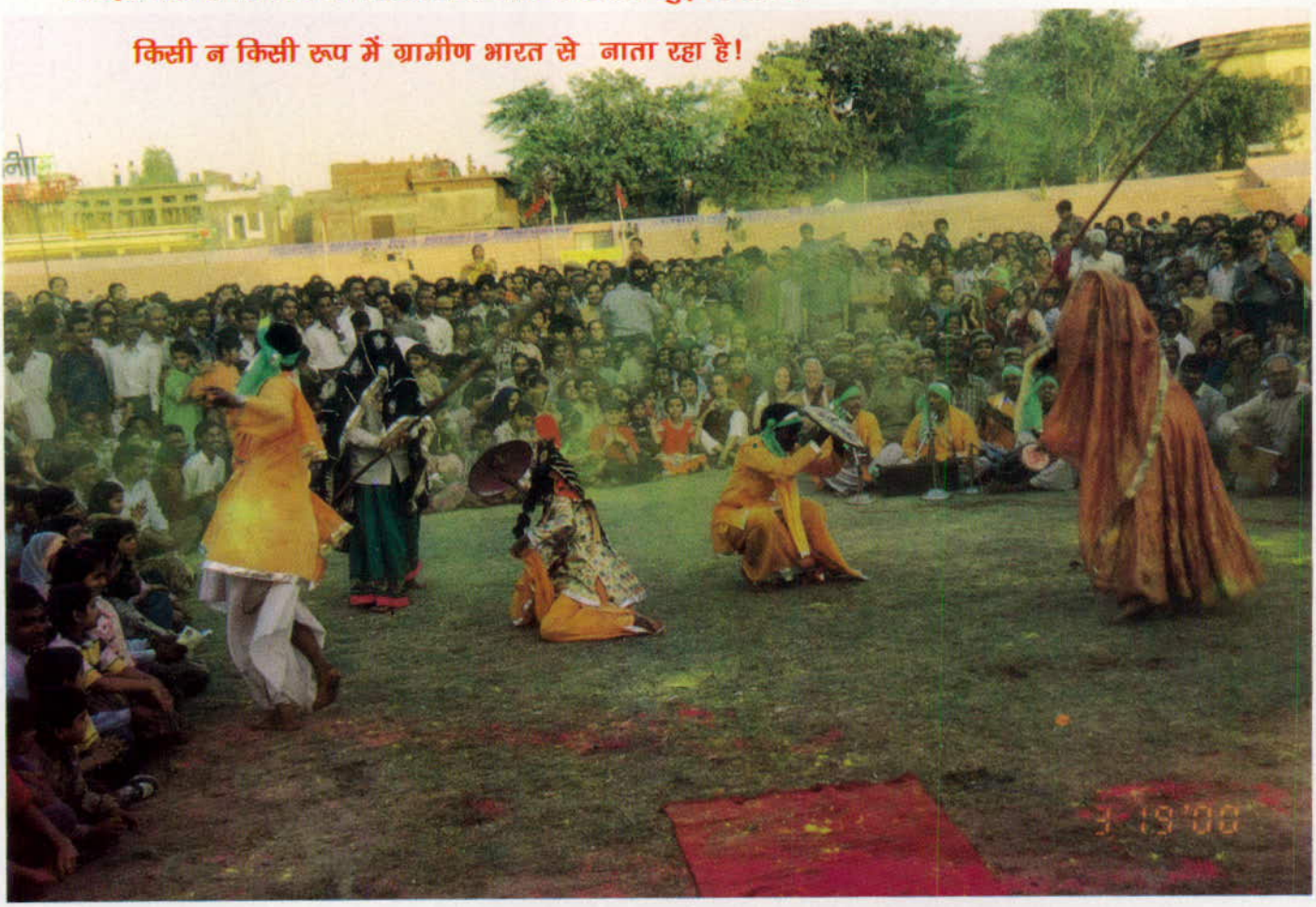

देखेंगे कि असली होली खेत–खलिहानों की पृष्ठभूमि में खुले आसमान के नीचे खिली धूप में मनाई जाती है। वो भी पूरे शोरगुल और हो–हुल्लड़ के साथ! तब यह भी देखने को मिलेगा कि पूरे साल सज्त सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं में बंधा रहने वाला ग्रामीण परिवेश एक दिन के लिए कितना स्वछंद, कितना आजाद हो जाता है तथा कैसे भंग और रंग की तरंग में डूबे लोग ढोल और रागनियों की धुन पर थिरक उठते हैं।

बेशक, होली इस कृषिप्रधान देश की आम जनता का अपना पर्व है। न तो यह दीपावली जितना खर्चीला है, न ही वेलेंटाइन डे जैसा अजनबी और सभ्रांत! यह हमारे ग्रामसमाज की सदियों पुरानी जड़ों से जुड़ा ऐसा अद्भुत पर्व है जिसका उल्लेख प्राचीनतम शास्त्रों और पुराणों में भी मिलता है। यह देखना रोचक होगा कि इस पर्व से जितनी भी किवंदतियां और आख्यान जुड़े हैं, उनका किसी न किसी रूप से ग्रामीण भारत से नाता रहा है!

सबसे पुराना आख्यान हरिवंश पुराण में वर्णित विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ा है। विष्णुभक्त प्रह्लाद ने पिता के अहंकार को चुनौती दी और उसे अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठाकर चिता के हवाले कर दिए जाने का दंड मिला। मगर पूर्णिमा की रात सजी इस चिता में वह होलिका तो स्वाहा हो गई जिसे अग्नि से अभय का वरदान मिला हुआ था, लेकिन प्रह्लाद का बाल भी बांका न हुआ। यह कहानी उत्तर भारत के हर गांव में घर–घर में बड़े चाव से सुनी जाती है। देश के बड़े हिस्से में आज भी फाल्गुन की पूर्णिमा को हर गांव के बीच उपलों, कंडों और सूखी टहनियों का 'ढांडा' सजाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों के साथ उसकी परिक्रमा करती हैं और ढांडे पर सूत लपेटकर प्रह्लाद के साथ–साथ अपने बच्चों की कुशलता की कामना करती हैं।

दूसरी किवदंती राधा–कृष्ण के अमर प्रेम से जुड़ी है। बाल श्रीकृष्ण ने यशोदा मां से पूछा कि मैं सांवला क्यों हूं और राधा गोरी क्यों? मां ने हंसते हुए समझाया कि राधा के गोरे मुख पर काला रंग लग जाए तो वह भी तुम जैसी सांवली हो जाएगी। ग्वाले कृष्ण के उस काले रंग का असर आज तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ग्रामसमाज पर कायम है। मथुरा में बरसाने और नंदगाव आज भी फाल्गुन माह में राधा–कृष्णमय हो उठते हैं। पूरे एक पखवाड़े तक वहां 'ब्रज की होली' का रंग जमा रहता है। एक निश्चित तिथि पर नंदगांव के पुरुष बरसाने की बहुओं के साथ होली खेलने जाते हैं। फिर बरसाने के पुरुष नंदगांव की बहुओं को रंग में भिगोने जाते हैं।

तीसरी किंवदंती भी कृष्ण से जुड़ी है। दुराचारी कंस ने अपने भांजे कृष्ण की हत्या के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। उसे शिशु कन्हैया को दुग्धपान के बहाने जहर पिलाने का काम सौंपा गया था। लेकिन बालकृष्ण ने दूध की बजाय पूतना के प्राण ही पी लिए। होली उसी चमत्कारी विजय का उत्सव है। इस पुराणकथा से जुड़ा परिवेश भी पूरा का पूरा देहाती है। ग्वालबाल, गोपियां, गउएं, यमुना का किनारा और दूध–दही का भोजन। यहां तक कि जिस टेसू–पलाश के फूल से अबीर बनता है, वह भी किसान के खेत के समीप खड़ा होता है।

मोहनजोदड़ो से मिली चीजें बताती हैं कि हजारों साल पहले भी साल के इस हिस्से में किसान लोग जाती सर्दी और आती गर्मी के बीच फसलों का जश्न मनाते थे। उत्तर भारत के गांवों में इसीलिए होलिका दहन के समय गेहूं की बालियां और चने के बूट को ज्वालाओं में भूनकर उसका प्रसाद बांटने का रिवाज है। अकारण नहीं कि होली के साथ मिठाई का भी अटूट नाता है।

लेकिन दक्षिण भारत में होली के साथ जो कथा जुड़ी है, वह भी कम मनोहारी नहीं। वहां होली को शिव और कामदेव के प्रसंग से जोड़ा जाता है। शिव तपस्या में लीन थे और वसंत आगमन से मदमस्त कामदेव उन पर काम के बाण का संधान करता है। लेकिन शिव का तप प्रेम के इस विचलन को स्वीकार नहीं करता। कुपित शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर रति के आग्रह पर कामदेव को अनंग रूप में प्रत्येक प्राणी में जीवित रहने का वरदान मिलता है। इसलिए तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में होली को 'कामदहनम', 'कामविलास' और 'कामन पंडीगई' जैसे नाम दिए गए हैं। कालिदास–शूद्रक रचित के साहित्य में भी होली के पर्व को 'मदनोत्सव' और 'कामोत्सव' के रूप में मनाने के उल्लेख मिलते हैं। आज के जाने–माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने अपनी चर्चित फिल्म 'उत्सव' में मदनोत्सव का उत्कृष्ट चित्रण किया है जिसमें वसंतसेना और चारुदत्त जैसे पात्र कामदेव के पाश में बंधे नजर आते हैं।

राधा–कृष्ण का प्रेममय रास भी वसंत के कामोद्दीपक प्रभाव की गाथा है। पश्चिम बंगाल के गांव–कस्बों में होली को 'डोल जात्रा' 'डोल पूर्णिमा' के रूप में मनाया जाता है, जिसमें राधा–कृष्ण को झूले (डोले) पर दर्शाया जाता है। बंगाल के कई हिस्सों, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस पर्व को कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में भी मनाने का रिवाज है। महाराष्ट्र में होली को 'रंगपंचमी' नाम दिया गया है। वहां रंगों के आमोद–प्रमोद मराठा वंश के सपूत शिवाजी की कथा जुड़ी है। राजस्थान में होली को राजसी ठाठबाट के साथ संगीतमय ढंग से मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है। जैसलमेर और मेवाड़ की होली का चित्रण वहां की सदियों पुरानी पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। कुमाऊं–गढ़वाल और हिमाचल की तरफ तो होली के महीने भर पहले ही संगीत बैठकें जमने लगती हैं जिनमें काफी और मालकौंस जैसे रागों पर शास्त्रीय गायन से लेकर स्थानीय राग–रागनियों तक

सभी की गंभीर प्रस्तुति होती है। और अपने पंजाब में होली के प्रचलित रूप के साथ 'होला मोहल्ला' मनाने का रिवाज है। सिखों का एक वर्ग होली के एक दिन बाद 'होला मोहल्ला' मनाता है जिसमें शस्त्र कौशल और हथियारों का सजीव चित्रण किया जाता है।

लेकिन ग्रामीण भारत का होली से यह जुड़ाव दरअसल धार्मिक आस्थाओं और किंवदंतियों से आगे जाता है। दूसरे सभी प्रमुख त्योहारों की तरह होली भी फसल चक्र से जुड़ी है। मकर सक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, होली और बैसाखी दक्षिण–पश्चिम मानसून से परवान चढ़ने वाली रबी की फसल का स्वागत करने वाले पर्व हैं। फाल्गुन में गेहूं की बालियां सुनहरी होने लगती हैं। चना, ज्वार, मसूर कटने को तैयार होते हैं। पलाश, कचनार और गुलमोहर पर नई कोंपलें और कलियां फूटने लगती हैं। फल–फूल और खाद्यान्न तीनों के नए भंडारों की खबर प्रकृति लाती है। ठिठुरते जाड़े के विकट अभावों से तंग आ चुका गांव का एक आम साधनसीमित आदमी एक तरफ धूप में गुनगुनी तपिश पाता है तो दूसरी ओर खेत में पकी फसल उसका मनोबल बढ़ाती है। फसल का मतलब है गांव की नन्ही अर्थव्यवस्था के लिए नवजीवन। खेतिहर मजदूरों को काम मिलेगा, किसान को साल भर का अनाज और उपज का दाम मिलेगा। जमींदार को जमीन की बंटाई मिलेगी। एक साधारण किसान के लिए खुशी की और क्या परिभाषा है? इसलिए मोहनजोदड़ो से मिली चीजें बताती हैं कि हजारों साल पहले भी साल के इस हिस्से में किसान लोग जाती सर्दी और आती गर्मी के बीच फसलों का जश्न मनाते थे। उत्तर भारत के गांवों में इसीलिए होलिका दहन के समय गेहूं की बाली और चने के बूट को ज्वालाओं में भूनकर उसका प्रसाद बांटने का रिवाज है। अकारण नहीं कि होली के साथ मिठाई का भी अटूट नाता है। पश्चिम भारत में होली पर बंटने वाली शकरपोली उत्तर भारत के गांवों तक पहुंचते–पहुंचते गुड़पोली या गुंझिया बन जाती है, जिसे बड़े स्वाद से खाया–खिलाया जाता है।

होली के पर्व की एक मनोवैज्ञानिक भूमिका

भी है। यह पर्व सामाजिक मर्यादाओं में जकड़े ग्राम समाज को एक दिन के लिए पश्चिम वाली उन्मुक्तता की छूट दे देता है। वर्जनाएं अचानक टूटती मालूम होती हैं और 'बुरा न मानो, होली है' के बहाने गांव के छोरे दुस्साहस करने से बाज नहीं आते। इसी के प्रतिकार का एक सरल रूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लट्ठमार होली के रूप में प्रचलित हो गया है जिसमें घराने की औरतें एकाएक मीठी आक्रामकता ओढ़कर होली खेलने आए पुरुषों को लाठी या हंटर से मारती हैं और पुरुष बेचारे चमड़े की ढाल या तवा सिर पर पहनकर इस मार को हंसते–हंसते झेलते हैं। कहीं–कहीं यह लट्ठमार होली कीचड़ या गोबर होली में भी तब्दील हो जाती है। कई जगहों पर होली के नाम पर बुजुर्गों–महिलाओं के साथ अभद्रता भी होती है। लेकिन ये सब भांगखोरी या शराबखोरी की तरह इस पर्व के विचलन ही हैं और होली के ऐसे असुंदर रूप बहुत कम जगहों पर ही देखने को मिलते हैं। एक समय में आर्य समाज ने उत्तर भारत में देसी त्योहारों के साथ ऐसी कुरीतियों का जमकर मुकाबला किया था।

होली के त्योहार के इतने सारे सामाजिक–आर्थिक रंग हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वह पोंगल या तीज की तरह सिर्फ देश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला पर्व नहीं रह सका। पूरे देश में, लगभग हर राज्य ने अपने–अपने तरीके से होली को मनाना आरंभ किया। वास्तव में इस पर्व के साथ मस्ती और परंपरा से बगावत के जो रंग जुड़े हैं, वे इतने आकर्षक हैं कि उनसे वंचित रहा ही नहीं जा सकता। लिहाजा दीपावली की तरह होली भी पूरे देश का त्योहार बन गई। ग्रामीण भारत में लगने वाले हजारों हाट और मेलों में होली के सामान की मौजूदगी इसका सबूत है। आदर्श तौर पर देखें तो होली हमारे ग्राम समाज को संगठित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस रोज न केवल बिछड़े हुए दोस्त फिर से गले मिल जाते हैं बल्कि ऊंच–नीच के भेद भी मिट जाते हैं। और कोई त्योहार ऐसा नहीं जब अगड़े और पिछड़ों का अंतर खत्म हो जाता है और पूरा गांव रंग–गुलाल मलने के बहाने एक–दूसरे के द्वार पर चला जाता है। जांत–पात में बंटे हमारे ग्रामसमाज के लिए होली के इस पहलू की बहुत रचनात्मक भूमिका है। समाज– शास्त्रियों ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि होली के दिन भारतीय समाज का स्त्री–पुरुष भेद भी खत्म हो जाता है। प्रतीक रूप से ही सही, उस दिन औरतें हिम्मत के साथ पुरुषों के साथ खड़ी हो जाती हैं। हरियाणा के अनेक गांवों में तो विधवाओं को भी होली खेलने का अधिकार है जोकि यहां के स्थानीय समाज की प्रगति का सूचक है। ❑

सी–51, तुलसी अपार्टमेंट,
सेक्टर 14,
रोहिणी, दिल्ली–110085

गांव की होली

☞ रामाज्ञा राय शशिधर

महाकवि निराला ग्रामीण समाज के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के गहरे ज्ञाता हैं। होली की अनेक छवियों का चित्रांकन करने वाले निराला की ये पंक्तियां देखिए – *फूटे हैं आमों में बौर, भौंर वन–वन टूटे हैं। होली मची ठौर–ठौर, सभी बंधन छूटे हैं।।*

यानी वृक्षों, फसलों, फूलों के सारे रंग होली के लिए बने हैं। होली में मनुष्य का तन–मन इतने रंगों, गंधों से लबरेज हो जाता है जितने प्रकृति के पास होते हैं। सांझ के सुर्ख बादलों जैसी आंखें। सरसों, गेहूं, पलास और मटर की छीमियों के रंग जैसे वस्त्र। कुतरूम के फूलों जैसे गाल। महुआ, आम और खजूर की मंजरियों जैसा मन। ऐसी होली मची है कि जाति, लिंग, वर्ग के सारे बंधन ढीले पड़ गए हैं। पूरा समाज, कुछ ही समय के लिए सही, दुख और शोषण से मुक्त 'समरस यूटोपिया' में जीता हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य मुक्ति का महापर्व!

किसान संस्कृति का पर्व

सच है कि होली मनाने के तौर–तरीकों पर स्थानीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। जैसे ब्रज की होली जैसी ही काशी की होली नहीं होती। अवध की होली से मगध की होली खेलने का तरीका भिन्न है। मिथिला से भोजपुरी होली के फर्क की बात तो छोड़िए, जनपद के सभी गांवों की होली एक जैसी नहीं होती। यानी रंगों का कुंभ स्नान। ऊपरी संरचना में विभिन्नता के बावजूद यह उल्लास पर्व किसानी परंपरा की कोख से उपजा हुआ त्योहार है।

अधिकांशतः माघ वसंत पंचमी से चैत कृष्ण

पक्ष प्रतिपदा के बीच फाग के राग चलते हैं और फगुआ मनाया जाता है। यहां एक प्रश्न कौंधता है। ऐसी कौन–सी चीजें हैं जो फगुआ को इतना लोकधर्मी और उल्लासमय बनाती हैं। इसकी पड़ताल कृषि संस्कृति की संरचना को समझकर ही की जा सकती है। हमारा समाज कृषि प्रधान समाज है जिसमें रबी फसलों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए भी कि मानसून की मार का डर इस मौसम को कम रहता है। वसंत पंचमी के बाद बसंत के छा जाने और रबी फसलों के गदराने का दौर शुरू हो जाता है। ठंडक घटती है और किसानों में आशा–उमंग की गर्मी बढ़ने लगती है। फाल्गुन पूर्णिमा तक रबी की कई फसलों के पकने और कटने के दिन आ जाते हैं। इस तरह होली फसलों की पूर्णता का त्योहार है जिसमें किसान, खेतिहर मजदूर, स्त्रियां और अन्य वर्ग उल्लासपूर्ण भागीदारी निभाते हैं।

कई दिलचस्प पहलू हैं जो होली को किसान संस्कृति का सर्वाधिक अनूठा पर्व बनाते हैं। आप देखिए कि उत्तर भारत में और दक्षिण में भी दशहरा के बाद होली तक पर्वों का लंबा अंतराल दिखता है। हमेशा से मेहनती और शोषित किसान, खेतिहर मजदूर, स्त्रियां स्वभावतः एकरसता और थकान महसूस करते हैं। फसलों के पकने–कटने के दौर में फगुआ इसे तोड़ता है।

यदि ग्रामीण लोगों द्वारा होली मनाने के तौर–तरीकों पर ध्यान दें तो कई बातें फसलों और मौसम से जुड़ी दिखाई पड़ती हैं। जैसे वर्ष भर फाल्गुन खेत में ज्यादा काम नहीं होने से ढोल–मांझर के साथ गीत–नाद का मौका मिलता है। बसंत अपनी रंग–गंध से इस मस्ती में इजाफा करता है। होलिका दहन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भले ही प्रहलाद–होलिका हो लेकिन संवत् जलाने का मजा तब है जब बच्चे, जवान, बूढ़े उस आग में चने का झांगर, गेहूं–जौ की बालियां और मकई के भुट्टे पकाकर खाएं। इतना ही नहीं चंदा कहां से आए जब फसल ही न कटे। खानपान में भी फसलों की बड़ी भूमिका रहती है। पुआ, दालपूरी, कचड़ी, फुलौड़ी आदि में ईख, चना, मूंग, प्याज, आलू, सरसो, मिर्च के खूबसूरत प्रयोग किए जाते हैं जो तब तक खेत के खलिहान होते हुए घर–बाजार पहुंच चुके होते हैं।

फाग के राग

होली वस्तुतः राग और संगीत का त्योहार है। गांव में फागुन महीने में गाए जाने वाले होली गीतों को फाग, फगुआ कहते हैं। जैसे फाल्गुन की फसल पकाने वाली पछिया हवा फगुनाहट कहलाती है। फगुनाहट चलते ही हर किशोर–जवान देह में फगुनाई का नशा और जोश घुस जाता है। ढोलक की थाप और झाल की झनक के साथ यौवन लहराने लगता है।

मिथिला क्षेत्र फगुआ की एक बानगी

पटना के ऊजे कारी रे चुनरिया
हाजीपुर रंगरेज रसिया
कारी चुनरी में यौवन
लहर मारे कारी चुनरी में

भावज के लिए भैया काली चुनरी लाए हैं। चुनरी पटना से आई है और काले पक्के रंग से रंगने वाला कारीगर हाजीपुर का है। सचमुच गोरी देह वाली भाभी जब काली चुनरी पहनती है तो उसकी देह वैसी खिलती है जैसे काली राख के बीच आग।

ब्रज, मथुरा, काशी, अवध, भोजपुर, मिथिला, मगध, राजस्थान, बुंदेलखंड सहित अलग–अलग जगहों पर स्थानीय बोलियों में फगुआ गाया जाता है। इन गीतों में उल्लास, उमंग, पारिवारिक संबंध, व्यंग्य, जीवन स्थितियां, संघर्ष, दुख, अश्लीलता सभी घुले–मिले रहते हैं। फगुआ गीतों में धार्मिक एवं लौकिक प्रतीकों का खूबसूरत प्रयोग होता है। जैसे राधा–कृष्ण, पार्वती–शिव, सीता–राम आदि के साथ भाभी, भाई, ननद, साली, साला जैसे कोमल रिश्तों को भी चित्रित किया जाता है। गीतों में फसलों, रंगों एवं गंध की भी छवियां मिलती हैं। होली गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। मगध क्षेत्र का एक गीत है –

नकबेसर कागा ले भागा
साइयां अभागा ना जागा

नाक में पहनने वाला स्वर्ण गहना नकबेसर एक कौआ लेकर भाग गया और मूर्ख आलसी पति जागा ही नहीं।

एक समाजशास्त्रीय प्रश्न उठता है कि ग्रामीण होली गीतों में इतनी अश्लीलता क्यों पाई जाती है। प्रेम और सेक्स मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। चूंकि ग्रामीण समाज में इस पर कठोर अंकुश रहता है, इसलिए हमारी चेतना में यह कुंठा का रूप ले लेता है। होली चूंकि उमंग–उल्लास का त्योहार है परिणामतः गीतों में इस अश्लीलता का विस्फोट कर स्त्री–पुरुष कुंठामुक्त महसूस करते हैं। जो भी हो, वसंत पंचमी से आरंभ फगुआ और रंग–गुलाल होली की दूसरी सुबह 'चैती गीत' के साथ ही अंतिम विदाई पाता है।

चांद की गवाही में होलिका की चिता

फाल्गुन की पूर्णिमा की रात चांद की गवाही में होलिका की चिता जलती है। हर गांव के खास एवं लोकप्रिय मुहाने पर होलिका दहन होता है जिसे कहीं 'संवत् जलाना' कहते हैं तो कहीं 'अगजा फूंकना'।

गांव के लोगों को इस कहानी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि होलिका प्रहलाद का क्या हुआ? उनकी दिलचस्पी गीत–नृत्य करने, लकड़ियां जुटाने, अन्न की फलियां झुलसाने–खाने, किसी के गले में कफन पहनाने और राग–आग का सामंजस्य बैठाने में अधिक रहती है।

अंग–अंग भींज्यो

घूंघट के नीचे से एक ग्रामीण स्त्री फाग खेलने की तकनीक बताती है, ब्रजभाषा की ये पंक्तियां देखिए –

खेलिए फाग निसंक है आजु
मयंकमुखी कहे भाग हमारो
लेहु गुलाल दुहूं कर मैं
पिचकारिन रंग हिए महं मारो
भावे तुम्हें सो करो मोहि लाल
पै पांय परौं जनि घूंघट टारौ
बीर की सौं हम देखिहैं कैसे
अबीर तो आंखैं बचाय के डारो

होली का दिवस तमाम वर्जनाओं, संकीर्णताओं से मुक्ति का दिन है। चंद्रमुखी निवेदन करती है कि लाला आज होली है। निःशंक होकर मेरे साथ रंग खेलो। दोनों हाथों में मैं गुलाल भरती हूं। पिचकारी से रंग भरकर मेरी छाती पर मारो। जो मन हो सो करो पर इस तरह घूंघट मत हटाओ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं बीर की सौगंध अबीर

आंखें बचा के डालो नहीं तो हम कैसे देखेंगे। हर अर्थ में रंग की चमक। हर भाव में मुक्ति की पराकाष्ठा!

मिथिला–मगध में सुबह को धूल लगाई जाती है जिसे 'धूरखेल' कहते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां अपनी जगह के रिवाज के अनुसार रंग, कीचड़ खेलते हैं।

ग्रामीण समाज में जाति–भेद और लिंग भेद अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन होली ही एक ऐसा त्योहार है जब धर्म और जाति की दीवार टूट जाती है और क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या बड़ा, क्या छोटा सभी होली खेलते हैं, गले मिलते हैं। मतलब यह कि होली समानता की संस्कृति की रचना करने वाला त्योहार है। दूसरे शब्दों में होली वर्चस्व की संस्कृति को ध्वस्त करती है।

ग्रामीण समाज में स्त्री स्वाधीनता के तीन सर्वाधिक उपक्रम हैं। लगन, मेले और होली। शादी–विवाह में स्त्रियों को चहारदीवारी के भीतर और बाहर मुक्ति मिलती है। होली में रंग–अबीर के बहाने स्वतंत्रता हासिल होती है। दरअसल फगुआ स्त्री देह और मन दोनों की कुंठा को उमंग, उल्लास, स्वाधीनता और रागमयता में बदल देता है। ग्रामीण समाज में दलित स्त्रियों की परिस्थितियां उन्हें चहारदीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर करती लेकिन उन पर नाना तरह की कठोर पाबंदियां होती हैं। सारी पाबंदियों की जड़ में देह–शुचिता और एकाधिकार भाव होता है।

होली के दिन गांव की बहुएं, अधेड़, प्रौढ़ा सभी सुकोमल संबंधों की ओट में खुलकर रंग–अबीर खेलती हैं। देवर–भाभी के रिश्तों ही छांव में छेड़छाड़, गाली–गलौज, मजाक आदि होते हैं। पुरुष, मित्र अनेक स्त्रियां के साथ मेलजोल करते और होली का सभ्य आनंद उठाते हैं। ब्रज की स्त्रियां लट्ठ–लट्ठ खेलती हैं और पुरुष वर्चस्व का मोहक प्रतिरोध करती हैं। मतलब यह कि यह पर्व स्त्री–पुरुष समरसता एवं समानता का आदिम सूत्र है। फाल्गुन भर एक गीत उमंग के साथ गया जाता है। – *भर फागुन बुढ़वा देवर लागे।*

उठा हथौड़ा मारे चोट

होली के दरम्यान गांव में ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जो 'समाज समीक्षा' कही जा सकती हैं। बहुत कम लोग इन गतिविधियों के निहितार्थ गहराई से विचार कर पाते हैं। गांव में जोगीरा, सामयिक होली गीत, व्यंग्य, मूर्ख सम्मेलन और पर्चा–पोस्टर से सामाजिक कुरीतियों एवं व्यक्ति की चारित्रिक विकृतियों का नोटिस लिया जाता है। ग्रामीण जीवन अनुभव सिद्ध लोकोक्तियों एवं मुहावरों का शब्दकोश होता है।

गांव में कुछ लोग समसामयिक होली गीत बनाते हैं, दोहे बनाते हैं जिनमें न केवल होली के राग–रंग की चर्चा रहती है बल्कि अपने समय और समाज का स्वरूप भी रहता है। होली में गाया जाने वाला एक दोहा देखिए :

पहले छल सच्चाई अप्पन
हरिश्चंद्र और राम
अबतड़ सच मै गेलै भैया
साबुन नया हमाम
जोगीरा सारा रारा...

किसी–किसी गांव में होलिका दहन की शाम अर्थी निकाली जाती है जिसमें गांव के असामाजिक, सामंत, महाजन एवं कंजूस लोगों पर व्यंग्य करने की जानदार गुंजाइश रहती है। बातें हास्य–व्यंग्य मिश्रित हैं लेकिन इतना–सा सच गांव के लोगों को सोचने–सुधारने के लिए विवश करता है और कई लोगों पर कुछ असर भी दिखाता है।

बदलती छवियों का समाजशास्त्र

होली लोकपर्व है। लोक संस्कृति और लोकजीवन की गहरी छवियां इस पर्व में चित्रित होती हैं। लेकिन जीवन के और हिस्सों की तरह गांव की होली पर भी आधुनिक तकनीक, बाजार और मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि श्रम के तरीके और औजार बदलने से संस्कृति की संरचना भी परिवर्तित होती है इसलिए इन चिह्नों को ग्रामीण होली के स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों से पकड़ा जा सकता है।

हिंदी क्षेत्र के अपवाद गांवों को छोड़ दिया जाए तो पारंपरिक होली के तौर–तरीकों में बदलाव दिखता है। आज गांवों में ढोलक–झाल के साथ महीने भर चलने वाले फगुआ गीत, नाच आदि में कमी आई है। होली के दिन भी रंगोत्सव और मेलजोल में छीजन दिखता है। धीरे–धीरे पारंपरिक गीतों का स्थान फूहड़ सस्ते कैसेट ले रहे हैं। दूसरी बात, पढ़े–लिखे साक्षर वर्ग में मीडिया मनोरंजन की तरफ ललक ज्यादा है और लोक रागों से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। पढ़े–लिखे लोग फगुआ गाने और उनसे जुड़ने में संकोच करते हैं। दिलचस्प बात है कि किसी भी ग्रामीण समाज के भोले–भाले निरक्षर, अल्पसाक्षर लोग पूरी तन्मयता से लोकगीतों एवं लोक–आनंद को बचाने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत शिक्षित वर्ग इससे कन्नी काटता है।

होली जैसे लोकपर्व में उदासीनता घुलने के पीछे ठोस आर्थिक–सांस्कृतिक कारण हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण जमीन टुकड़ों में बंट गई है। परिणामतः छोटे किसान मजदूरों में बदलते जा रहे हैं। कृषि उनकी आजीविका का सहारा नहीं बन पाती। गांव में सम्यक रोजगार नहीं होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की मजदूर आबादी पलायन कर गई है। गांवों में स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े हैं। जो गांव सड़क से जुड़ गया है, वह नगरों–महानगरों से उपभोक्ता संस्कृति को मजदूरों के साथ ला रहा है। ढोलकिया गांव में छूट गया तो झाल बजाने वाला भैया एक्सप्रेस से दिल्ली कमाने चला गया। गांव को बचाकर ही गांव की होली को बचाया जा सकता है।

हरेक समाज को चलाने में उसके बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका होती है। हर समाज का अपना बुद्धिजीवी वर्ग होता है। गांव के बुद्धिजीवियों को चाहिए कि अपने समाज के लिए एक स्वस्थ, जनतांत्रिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाए। तभी गांव को गांव की वास्तविक सूरत में लाया जा सकता है। पंचायत का मुखिया तब आदर्श कहला सकता है जब गांव के नाकाम हाथों को काम देने और फूटे हुए ढोल को 'गद्दी' देने की व्यवस्था करे। जिस दिन किसान– मजदूर, स्त्री–पुरुष आदि एक साथ बैठकर पुआ–पूरी खाते हुए पंचायत द्वारा बांटे गए ढोल पर फगुआ गाएंगे, वह होली मनुष्य मुक्ति की सबसे महान होली होगी। कुछ–कुछ निराला के इस संकल्पजीवी स्वप्न की तरह–

खेलूंगी कभी न होली
उससे जो नहीं हमजोली। ❑

उपसंपादक– समयांतर (मासिक)
137–ई. ब्रह्मपुत्र छात्रावास
जे.एन.यू. नई दिल्ली–110067

महिला कल्याण हेतु राज्यों द्वारा किए गए प्रयास

☞ अभिनय कुमार शर्मा

वह राष्ट्र जहां नारी का यथोचित सम्मान एवं विकास होता है, स्वयं वह राष्ट्र सम्माननीय एवं विकास के योग्य होता है। प्राचीनकाल से ही महिला को भारतीय समाज का अभिन्न अंग माना गया है और उसके कल्याण एवं विकास की किसी न किसी रूप में चेष्टा हुई है। स्वतंत्रता के पहले तक काफी प्रयास हुए परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इस संबंध में केंद्र सरकार ने और मजबूत कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार से प्रेरित होकर राज्यों ने भी इस संबंध में जागरूकता परिलक्षित की है। इस तथ्य को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर नजर डालकर परखा जा सकता है।

कामधेनु योजना

महाराष्ट्र में संचालित इस योजना के तहत अपंग, परित्यक्ता व आश्रयहीन महिलाओं को

स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था है।

किशोरी बालिका योजना

बिहार सरकार ने 11 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य–स्तर में सुधार लाने एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें अक्षर एवं अंक ज्ञान देने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत 6,400/– रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाले परिवारों की किशोरियां लाभ प्राप्त करने की पात्र होती हैं।

स्वस्थ सखी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष की आयु की अनुसूचित जाति की महिलाओं को 'मिडवाइफ' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को 500/– रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

सैनेट्री मार्ट योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाए जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य से यह योजना आरंभ की गई है। इस प्रकार से बेरोजगार हुए लोगों को सैनेट्री की दुकानें स्थापित करने के लिए ढाई लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है।

'अपनी बेटी अपना धन' योजना

बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दो अक्तूबर, 1994 से हरियाणा सरकार ने यह योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम से 2,500/– रुपये सरकार द्वारा इंदिरा विकासपत्र के माध्यम से निवेश कर दिया जाता है, 18 वर्ष के पश्चात यह राशि लगभग 25,000/– रुपये के रूप में देय होती है। यह उसी को दी जाती है जिसके नाम से यह राशि निवेशित होती है।

देवीरूपक योजना

देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर 25 सितंबर, 2002 को इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दंपतियों को जागरूक करना है। प्रजनन योग्य दंपत्तियों, विशेषतः नवविवाहितों को लक्षित करते हुए यह योजना शुरू की गई। पहले बच्चे लड़की के जन्म पर नसबंदी कराने पर 500/– रुपये प्रतिमाह तथा पहले बच्चे लड़के के जन्म पर नसबंदी कराने पर 200/– रुपये प्रतिमाह की राशि इस योजना के तहत दंपत्ति को दी जाएगी। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि दोनों लड़कियां हों तब नसबंदी कराने पर यह राशि 200/– रुपये प्रतिमाह होगी।

बालिका संरक्षण योजना

आंध्र प्रदेश में बालिकाओं/कन्याओं को संरक्षण एवं समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना 'बालिका संरक्षण योजना' के नाम से प्रारंभ की। योजना में 60,000 से अधिक ऐसी बालिकाओं को लक्षित किया जाएगा जो ऐसे निर्धन परिवारों की हैं जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम है। योजना का उद्देश्य कम से कम माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं को शिक्षित करना तथा 18 वर्ष के बाद ही उनका विवाह सुनिश्चित करना है। इस योजना में कन्या के नाम से कुछ कल्याण राशि को निवेश करने का प्रावधान भी है।

पंचधारा योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नवंबर, 1991 से विशेषतः ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु 'पंचधारा योजना' आरंभ की गई। इस योजना में पांच उप योजनाएं शामिल हैं :

वात्सल्य योजना

प्रसवकाल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।

ग्राम्य योजना

ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय आरंभ करने हेतु कार्यशील पूंजी प्रदत्त योजना।

आयुष्मती योजना

अतिनिर्धन महिलाओं के बीमार होने पर उनके उपचार एवं पौष्टिक आहार का प्रबंध करना।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

निराश्रित विधवाओं के लिए।

कल्पवृक्ष योजना

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

ग्रामीण इंजीनियर योजना

20 मई, 2003 से मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना प्रारंभ की। इसके तहत सभी 52,000 गांवों में एक–एक ग्रामीण इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिए 52,000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया जाएगा। इनको 10+2 पद्धति से उत्तीर्ण युवाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी।

इन उदाहरणों से जाहिर है कि राज्यों द्वारा भी अपने यहां महिला कल्याण एवं विकास हेतु कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इन्होंने अपने कार्यक्रमों को गति एवं जीवंतता प्रदान की। केंद्र के इस ओर गंभीर होने के साथ–साथ राज्यों द्वारा भी मजबूत कदम उठाए जाने पर ही समग्र रूप से महिलाओं का बहुमुखी विकास होगा। इस प्रयास में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है क्योंकि वे स्रोतहीन हैं एवं अवसरों से अनभिज्ञता रखती हैं। अतः केंद्र एवं राज्य सरकारें इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस अपरिहार्य कर्त्तव्य को निभाएं तभी एक शक्तिशाली एवं संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत विश्व परिदृश्य में आएगा। ❑

स्वतंत्र पत्रकार,
337, कर्मचारी नगर,
बरेली, उ.प्र.

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, लेवल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रैवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

आपका डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

सूचना के प्रसार में ग्रंथालयों की भूमिका

☞ डा. अरविन्द कुमार शर्मा

सभी को ज्ञान एवं सूचना की सहज सुलभता में ग्रंथालय तथा सूचना केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है, जिन तक ज्ञान एवं सूचना का पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक गांव-गांव तक ज्ञान व सूचना अबाध रूप से नहीं पहुंचेगी, लोगों का सामाजिक- आर्थिक विकास संभव नहीं है।

आज ज्ञान तथा सूचना का अत्यधिक महत्व है। आज के युग को 'सूचना का युग' कहा जाता है। आज के समाज को 'सूचना समाज' या 'ज्ञान समाज' के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। ज्ञान एवं सूचना ने मानव की प्रत्येक गतिविधि को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज किसी भी कार्य अथवा गतिविधि को ज्ञान एवं सूचना के अभाव में समग्रता के साथ पूर्ण करना संभव नहीं है। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। कम्प्यूटर एवं संचार तकनीक ने समय एवं स्थान की दूरी के अभाव को समाप्त कर दिया है। आज विश्व एक गांव की तरह परिलक्षित होता है। ज्ञान एवं सूचना का अबाध आवागमन हो रहा है। इस अबाध आवागमन से आम आदमी तक ज्ञान एवं सूचना पहुंच रही है और उसका अधिकाधिक उपयोग हो रहा है।

किसी भी राष्ट्र का विकास वहां के नागरिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जब तक नागरिकों का अर्थात् अंतिम नागरिक का सामाजिक–आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र भी विकसित नहीं हो सकता है। नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है कि नागरिक शिक्षित हों और उन्हें ज्ञान एवं सूचना निरंतर और निर्बाध रूप से उपलब्ध हो। ज्ञान एवं सूचना की सहज, सर्वसुलभ, सर्वव्यापी उपलब्धता सरकार और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है।

सभी को ज्ञान एवं सूचना की सहज सुलभता में ग्रंथालय तथा सूचना केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है, जिन तक ज्ञान एवं सूचना का पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक गांव–गांव तक ज्ञान व सूचना अबाध रूप से नहीं पहुंचेगी, लोगों का सामाजिक–आर्थिक विकास संभव नहीं है।

भारत में शिक्षा का परिदृश्य

शिक्षा एक जीवनभर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति में विचारों के निर्माण, कौशल के विकास तथा सद्गुणों के उत्थान में अमूल्य योगदान करती है। व्यक्ति शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक इन दो माध्यमों से प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर शिक्षक के सतत् संपर्क में ग्रहण करनी होती है जबकि दूसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत अध्ययन, अनुभव, व्यक्तिगत ट्यूशन आदि के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। यह अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति जीवनभर प्राप्त कर सकता है और स्वयं में ज्ञान और कौशल का विकास कर सकता है।

विश्व में विशेषकर विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों में बहुत सारे लोग गरीबी एवं साधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा से वंचित व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। यदि शिक्षा बिना किसी भेदभाव जैसे गरीब–अमीर, गांव–शहर, आदि के सभी को उपलब्ध हो तो बहुत–सी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारत में 1951 में साक्षरता दर 18.3 प्रतिशत तथा 1991 में 52.2 प्रतिशत थी। यह दर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई जिसमें 74.85 प्रतिशत पुरुष तथा 54.16 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं।

पंचायती राज एवं शिक्षा

आज भारत में गांवों के प्रशासन के लिए पंचायतीराज प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण, नीति निर्माण एवं स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार ग्रामीणजनों के हाथ में देने का लक्ष्य रखा गया है। गांव के लोग गांव के विकास के निर्णय स्वयं लेते हैं। इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। उदाहरणस्वरूप मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1993 में पारित हुआ। इसमें त्रि–स्तरीय पंचायतीराज का प्रावधान किया गया है जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत। इन पंचायतों के प्रतिनिधियों का चयन वहां के निवासियों के द्वारा किया जाता है और ये चयनित प्रतिनिधि स्थानीय आवश्यकताओं के

अनुरूप नीति निर्माण का निर्णय लेते हैं। ग्रामों के विकास से संबंधित सभी विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, इंजीनियरिंग आदि इन पंचायतों के अधीन कर दिए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास हो सके।

यहां शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है चूंकि गांवों में अशिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या अधिक है। इसलिए ग्रामीणजनों के विकास के लिए तथा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़, विकसित तथा सफल बनाने के लिए शिक्षा के प्रचार–प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है।

पंचायती राज एवं ग्रंथालय

भारत के 11 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। इसमें पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनके विकास में लोगों की सहभागिता की ओर ध्यान दिया गया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालयों, सूचना केंद्रों अथवा वाचनालयों का नितांत अभाव है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालयों की स्थापना एवं विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं चूंकि ग्रंथालय एक व्यय करने वाली संस्था है और इसे निरंतर वित्त की आवश्यकता होती है। अधिनियम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालयों की स्थापना, विकास एवं उनके लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

पंचायती राज के सशक्तीकरण एवं ग्रामीणजनों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। इस सतत् प्रक्रिया को ग्रंथालय तथा सूचना केंद्र गतिशील एवं सुनिश्चित कर सकते हैं। इन केंद्रों से ग्रामीण–जन अपनी शैक्षिक एवं सूचना की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं इसलिए पंचायती राज अधिनियम में ग्रंथालयों की स्थापना, विकास एवं सतत संचालन के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण ग्रंथालय

आज कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने

ज्ञान व सूचना के अर्जन, संग्रहण, पुनर्प्राप्ति एवं विस्तार को अत्यधिक प्रभावित किया है। इंटरनेट ने देश एवं काल की सीमाओं को निरर्थक कर दिया है। इस प्रौद्योगिकी का विस्तार निरंतर द्रुतगति से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट कैफे जगह–जगह पर खुल गए हैं। ये सूचना के आदान–प्रदान के सर्वसुलभ साधन बन गए हैं।

इंटरनेट तो सूचनाओं का अगाध भंडार है। किसी भी विषय पर पलक झपकते ही आप सामग्री पा सकते हैं। इस सुविधा का विस्तार गांव–गांव तक ग्रामीण ग्रंथालय/केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। इस सुविधा का उपयोग ग्रामीणजन गांव में ही कर सकेंगे। **मध्य प्रदेश प्रशासन ने एक योजना 'ज्ञानदूत' बनाई एवं क्रियान्वित की है। इससे प्रत्येक गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने का लक्ष्य है। यह योजना अच्छी है परंतु इसे सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।**

आज का युग सूचना का युग है। यदि हमें राष्ट्र के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है या उसे ऊपर उठाना है तो ज्ञान/सूचना की निर्बाध एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अतः यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालय/सूचना केंद्रों की स्थापना करते हैं तो ज्ञान/सूचना के विस्तार से ग्रामीणजन स्थानीय संसाधनों एवं तमाम सरकारी/गैर–सरकारी सुविधाओं तथा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज भी ज्ञान/सूचना के अभाव में लाखों–करोड़ों ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार नहीं हो पाया है।

यदि हम भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं तो हमें ग्रामीणजनों के सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना होगा। ज्ञान/सूचना प्रत्येक व्यक्ति को सहज–सरल उपलब्ध हो, ऐसे प्रयत्न करने होंगे। ग्रामीण ग्रंथालयों/ सूचना केंद्रों की स्थापना एवं उनका सशक्तीकरण लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यावश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान/सूचना की प्राप्ति में बाधक तत्व

अधिकांश ग्रामीण जन सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वानी सुविधाओं एवं योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इस अनभिज्ञता के अनेक कारण हैं जैसे अशिक्षा, दूरी, धन का अभाव, समय का अभाव, प्रेरणा का अभाव, यातायात के साधनों का अभाव।

अशिक्षा : चूंकि गांवों में आज भी अधिकांश जन अशिक्षित हैं इसलिए वे पेंफलेट्स, पुस्तिकाओं आदि में लिखित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

दूरी : दूरी भी एक अहम कारण है।

अधिकांश सरकारी कार्यालय जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ब्लाक स्तर के कार्यालय शहरों में स्थित हैं। ये कार्यालय गांवों से काफी दूर रहते हैं। अतः ग्रामीण–जन दूरी के कारण सूचना प्राप्त नहीं कर पाते।

धन का अभाव : अधिकांश ग्रामीणजनों की आय कृषि एवं इसके उत्पादों पर आश्रित है। यह आय अत्यल्प होने के साथ–साथ अनियमित भी होती है। इस कारण से ग्रामीणजन ज्ञान/सूचना को प्राप्त नहीं कर पाते।

समय का अभाव : अधिकांश ग्रामीणजन कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में कार्य करते हैं इसलिए समयाभाव रहता है और शहर जाकर सूचना प्राप्त करना दुष्कर होता है।

यातायात के साधनों का अभाव : आजादी के पांच दशकों के उपरांत आज भी गांव शहरों से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। यदि सड़क बन भी गई हैं तो उन पर सार्वजनिक यातायात नहीं है और सभी ग्रामीणजनों के पास अपने यातायात के साधन नहीं हैं। अतः यातायात के साधन भी ज्ञान/सूचना प्राप्त करने में एक बाधक तत्व हैं।

प्रेरणा का अभाव : यह भी एक बाधक तत्व है। मानव बुद्धियुक्त प्राणी है। यदि उसे किसी कार्य की अच्छाइयां/लाभ बताते हुए प्रेरित किया जाए तो वह उस कार्य को करने के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयार हो जाता है। आज आवश्यकता है ग्रामीणजनों को प्रेरित करने की जिससे कि वे ज्ञान/सूचना की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न कर सकें।

ज्ञान/सूचना के प्रचार–प्रसार में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका

नवसाक्षरों तथा अशिक्षितों के लिए : भारत में विश्व के कुल अशिक्षितों का एक तिहाई हिस्सा निवास करता है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ निरक्षर थे। यह संख्या भारत की विकराल समस्याओं में से एक है। तो निरक्षरता का उन्मूलन जरूरी है। निरक्षर एवं नवसाक्षर व्यक्तियों को ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र सतत ज्ञान/सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र निरक्षरों एवं नवसाक्षरों के लिए गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।

पाठक क्लब : ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालय एवं सूचनाकेंद्र 'पाठक क्लब आंदोलन' की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति इन क्लबों के सदस्य बन सकते हैं और निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये पाठक क्लब जनसहयोग से ज्ञान/सूचना के प्रसार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज विश्व एक गांव में तब्दील होता जा रहा है। ज्ञान तथा सूचना का अबाध आवागमन हो रहा है। इस अबाध आवागमन से आम आदमी तक न केवल ज्ञान तथा सूचना पहुंच रही है बल्कि उसका अधिकाधिक उपयोग भी हो रहा है। सभी को ज्ञान एवं सूचना सहज सुलभ कराने में ग्रंथालय तथा सूचना केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

समाचार–पत्र वाचन : गांव में स्थित ग्रंथालय/सूचना केंद्र का प्रभारी अथवा शिक्षित व्यक्ति निरक्षर व्यक्तियों के लिए समाचार–पत्र का वाचन कर सकता है। सुनकर निरक्षर व्यक्ति भी ज्ञान/सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

विशिष्ट प्रदर्शन : गांव स्थित ग्रंथालय/सूचना केंद्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार की पाठ्यसामग्री का संग्रह किया जा सकता है इनमें ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाएं, पेंफलेट्स, विविध सरकारी योजनाओं की जानकारियों के प्रपत्र, विभिन्न प्रकार की समस्याओं यथा पानी का बचाव, रोगों की रोकथाम, सरकारी योजनाओं आदि से संबंधित साहित्य। इस पाठ्यसामग्री का ग्रंथालय प्रभारी प्रभावकारी ढंग से विशिष्ट प्रदर्शन कर सकता है। इन विशिष्ट प्रदर्शनों से लोगों का विभिन्न ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण किया जा सकता है।

सामूहिक परिचर्चा : ग्रामीण ग्रंथालय/सूचनाकेंद्र गांव स्तर पर विभिन्न नवीन घटनाओं एवं समस्याओं पर सामूहिक परिचर्चा का आयोजन कर सकते हैं। यह परिचर्चा ग्रामीणों को स्वस्थ परिवेश एवं अभिव्यक्ति के अवसर सुलभ कराएगी।

मनोरंजन के लिए ग्रंथालय : ग्रामीण पुस्तकालयों/सूचनाकेंद्रों में मनोरंजनपरक सामग्री जैसे कथा, कहानी, यात्रापरक विवरण आदि का संग्रह किया जाता है। ग्रामीण लोग खाली समय में पाठ्यसामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। इससे उनके मनोरंजन के साथ–साथ स्वस्थ सामाजिक वातावरण बनने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण ग्रंथालय/सूचना केंद्र स्थानीय संगीत समारोह, टी.वी. प्रदर्शन आदि का आयोजन कर सकते हैं।

कलाकौशल एवं ज्ञान/सूचना के प्रसारण में ग्रंथालय: ग्रामीण ग्रंथालय/सूचना केंद्रों में समाचार–पत्रों के साथ–साथ, कैसे करें, स्वयं सीखिए या स्वयं कीजिए प्रकार के साहित्य का संकलन किया जाता है। इस साहित्य के संकलन का लाभ यह है कि ग्रामीणजन अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। साथ ही रोजगारपरक जानकारी प्रदान करने वाले साहित्य के संकलन के द्वारा ग्रामीण युवक समुदाय को रोजगारपरक जानकारी प्रदान की जा सकती है। ❑

सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरी
और सूचना विज्ञान विभाग,
एम.एल.बी. गवर्मेंट कालेज आफ
एक्सीलेंस, ग्वालियर – 474009 (म.प्र.)

भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की एक सार्थक पहल

सूचना का जन-अधिकार

☞ भारत डोगरा

इस कानून का व्यावहारिक अर्थ है कि किसी गांव में पंचायत जो भी विकास कार्य करेगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक व उससे संबंधित विभिन्न कागजातों को प्राप्त करने या उनकी जांच करने का हक गांववासियों को होगा। उदाहरण के लिए किसी गांव में यदि चेक डैम बनने का बजट स्वीकृत हुआ है तो गांववासियों को यह हक है कि वे इस चेक डैम का बजट एवं अन्य सभी जानकारियों को प्राप्त करें।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार देशभर में जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं गांव स्तर पर पंचायती राज का गठन हुआ है और इन विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं। ग्रामीण विकास के बजट का बढ़ता हिस्सा ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च होने लगा है। एक मुख्य कमी यह रह गई है कि पंचायतों को विभिन्न कार्यक्षेत्र संभालने के जो अधिकार मिलने थे उनमें से अभी अधिकांश कार्य पंचायतें नहीं संभाल पाई हैं और इसके अनुरूप उन्हें बजट भी नहीं मिला है। विभिन्न राज्यों में इस दृष्टि से प्रगति की समीक्षा करें तो जहां केरल जैसे कुछ राज्यों ने पंचायतों को अधिक अधिकार देने में अच्छी प्रगति की है, वहां अधिकांश राज्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

फिर भी कुल मिलाकर प्रवृत्ति पंचायतों की विकास कार्य में भूमिका बढ़ाने की ओर है और पंचायतों के पास विकास कार्यों का जो बजट पहुंच रहा है, उसमें कुछ न कुछ वृद्धि प्रायः हो रही है। भविष्य में पंचायतों के माध्यम से खर्च होने वाले विकास के बजट के प्रतिशत को बढ़ना चाहिए और उसके लिए कई प्रयास भी हो रहे हैं। पर इसके साथ इस विषय पर भी समुचित ध्यान देना अति आवश्यक है कि किसी भी पंचायत के लिए स्वीकृत बजट का उपयोग ठीक से हो, उसमें कोई घपलेबाजी न हो। यदि पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार छा गया तो सामान्य लोगों को इस पंचायती राज के पूरे प्रयोग से ही बहुत निराशा हो जाएगी और पंचायतों को विकास कार्यों में जिस जन-भागीदारी की आवश्यकता है वह उन्हें नहीं मिल सकेगी।

अतः जहां पंचायतों के अधिकार क्षेत्र व कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास अवश्य होना चाहिए, वहां यह भी उतना ही आवश्यक है कि पंचायतों को गांववासियों के प्रति इस बारे में जवाबदेह बनाया जाए कि गांव के विकास के लिए जो पैसा आया था वह ठीक से खर्च हुआ कि नहीं। इस तरह के कानून और नियम बनने चाहिए जिससे विकास का बजट ठीक से, ईमानदारी से खर्च होने की संभावना बढ़ जाए तथा जहां भ्रष्टाचार की नीयत है, वहां इस पर अंकुश लग जाए। जहां भ्रष्टाचार का जरा भी शक हो, वहां ऐसे नियमों व कानूनों का लाभ उठाकर गांववासी भ्रष्टाचार को पकड़ने व इस पर रोक लगाने के लिए सक्रिय हो सकें।

इसी तरह का एक कानून है सूचना के अधिकार या सूचना की स्वतंत्रता का कानून। पंचायतों के संदर्भ में इस कानून का व्यावहारिक अर्थ है कि किसी गांव में पंचायत जो भी विकास कार्य करेगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक व उससे संबंधित विभिन्न कागजातों को प्राप्त करने या उनकी जांच करने का हक गांववासियों को होगा। उदाहरण के लिए किसी गांव में यदि चेक डैम बनने का बजट स्वीकृत हुआ है तो गांववासियों को यह हक है कि वे इस चेक डैम का बजट एवं अन्य सब जानकारियों को प्राप्त करें। कहने का तात्पर्य यह है कि सूचना का अधिकार पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए है। इस अधिकार का उपयोग कर ग्रामीण भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस कार्यसंबंधी सभी मुख्य जानकारियां पंचायत भवन में एवं कार्यस्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। यह जानकारी ग्रामसभा की बैठक में भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिसे विस्तार से कागजात, बिल, वाउचर, मस्टर रोल आदि देखने हों, उसे अलग से इनका निरीक्षण करने व कागजात की फोटोकापी या सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार भी होगा।

यह विभिन्न तरह की जानकारियां प्राप्त करने का अधिकार सूचना के अधिकार या स्वतंत्रता के कानून से मिलता है। सूचना की स्वतंत्रता का कानून राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए संसद द्वारा कुछ समय पहले पारित कर दिया गया था। इसके नोटीफाई होने व कार्यान्वित होने में अभी कुछ समय लग सकता है। ऐसा होने पर पूरे देश में पंचायतों की कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार गांववासियों को मिल जाएगा। किंतु इससे पहले भी अनेक राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश व गोवा में राज्य स्तर पर ऐसे कानून बन चुके हैं व यहां के नागरिक इन कानूनों का उपयोग पंचायत स्तर पर (या अन्य स्तरों पर) सूचना प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने, जहां ऐसे कानून नहीं हैं, अपने पंचायत कानूनों में ही संशोधन कर ऐसी सूचना देने की व्यवस्था की है। जहां अभी ऐसे कानून या प्रशासनिक आदेश की व्यवस्था नहीं है, वहां के नागरिक भी सूचना की मांग तो कर ही सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि कानूनी व्यवस्था न होने पर भी लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल गांववासियों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

जहां गांववासियों को जरा भी संदेह है कि विकास कार्य पर ठीक से काम नहीं हुआ है या जितने लोगों को उचित कानूनी मजदूरी पर रोजगार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है तो वे सीधे इससे संबंधी कागजातों– बिल, वाउचर, मस्टर रोल आदि के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं। मान लीजिए इन कागजातों में रामपुर गांव के चालीस मजदूरों के नाम लिखे हैं, जिन्हें रोजगार योजना में कानूनी मान्यता प्राप्त मजदूरी दी गई। इस कागजात की फोटोकापी या प्रतिलिपि प्राप्त कर गांव में जाकर इन्हीं मजदूरों से पूछा जा सकता है कि अमुक दिनों में उन्हें रोजगार मिला था कि नहीं तथा रोजगार में कानूनी तौर पर तय उचित मजदूरी मिली थी या नहीं। इस तरह जो पंचायत के रिकार्ड में लिखा है, उसे मौके पर जांच कर पता लगाया जा सकता है कि यह खर्च का रिकार्ड ठीक है या फर्जी है। पंचायत या ब्लॉक के रिकार्ड में कागज देखे जा सकते हैं कि किसी नहर या सड़क या स्कूल के भवन के निर्माण का कार्य कब किया गया, इसमें कितना काम हुआ, कितना सीमेंट, ईंट आदि लगाया गया व मजदूरी सहित कुल कितना खर्च हुआ। फिर गांव में सड़क, नहर या स्कूल आदि निर्माणस्थलों की मौके पर जांच कर, आसपास के लोगों से बातचीत कर यह अच्छी तरह पता लगाया जा सकता है कि जो सरकारी रिकार्ड में दिखाया गया है, वह फर्जी है या सही।

इस तरह यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो बहुत प्रमाणिक तौर पर पता लगाया जा सकता है कि लगभग कितना भ्रष्टाचार हुआ है व किन कार्यों में हुआ है। इसके लिए गांववासियों के सहयोग से ही जांच की जानी चाहिए, उनसे वास्तविक खर्च के बारे में पूछना चाहिए व मौके पर जांच भी करनी चाहिए। इस कार्य को गांव के कुछ जागरूक लोग, कोई युवा समिति या महिला समिति, यहां कार्य करने वाला कोई सामाजिक संगठन या ये सब लोग मिल–जुलकर कर सकते हैं।

जब ऐसी जांच का कार्य पूरा हो जाए तो इसकी सूचना सरकार को दी जानी चाहिए व निश्चित अवधि में भ्रष्टाचार रोकने के लिए व भ्रष्टाचार का पैसा वापिस करने के लिए वसूलने की मांग करनी चाहिए। इस तरह की जानकारी सरकार को मिलने से विकास कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार को बहुत मदद मिलेगी।

गांववासी आवश्यकता पड़ने पर इस विषय पर एक जन सुनवाई का आयोजन भी कर सकते हैं। इस जन सुनवाई में गांव के सब लोगों को बुलाया जाएगा व विकास कार्यों संबंधी जो जानकारी सूचना के अधिकार के उपयोग व गांववासियों की अपनी जांच से प्राप्त हुई है, उसे सबके सामने रखा जाएगा। इस जन सुनवाई में उन व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवश्य बुलाना चाहिए जिनपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अधिकारियों, पत्रकारों व मीडिया प्रतिनिधियों को भी बुलाना चाहिए। फिर उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल की देखरेख में जन सुनवाई का काम चलना चाहिए। जांच से प्राप्त सभी तथ्य लोगों के सामने विस्तार से रखे जाएं। फिर उन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, जो इस बजट के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। फिर उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपने विचार लोगों के सामने रखें। खुले मंच पर साधारण ग्रामवासियों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। इस तरह इन तथ्यों को सबके सामने रख यह मांग उठानी चाहिए कि ग्रामीण विकास के जिस भी कार्य में धन का दुरुपयोग हुआ है, उसे विकास कार्य के लिए वापिस प्राप्त किया जाए एवं भविष्य में भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने के लिए असरदार कदम उठाए जाएं।

इसके अतिरिक्त यदि कोई भी विकास परियोजना या विकास कार्यक्रम, जो गांव को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित जानकारी भी गांववासी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संसद ने सूचना की स्वतंत्रता का जो कानून पास किया है, उसके अंतर्गत यह जानकारी सरकार को स्वयं गांववसियों तक पहुंचानी है, किंतु यदि यह जानकारी उन्हें नहीं मिलती है तो ग्राम पंचायत के स्तर पर भी यह जानकारी इस कानून के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। ❑

सी–27, रक्षा कुंज,
पश्चिम विहार
नई दिल्ली–110063

फसलों की किस्मों का विकास

पिछले तीन वर्षों में गेहूं की छः, कपास की पांच, गन्ने की आठ, चावल की तेरह, दालों की उन्नीस और तिलहनों की अट्ठाईस किस्में विकसित की गई हैं। इन नई किस्मों की उत्पादन क्षमता मौजूदा किस्मों के मुकाबले में 10 से 15 प्रतिशत अधिक है। गेहूं की किस्मों की उत्पादकता चार से पांच टन प्रति हेक्टेयर है जबकि चावल की उत्पादकता पांच टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ किस्मों में अनाज की गुणवत्ता में बेहतरी आई है। उदाहरण के लिए संकर एच–आर 1–120 किस्म का चावल उमदा है और संकर सुमंगला कपास में रेशे उच्च कोटि के हैं। इन कई किस्मों को प्रचलित और लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खेतों में प्रणाली का प्रदर्शन करती है। कृषि और सहकारिता मंत्रालय भी इस तरह के प्रदर्शन करता है ताकि नए बीजों के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध हो सके।

ग्रामीण महिलाएं भी कमा सकती हैं

☞ सुनीता प्रसाद

आजकल बढ़ती महंगाई में गृहस्थी का बोझ उठाना एक के वश की बात नहीं रही। पत्नी को भी पति के इस बोझ को उठाने के लिए बराबर की हिस्सेदारी निभानी पड़ती है और ऐसे में यदि आप की कहीं स्थायी नौकरी न हो या आप ज्यादा पढ़ी-लिखी न हों तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। पर अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो कुटीर उद्योग अपनाकर हल ढूंढा जा सकता है और आप अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देकर समृद्ध बना सकती हैं।

भारत का कुटीर उद्योग विश्व स्तर पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। एक तरफ कुटीर उद्योग हमारी संस्कृति को दर्शाता है, वहीं यह आय का प्रमुख स्रोत भी बनता जा रहा है। इक्कीसवीं सदी में देश के तेज गति से विकास के लिए कुटीर उद्योग जैसे हैंडलूम, प्राचीन कलाएं, कशीदाकारी इत्यादि की ओर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि बड़े उद्योगों से हमारे संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं इसीलिए भारत सरकार कुटीर उद्योगों में और सामूहिक भागीदारी की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

आजकल बढ़ती मंहगाई में गृहस्थी का बोझ उठाना एक के वश की बात नहीं रही। पत्नी को भी पति के इस बोझ को उठाने के लिए बराबर की हिस्सेदारी निभानी पड़ती है और ऐसे में यदि आप की कहीं स्थायी नौकरी न हो या आप ज्यादा पढ़ी–लिखी न हों तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। पर अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो कुटीर उद्योग अपनाकर हल ढूंढा जा सकता है और आप अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देकर समृद्ध बना सकती हैं।

कुटीर उद्योग अर्थात वह उद्योग जो छोटे स्तर पर या घर पर ही कम लागत पर शुरू किया जा सके। गांवों में लोगों को रोजगार देने में कुटीर उद्योग–धंधों की विशेष भूमिका रही है। खेतीबाड़ी व पशुपालन के साथ–साथ ग्रामीण छोटे–मोटे उद्योग–धंधों को अतिरिक्त आय का साधन बना लेते हैं। महिलाएं इन कामधंधों में अत्यधिक सहयोग करती हैं। टोकरी बनाना, चटाई बनाना, मिट्टी के बर्तन की रंगाई, टाई एंड डाई, मोम उद्योग आदि कितने ही काम गांवों की महिलाएं खाली समय में बातों–बातों में कर सकती हैं।

कुटीर उद्योगों के द्वारा ग्रामीण महिलाएं भी घर बैठे ही काम कर सकती हैं। इनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिन्हें शुरू करने के लिए ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं होती और ये उद्योग कम समय में भी शुरू किए जा सकते हैं।

यहां पर कुछ ऐसे कुटीर उद्योगों से परिचय कराया जा रहा है जिनके लिए आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और इन्हें बहुत ही कम लागत पर अपने घर पर ही आसानी से स्थापित किया जा सकता है।

कपड़े के ऊपर ब्लॉक छपाई

कपड़े के ऊपर ब्लॉक छपाई को कुटीर उद्योग के रूप में शुरू करने के लिए थोड़े से तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है।

सामग्री

1. ब्लॉक (छपाई के लिए)
2. लकड़ी की ट्रे (रंग रखने के लिए)
3. रैपिड रंग – 6–7 प्रतिशत
4. ग्लिसरीन – 5–6 प्रतिशत
5. यूरिया – 10 प्रतिशत
6. कास्टिक सोडा – 8 प्रतिशत
7. बबूल गोंद – 60 प्रतिशत
8. छपाई की मेज

रंग तैयार करना : रंग और यूरिया को मिलाकर ग्लिसरीन से पेस्ट बनाया जाता है। उसमें कास्टिक सोडा डालकर लगातार चलाते रहिए जब तक रंग आपस में घुल न जाए। फिर गरम पानी डालिए। ठंडा होने पर उसमें बबूल गोंद डालकर खूब अच्छी तरह मिलाइए। फिर इसे छपाई की ट्रे में डाल दें।

कपड़ा तैयार करना : मांडरहित कपड़े पर ही छपाई की जाती है। कपड़े को अच्छी तरह खींचकर छपाई मेज पर बिछाकर चारों कोनों पर पिन लगाया जाता है ताकि छपाई करते समय कपड़ा सीधा रहे।

छपाई : ब्लॉक की रंग को ट्रे में दबाकर ब्लॉक में रंग लिया जाता है। ब्लॉक को कपड़े पर ठप्पे की तरह दबाकर ठप्पा मारिए। इस प्रकार बार–बार ठप्पा मारकर छपाई की जाती है। सबसे पहले बाहरी रेखा की छपाई होती है। प्रिंट में जितने रंग हों उतने ही ब्लॉक की आवश्यकता होती है। छपाई के बाद कपड़े को स्टीम (भाप) में पकाया जाता है जिससे रंग पक्का हो जाता है।

टाई एंड डाई

सामग्री : कपड़ा रंगने वाला रंग, नमक, फिटकरी (चमक लाने के लिए), कपड़ा जो आपको रंगना है, धागा, मटर छोला, दाल जो भी आप कपड़े पर बांधना चाहती हैं।

विधि : सर्वप्रथम कपड़े पर पेंसिल या चाक से डिजाइन बना लें फिर उसके ऊपर मटर, दाल या जो भी आप बांधना चाहती हैं उसे मजबूत धागे से कसकर बांध लें। कपड़े के हिसाब से पानी लेकर उसे गर्म कर लें तथा दूसरे बर्तन में ठंडे पानी में एक–दो चम्मच रंग आवश्यकतानुसार घोल लें और गर्म पानी में मिला लें। अब नमक मिलाकर चला दें। फिर फिटकरी को कपड़े में बांधकर चला दें। रंग की तीव्रता को किसी पुराने कपड़े पर देख लें, फिर कपड़ा रंगें। यदि आप कपड़े के रंग को और पक्का करना चाहती हैं तो एक–दो चम्मच डाई फिक्सर जो बाजार में मिलता है, सादे पानी में घोलकर कपड़ा उसमें डालकर निकाल लें। वैसे नमक भी इसीलिए डाला जाता है। अब यदि आप कपड़े को एक रंग में रंगना चाहती हैं तो रंगे हुए कपड़े को सूख जाने दें। उस पर फिर से दाल आदि बांधें तथा दूसरा रंग बनाकर रंग लें। हां, एक बात का ध्यान रखें, दूसरे रंग में रंगते समय पहली बार बांधी गई गांठें न खोलें। कपड़ा सूखने के पश्चात गांठें खोल दें। इस प्रकार एक डिजाइन तैयार है।

एप्लीक वर्क

एप्लीक वर्क बिहार की प्राचीन कला है और बहुत ही आसान कार्य है। नए या बचे हुए कपड़े को डिजाइन के अनुसार काटकर जिस कपड़े पर एप्लीक करना है उस पर किनारा मोड़कर हेम कर दिया जाता है। डिजाइन के अनुसार दो या तीन रंग का उपयोग कर सकते हैं। इससे एप्लीक की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। आप एप्लीक से बना हुआ वॉल हैंगिंग, बिस्तर की चादर, पर्स आदि तैयार कर सकती हैं।

मधुबनी पेंटिंग

मिथिला/मधुबनी पेंटिंग का काम बहुत–ही कम लागत पर अपने घर पर ही आसानी से किया जा सकता है। मिथिला पेंटिंग को कुटीर उद्योग के रूप में शुरू करने के लिए थोड़े से तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए नीचे दिए सामानों की आवश्यकता है :–

सामग्री : हैंडमेड पेपर/सूती कपड़ा/सिल्क कपड़ा, रंग (पोस्टर या फेवरीक रंग), कलम (नीव वाली), मेज।

मिथिला पेंटिंग करने के लिए हैंडमेड पेपर/सूती कपड़ा/सिल्क कपड़ा को खींचकर मेज पर बिछाकर चारों कोनों पर पिन लगाए जाते हैं ताकि छपाई करते समय कपड़ा/पेपर सीधा रहे। फिर निम्न चित्रण को कलम की सहायता से रंग किया जाता है।

चित्रण : अरिपन, कोहबर, विवाह, द्विरागमन, मुंडन, उपनयन आदि उत्सवों के साथ ही रामायण, महाभारत के विभिन्न पात्रों तथा राधाकृष्ण की विभिन्न भंगिमाओं का चित्रण प्रमुखता से किया जाता है। मछली, पान, मखान एवं अन्य अनेक प्रतिमानों के रूप में मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता एवं चिंतन की धाराएं अभिव्यक्त होती हैं।

मिथिला चित्रकला में वस्तुओं की साज–सज्जा के साथ रंगों का प्रमुख स्थान है। चित्रांकन के लिए प्रयुक्त रंग मुख्यतः प्राकृतिक होते हैं एवं निकटस्थ वृक्ष वनस्पतियों से प्राप्त हो जाते हैं।

पेटीकोट की सिलाई

आजकल साड़ी के साथ मैचिंग पेटीकोट प्रचलित है। पेटीकोट की सिलाई भी बहुत आसान है। एक साथ दर्जन के हिसाब से पेटीकोट सिलाई करके रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सप्लाई किया जा सकता है। साधारणतया पेटीकोट के लिए 2 से 2.25 मीटर कपड़े की जरूरत होती है।

पेटीकोट की कटाई इस प्रकार करें : कपड़े की चौड़ाई से 5 इंच कपड़ा कमर पट्टी के लिए पहले ही निकाल लें। पूरी लंबाई में कपड़े की दो तह करें। दो तह किए हुए कपड़े को अर्ज में चार तह कर लें। अब कली के लिए किनारे से 6–7 अंगुली (या 4–5 इंच) नापकर पेंसिल से दाग लगाएं। उल्टी तरफ दूसरे किनारे पर इसी तरह दाग लगाने के बाद कपड़ा मध्य से तिरछा मोड़कर काट लें। चार पतली कली और दो बड़ी कली निकलेंगी। कली का तिरछा कोना थोड़ी–थोड़ी–सी गोलाई में काटें, (चौड़ी साइड में)।

सिलाई : बीच में आगे और पीछे बड़ी कली रहेंगी तथा दो–दो पतली कली दोनों साइड में लगती हैं। मध्य बड़ी कली में पतली कली की तिरछी कटान वाला भाग जोड़ें। नीचे मोड़कर सिलाई करें। ऊपर कमर की पट्टी (नेफे) जोड़ें।

मिट्टी के बर्तनों की रंगाई

सामग्री : मिट्टी के बर्तन, पेंट, ब्रश, पानी, बाल्टी।

चित्रकारी के लिए सामग्री : सफेदी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया का चूरा व वार्निश।

सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन को किसी कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। फिर यदि उस पर चित्रकारी करना चाहें तो ऊपर लिखी चित्रकारी की सामग्री को निम्न प्रकार से मिलाएं :

प्लास्टर ऑफ पेरिस – दो भाग

खड़िया का चूरा – एक भाग

दोनों को अच्छी तरह मिलाकर वार्निश से आटे की तरह गूंथें।

सने हुए मिश्रण के आधे भाग के बराबर सफेदा मिला लें। अब आप इस मिश्रण से जिस भी तरह की चित्रकारी जैसे फूल–पत्ती आदि बना सकते हैं। फिर बनी हुई चित्रकारी को गोंद या फेविकोल द्वारा बर्तन पर चिपका दें। अब इस बर्तन को थोड़ी देर सूखने दें।

सूख जाने के बाद पूरे बर्तन को किसी एक रंग में रंग दें। फिर यदि चाहें तो ब्रश द्वारा ही अन्य रंगों से उस पर मनचाहा रंग कर सकती हैं। पर यदि आप किसी कारणवश ब्रश से रंग करने में असमर्थ हों तो एक बाल्टी में आधी बाल्टी पानी भर लें। अब इसमें चारों ओर घुमाते हुए रंग या पेंट डालें। अब इस बाल्टी में बर्तन डालकर चारों ओर गोल घुमाएं। इस प्रकार उसपर रंग अपने आप चढ़ जाएगा। फिर इसे उठाकर किसी उचित स्थान पर, जहां पर उसको कोई नुकसान न हो, सूखने रख दें। जब यह सूख जाए तब आप अपने बर्तन को तैयार समझें।

मशरूम की खेती

महिलाएं घर में बैठकर मशरूम की खेती कर सकती हैं। मशरूम कम लागत में एक अधिक लाभदायक सब्जी है। धान या गेहूं के पुआल को छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर गरम पानी में डुबोकर रोग के कीड़ों से मुक्त करा लिया जाता है। उसके बाद उसमें 5 प्रतिशत बेसन और 5 प्रतिशत आटे का चोकर मिलाकर डाला जाता है और उसमें ओएस्वार मशरूम (घिंगरी) का सिडी किया जाता है। इस तरह पूरे पिंड या ढेर को किसी ट्रे या बैग या सेल्फ में डालकर पोलीथीन से कवर कर दिया जाता है। इस तरह 25–30 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है। प्रथम कटाई के 7–10 दिनों बाद दूसरी बार एवं तीसरी बार कटाई कर सकते हैं। सितंबर से फरवरी–मार्च महीना तक इसकी खेती का उपयुक्त समय है। इसमें 20–40 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। एक किलोग्राम पुआल से एक किलोग्राम मशरूम मिल सकता है। शेष बचे हुए अवशेष का खेत में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मशरूम का अचार भी बनाकर बिक्री किया जा सकता है।

मशरूम का अचार

सामग्री

1. मशरूम (कटे हुए)– 1 किग्रा.
2. जीरा – 12 ग्रा.
3. मेथी दाने – 12 ग्रा.
4. धनिया सूखी – 12 ग्रा.
5. हल्दी पिसी – 7 ग्रा.
6. सरसों पिसी – 10 ग्रा.
7. हरी मिर्च – 20 ग्रा.
8. सफेद सिरका – 2 कप या 350 मिली.
9. नमक – 30 ग्रा.
10. तिल का तेल – 350 मिली.

विधि : तैयार मशरूम को 150 मिली. तेल में नमक डालकर स्टील के भगौने में हल्की आंच पर 20–30 मिनट पकाकर उतार लें। एक कढ़ाई में जीरा व धनियां सूखा ही भूनकर पाउडर बनाएं और उसको हल्दी व सरसों पाउडर के साथ मिलाकर अचार का मसाला तैयार करें। अब हरी मिर्च को बीच से चीरकर उसको 100 मिली. तेल में हल्का तलें और फिर उसमें पका मशरूम एवं सभी मसाले भली प्रकार मिलाएं। अंत में सफेद सिरका डालकर उबालें, उबाल आने पर नीचे उतारकर गरम–गरम ही बोतल में भरकर रख लें। शेष बचे तेल को गरम करके ठंडा करने के बाद बोतल में इतना डालें कि अचार उसमें डूब जाए। अब ढक्कन कसकर बंद कर दें। इसे आप चाहे जितने समय तक सुरक्षित रखकर उपयोग में ला सकती हैं।

मोम उद्योग

सामग्री : आधा किलोग्राम मोम खिलौने के अनुसार लगाने के लिए तेल और मनचाहे आकार का सांचा, डोरा।

विधि : सर्वप्रथम मोम को पिघला लीजिए, खिलौने में तेल लगा लीजिए और उसमें पूरे में डोरा डाल दीजिए। पिघली हुई मोम को धीरे–धीरे सांचे में ढाल दीजिए और बिना हिलाए उसे जमने के लिए रख दें। जब जम जाए तो किसी धारदार वस्तु से जैसे कैंची या ब्लेड से काटकर निकाल दीजिए।

सावधानियां : पानी की बाल्टी हमेशा अपने पास रखें और हमेशा धारदार वस्तु से ही काटें।

किचन गार्डनिंग

कुपोषण हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं कुपोषण का शिकार ज्यादा होती हैं। कुपोषण से बचने के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय यह है कि दैनिक आहार से साग एवं पत्तीदार सब्जियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाए। इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज लवण तथा विटामिन 'ए' प्राप्त होता है। इनके खाने से विभिन्न बीमारियों से बचा जा सकता है।

अपने आसपास की थोड़ी जमीन में भी हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, सरसो, धनियां, अरबी, पत्तागोभी, पुदीना आदि जरूर उपजाएं। इससे कम मेहनत एवं कम साधन में आपको हमेशा स्वास्थ्य बढ़ाने वाला भोजन मिलता रहेगा। अधिक उपज होने पर इसे बाजार में बेच सकती हैं एवं आय का स्रोत बढ़ा सकती हैं। गांवों की नदी के किनारे सीकी उग आती है। उसे आप सुंदर रंगों में रंग कर डलिया, चटाई वगैरह बनाकर शहरों में बिक्री कर सकती हैं।

इस प्रकार आपने देखा कि इस तरह के उद्योग बिना किसी ज्यादा आर्थिक सहायता या थोड़ी–बहुत सहायता के किए जा सकते हैं तथा घर बैठे ही आप अच्छी आय प्राप्त कर सकती हैं।

यदि आप आर्थिक सहायता चाहती हैं तो खादी ग्रामोद्योग आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, को–आपरेटिव संस्थाओं और बैंकों द्वारा भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समाज कल्याण बोर्ड विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय अनुदान देता है। ❑

(लेखिका गृह विज्ञान महाविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार से संबद्ध हैं।)

सॉलिटेरियन

☞ अभिषेक पाटनी

सुबह–सुबह ही टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। आरती अभी नहाकर पूजा ही करने जा रही थी। मधुरेश का फोन था। उन्होंने समारोह में जाने का आग्रह किया है। वह उसके साथ जाना चाहते हैं और उसे वहां एक 'सरप्राइज' भी देंगे। आरती ने आग्रह स्वीकार किया और पूजा करने चली गई। आज नगर प्रमुख उसके सम्मान में समारोह आयोजित कर रहे हैं। गत सप्ताह उसे सर्वोत्तम गैर–सरकारी संगठन के संचालक होने का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में।

खैर, मधुरेश ठीक समय पर ही पहुंच गए। उनके हाथ में एक सजा हुआ पैकेट था जो बाहर से किसी गिफ्ट पैक की तरह दिख रहा था। दोनों एक ही कार से समारोह स्थल पर पहुंचे। आरती को समारोह उम्मीद से ज्यादा ही भव्य प्रतीत हुआ। शहर के सांसद के अतिरिक्त कुछ मंत्रीगण व वरिष्ठ राजनेता, अधिकारी भी मौजूद दिख रहे थे। पत्रकारों–छायाकारों की भी अनापेक्षित भीड़ उसे नजर आई। वह कार से उतरी, उसे आयोजकगण ससम्मान मंच की ओर ले गए। मधुरेश भी साथ थे। सम्मानित करने की प्रक्रिया के मध्य में ही मधुरेश ने शहर के सांसद से मंच पर आकर एक पुस्तक का विमोचन कराया। पुस्तक का नाम था– *सालिटेरियन* और यह मधुरेश रचित पुस्तक आरती के जीवनवृत्त का संकलन थी। उसकी एक प्रति मधुरेश ने आरती को भी पकड़ा दी। चूंकि *सालिटेरियन* उसके गैर–सरकारी संगठन का नाम भी था अतः उसने उत्सुकतावश उसे खोला। अंदर पहले पृष्ठ की कुछ पंक्तियां ही उसने पढ़ीं। यह कहानी विलियमन वर्डस्वर्थ की 'सॉलिटरी रीपर' की कहानी से कहीं ज्यादा नैसर्गिकता व सुंदरता लिए हुए है, यह कहानी... इन पंक्तियों को ही वह पढ़ पाई थी कि एक–एक करके जीवन की सारी स्मृतियां एकदम से सजीव हो उठीं।

जब उसने होश संभाला था तो परिवार में सिर्फ मां शीला मुर्मू और पूजा दीदी थी। मां बताती है उनका पुराना घर रेलवे क्रासिंग के पास हुआ करता था। सरकार ने जब रेल की पटरियां बिछवाने का काम शुरू करवाया तो सभी विस्थापितों को जमीन देने के अतिरिक्त हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी थी। इस तरह उसके पिता चंदू मुर्मू एक दिहाड़ी मजदूर से रेलवे में लाईनमैन हो गए। यह सब पूजा दीदी के जन्म के बाद हुआ था इसलिए उसे वे हमेशा प्यार से लक्षमिनियां कहकर पुकारते थे और उसके जन्म के तो एक ही वर्ष बाद एक रेल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई इसलिए उसे लोगों की बड़ी उपेक्षा सहनी पड़ी। मुआवजे की राशि तो तुरंत नहीं मिली पर गांव के लोगों की मदद से पेंशन जल्द शुरू हो गई। फिर किसी ने सलाह दी और मां ने पूजा दीदी और मुझे गांव के प्राथमिक विद्यालय में भेजना शुरू कर दिया।

हमारे गांव में सभी लोग शिक्षित भले ही नहीं थे पर उनमें सामूहिकता का गुण जरूर था। वे एक–दूसरे की खुशियां बांटें–न–बांटें दुःख बांटने जरूर आते और यथासंभव हर कोई मदद करता। शायद इसी सब–कुछ ने मुझे इतना बाध्य कर दिया कि मैं अपने इस गांव को छोड़कर कहीं न जा सकी और जैसे–जैसे समय बीता, हमारा गांव शहर के बीचों–बीच उसी नाम का मोहल्ला बनकर उभर गया और आज यह शहर का सबसे विकसित हिस्सा है।

विद्यालय में मैं जहां खेलकूद में अव्वल रहती, दीदी पढ़ाई में। दीदी के आठवीं कक्षा में आते ही मां उसके ब्याह की बात करने लगी थी, मैं तो सिर्फ छठे दर्जे में ही थी। मुझे इन विषयों में अभी जानकारियां कम थीं। मां के पास रोज कोई–न–कोई रिश्ता लेकर चला ही आता था पर उसे कोई रिश्ता शायद जंच नहीं रहा था। इसी क्रम में दीदी ने दसवीं की परीक्षा पास कर ली और मैं भी

आठवें दर्जे में पहुंच गई। मुझे अब दुनियादारी थोड़ी–बहुत समझ में आने लगी थी। आर्थिक परेशानियां तो लगी ही रहती थीं और मां अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन जल्द कर लेना चाहती थी। इस बार दीदी के लिए जो प्रस्ताव आया था वह मां के साथ–साथ दीदी को भी पसंद आया था। शायद वे लोग दीदी के शिक्षित होने के कारण प्रभावित थे और बिना किसी मांग के ब्याह को तैयार थे। राजेश रेलवे में ही फिटर थे और दीदी को रोज आते–जाते देखा करते थे। ट्रेनिंग खत्म हो नौकरी तुरंत लगी थी और ब्याह का प्रस्ताव भेज दिया। ब्याह हो गया।

शुरू में कुछ दिन सब कुछ सामान्य चलता रहा। इधर मैंने भी पढ़ाई से ज्यादा खेल में रुचियां बढ़ा रखी थीं और शहर जाकर प्रशिक्षण लेने की सोच रही थी क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अच्छे खिलाड़ी को खाने–कपड़े के अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती थीं। पर मां ने मेरे ब्याह की बात चलाने की तैयारी कर ली थी और गांववालों की मदद से वह पिताजी के मुआवजे की रकम निकालने के लिए जोर–शोर से लगी थी क्योंकि सारी जमा–पूंजी तो उसने अपनी लक्ष्मिनियां के ब्याह पर खर्च कर दी थी। छः महीने की अथक भागदौड़ के बाद चंद पैसे उसके हाथ आ लगे थे। मैंने अभी दसवीं भी नहीं की थी और वह मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने इस तर्क पर उसे रोका कि दीदी का ब्याह दसवीं के बाद हुआ था।

दीदी की ससुराल में जब मुआवजे की रकम की बात पहुंची तो उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखीं। यह मां के लिए अप्रत्याशित था। उसने अपनी स्थिति साफ की पर वे लोग अड़ गए थे। एक दिन राजेश ने दीदी को उसके नवजात बच्चे के साथ घर पर पहुंचा दिया। मां बड़े पशोपेश में थी। मैंने मां से अपनी आगे की पढ़ाई शहर में जाकर पूरी करने की बात कही और ब्याह से इंकार करते हुए दीदी के ससुराल वालों की मांग पूरी करने को कहा। मां कई दिनों तक रात में सो न सकी। जब मैंने शहर के विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया, दीदी की स्थिति का बहाना किया और उसके अकेले होने का भय दिखाया तब जाकर कहीं उसने अनमने ढंग से कुछ रुपयों से ससुराल वालों की मांग पूरी कर दीदी को वापस भेजा।

बाकी पैसों से मैं शहर आ गई। यहां आई तो थी पढ़ने पर दाखिला कॉलेज के साथ–साथ हाकी के प्रशिक्षण शिविर में भी ले लिया। निःसंदेह मैं इसी प्रयोजन से आई थी। मैं हर छुट्टी में घर चली आती थी। कई बार तो शनिवार व रविवार को भी क्योंकि हमारा गांव शहर से बिल्कुल ही सटा था। मेरा चयन राजकीय टीम में हो गया और अब मैं शहर के स्टेडियम में प्रशिक्षण हेतु जाने लगी थी। यहीं पर मधुरेश प्रशिक्षक (कोच) थे। अब अभ्यास बहुत नियमित और कठिन होता जा रहा था। अतः घर लौटने का अंतराल बढ़ता गया, इसी बीच गांव से एक दिन खबर आई कि दीदी प्रसव के दौरान गुजर गई।

ब्याह के चौथे वर्ष में ही तीन–तीन प्रसव, वह भी अपरिपक्व उम्र में! मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं बेतहाशा गांव पहुंची। मां तो पहले से ही बेहाल थी और कुछ ही दिनों बाद राजेश ने नवजात समेत तीनों बच्चों को मां के पास पहुंचा दिया। दो बड़ी लड़कियां थीं और एक लड़का। हम दोनों हतप्रभ थे। मैं कुछ दिन और घर पर रही स्थिति सामान्य करने की कोशिश में। मां दिनभर बच्चों के साथ लगी रहती। सबसे बड़ी समस्या नवजात के साथ थी, उसका बोलना बहुत कम हो गया।

अजीब–सी बेचैनी लिए मैं जब शहर लौटी तो देखा मधुरेश परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं का दौरा होने को था और मैं गायब रही, अभ्यास भी नहीं किया। सबका नाम भेजा जा चुका था। मेरी गैर–मौजूदगी ने शायद सब कुछ चौपट कर दिया था। इस समय मैं इन बातों से बिल्कुल अप्रभावित थी। मेरे दिमाग में बहुत–कुछ चल रहा था। उस घटना ने मुझमें अजीब जज़्बा भर दिया था। मैंने सब कुछ सुनकर चुपचाप अपना अभ्यास शुरू कर दिया और नियमित हो गई।

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की टीम निर्धारित तिथि से दो दिन पहले पहुंच गई और बगैर अधिकारियों से मिले वे सीधे अभ्यास मैदान पर पहुंच गए। हम सब अपने खेल में मशगूल थे। इधर उनके आने की खबर सुनकर अधिकारीगण मैदान की ओर भागे। उन्होंने तीन लड़कियों के चयन में जब अप्रत्याशित रूप से आरती मुर्मू का नाम पुकारा तो एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मैं न सिर्फ राष्ट्रीय टीम में चुनी गई बल्कि उस वर्ष मैंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मेरा लक्ष्य अपने कुनबे को बिखराव से बचाव के लिए एक नौकरी पाना भी था। मुझे खेल कोटे से रेलवे में नौकरी भी मिल गई।

स्थिति दिन–प्रति–दिन सामान्य से बेहतर होने लगी। दीदी के बच्चे बड़े होने लगे। अब मां ने मुझसे मेरे ब्याह के बाबत पूछा तो मैंने मना कर दिया और कभी ब्याह न करने का फैसला उसे बड़ी कठोरता से सुना दिया। मेरे तर्कों के आगे वह विवश तो हुई, पर घोर निराशा में भी डूब गई। खैर, मुझे जो कहना था, समझाना था, मैंने समझा दिया था।

मुझे अब रेलवे का सरकारी क्वार्टर मिल गया था। आर्थिक कठिनाइयों का बुरा दौर गुजर गया था। मेरे लिए मेरा परिवार था मां और पूजा दीदी के तीनों बच्चे। इसके अतिरिक्त मैंने अपने गांव, जो अब धीरे–धीरे कस्बायी रूप ले चुका था, के लिए कुछ करने का मन बनाया। इस बार जब मैं वापस शहर आई तो एक वाकये से सामना हुआ। मेरे प्रशिक्षक मधुरेशजी ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख मुझे हतप्रभ कर दिया। कई मौकों पर मैंने उनका सहानुभूतिपूर्ण रवैया अनुभव जरूर किया था पर मैं उनकी इज्जत एक प्रशिक्षक के तौर पर करती थी। ये अलग बात है कि कई बार उनसे अपने और उनके पारिवारिक विषयों–मुद्दों पर विशेष बातचीत हुई थी। मैंने बड़ी नम्रतापूर्वक उनके आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने वजह जानने की कोशिश की। मैंने बड़े सहज शब्दों में उनसे पूछा था कि "सर हो सकता है आपने जिंदगी को देखा हो, पर कभी इसके अन्य पहलुओं से मुलाकात की है? कभी भूख को करीब से देखा है? गरीबी को? मौत को? मैं तो शायद उबर रही हूं, पर मेरे गांव में अभी भी कई लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। मैं दूसरी आरती मुर्मू के जीवन के दर्द को कम करना चाहती हूं किसी पूजा दीदी को उसके बच्चों से अलग नहीं होने देना चाहती हूं और किसी शीला मुर्मू को शिक्षा के अभाव में दर–ब–दर की ठोकरें खाने से बचाना चाहती हूं।" इतनी बातों को मधुरेश बड़े गौर से सुनते रहे और चले गए। शायद उन्होंने भी कुछ फैसला किया था।

मैं अगले छः वर्षों तक लगातार देश के लिए खेलती रही और अपने गांव 'चकारम' आती रही। वहां के लोगों को मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कुछ बच्चों को अपने खर्चे पर प्रशिक्षण शिविरों में रखवाया। आखिरी दो वर्ष मैं राष्ट्रीय टीम की कप्तान भी रही। मेरे गांव के लोगों को मेरी उपलब्धियों पर गर्व होता। वे मेरी हर सलाह को आदेश के रूप में मानने लगे। खेल से संन्यास लेने के बाद मैंने पूरी तरह से अपना समय गांव को समर्पित किया। रेलवे की नौकरी करते हुए मैंने इस संस्था की नींव रखी। लोगों को इससे जोड़ा। कई आसपास के गांववाले भी इस संस्था से जुड़े। इस संस्था ने देश को अब तक कई अच्छे अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं और सबसे बड़ी बात–हर किसी में वही प्रतिबद्धता मैंने पैदा की। सारे–के–सारे युवा बच्चों में उत्कृष्ट बनने की वही अजीब ललक उनकी आंखों में दिखती है।

मेरे इन कामों से शुरू में कई नेताओं को बड़ी तकलीफ भी हुई, कितनों ने धमकियां भी दिलवाईं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर यह साफ किया कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। भविष्य में, और उन्हें भी अपनी मदद के लिए तैयार किया। सबके अथक प्रयास से आज हमारा गांव चकारम, चकारम मोहल्ले में बदल चुका है– शहर का सबसे विकसित मोहल्ला।

अपना भाषण खत्म कर आरती ने बैठना ही चाहा कि किसी पत्रकार ने संगठन के नाम का औचित्य पूछा। आरती ने कहा– सॉलिटेरियन का यूं तो शाब्दिक अर्थ होता है 'अकेले रहने वाला', मैंने जब यह संगठन शुरू किया था तो मैं बिल्कुल ही अकेली थी। किंतु यहां इसका अर्थ गूढ़ है और इसके कई अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। जैसे हमारी संस्था देश की अनूठी संस्था है। इसके अनूठेपन के साथ यह नाम बखूबी मेल खाता है। गूढ़ार्थ यह कि जब एक टीम को खेलना होता है तो उसका हर खिलाड़ी अपने स्वयं के खेल को निखारने के लिए गहन आत्ममंथन करता है। हर खिलाड़ी के बेहतर खेल से टीम विजेता का ताज पहनती है और विजेता हमेशा एक ही होता है– सॉलिटेरियन! ❑

क्वार्टर नं. 12,
रोड नं. 3, श्रीकृष्ण नगर,
पटना–800001

प्रेरक प्रसंग

विलक्षण सहृदयता

विद्यार्थी जीवन में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाले, राष्ट्रभक्तों तथा महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम गिने जाने वाले डा. राजेंद्र प्रसाद बाबू सीधे, सरल तथा संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे तथा नम्रता और क्षमाशीलता की साकार मूर्ति थे।

एक बार रात्रि के समय राजेन्द्र बाबू ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरे। वह अपने सामान की गठरी बगल में दबाकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय पहुंचे और स्टेशन मास्टर से अनुरोध के स्वर में बोले, "श्रीमान, मुझे एक जरूरी फोन करना है?"

स्टेशन मास्टर ने आंख उठाकर देखा– उसके सामने खादी की धोती, सफेद कुर्ता तथा टोपी पहने, दुबला–पतला सांवले रंग का बड़ी–बड़ी घनी मूछों वाला एक देहाती खड़ा था। उसे उस देहाती का अपने कार्यालय में आना अखरा। उसने बड़े रौब से डांटते हुए कहा, "कौन हो तुम? क्यों फोन करना है?"

राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना परिचय देने के लिए कहा, "राजेंद्र प्रसाद...।" आगे वह कुछ कह पाते कि उसने उन्हें डांटते हुए कहा, "राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लेकर मुझपर रौब गांठने की जरूरत नहीं है। तुम फोन नहीं कर सकते, चले जाओ यहां से।"

इस प्रकार स्टेशन मास्टर ने उन्हें फोन नहीं करने दिया। वह भी संकोच करते हुए स्टेशन मास्टर को यह बताए बिना बाहर आ गए कि जिस राजेंद्र प्रसाद का नाम तुम सम्मान से ले रहे हो, वह तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है।

यही संकोची डा. राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 'देशरत्न' कहलाए।

एक बार डा. राजेंद्र प्रसाद जी को किसी ने हाथीदांत का बना फाउंटेन पेन उपहार में दिया। वह उन्हें बहुत प्रिय था और अपना लेखन कार्य प्रायः उसी से किया करते थे। एक बार उनका सेवक तुलसी उनकी मेज साफ कर रहा था। उसकी असावधानी से वह फाउंटेन पेन नीचे गिरकर टूट गया। उसकी स्याही भी नीचे बिछे कालीन पर फैल गई। तुलसी इस प्रकार की असावधानियां पहले भी कर चुका था और राजेंद्र बाबू उसे कई बार चेतावनी भी दे चुके थे। इस बार उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और तुलसी को अपने पास से हटाकर राष्ट्रपति भवन में ही दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सचिव ने तुरंत उसका पालन किया।

उसके चले जाने पर उन्हें लगा कि उन्होंने उसके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया है। वे कुछ अनमने से हो उठे। संध्या में उन्होंने तुलसी को बुलाया। वह घबराया हुआ आया कि कहीं कोई और सजा न भुगतनी पड़े, लेकिन बाबूजी तो स्वयं को अपराधी मानते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने दीनभाव से कहा, "तुलसी, मुझे क्षमा कर दो!"

बाबूजी के इस व्यवहार से वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया। प्रयत्न करने पर भी उसका मुंह न खुला। बाबूजी पुनः दोहराने लगे, "भैया, माफ कर दो!" बड़ा विचित्र दृश्य था। एक ओर भारत के राष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े थे और दूसरी ओर मूक बना उनका सेवक!

राजेंद्र बाबू के बार–बार क्षमा कर दो कहने पर तुलसी की आंखों में आंसू भर आए और उसे रुंधे कंठ से कहना ही पड़ा, "क्षमा किया।" ये शब्द सुनकर ही बाबूजी को संतोष हुआ और उन्होंने तुलसी को पुनः अपने पास बुला लिया। ❑

प्रस्तुति : हरनारायण "महाराज"
वीरांगना अवंतीबाई इंटर कालेज,
एवनी–(झांसी) उ.प्र.–284204

सहेली

निम्मी श्रीवास्तव

सूरज सिर पर लाल सहेली,
निद्रा से अब जाग सहेली।

सुख औ' दुःख दोनों से ही,
धीरज–धर्म न छोड़ सहेली।

यह सृष्टि है प्यारी–प्यारी,
मन की आंख से देख सहेली।

बदनियती सबको लूटेगी,
कुछ न बचेगा मान सहेली।

शब्द दूर तक पीछा करते,
सोच–समझकर बोल सहेली।

सुव्यवहार ही सही गवाह,
दिए सदा है साथ सहेली।

विषवाणी तो बाण समान,
मृदुवाणी तो मित्र सहेली।

पग–पग पर ही बाधाएं हैं,
कर्मठता से जीत सहेली।

अनहोनी जो नहीं सामने,
सोच उसे न हार सहेली।

मन के हारे हार समझना,
मन के जीते जीत सहेली।

स्वार्थ से रिश्ता भी क्या रिश्ता,
इस कीचड़ से निकल सहेली।

दीन–दुखी की सेवा जप–तप,
ईश वंदना जान सहेली।

क्षमादान ही उत्तम दान,
कभी तो देकर देख सहेली।

कर्म करो यही हाथ तुम्हारे,
कहीं न फल तू जांच सहेली।

मन की ईर्ष्या अग्नि समान,
कभी न भीतर पोस सहेली।

जब जन सबका सुख सोचेगा,
देश तो स्वर्ग समान सहेली!

2/7, कुटरा कॉलोनी,
फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश

हुई प्यार की जीत

डा. राजीव गुप्ता

बारिए दीपक ज्ञान का, जाए अंधेरा दूर।
सबकी आंखों में दिखे, एक ज्ञान का सूर।।
जीवन विष का घूंट है, जीवन अमृतपान।
जैसा जिसने है जिया, जैसी की पहचान।।
पीले पत्ते झड़ गए, रहीं कोपलें फूट।
नाश और नवसृजन का, रिश्ता बड़ा अटूट।।
घृणा की बदरी छंटी, हुई प्यार की जीत।
आखिर कांटों ने रचा, एक फागुनी गीत।।
प्यार गीत है हृदय का, मन का है संगीत।
प्रीत–प्यार से आदमी, सबको लेता जीत।।

5/11, बाग कूंचा
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश–209625

दीये जलाओ प्यार के

अवध किशोर सक्सेना

दीये जलाओ प्यार के, द्वेष–तिमिर हो दूर।
कदम मिलाकर चलें सब, उन्नति हो भरपूर।।
दीप सत्य का न्याय का, करो प्रज्जवलित मीत।
सब विकास भागी बनें, न कहीं अनीत।।
विद्या के तुम दीप से, करो अविद्या क्षार।
अनपढ़ कोई न रहे, खुले ज्ञान का द्वार।।
अहं भाव का दीपक, कुंठित करे विवेक।
मत दो उसको पनपने, है सलाह यह नेक।।
यदि विनम्रता का सखे, दीपक लिया उजाल।
जीवन की हर सफलता, चूमेगी तब भाल।।
श्रम का दीपक जलाकर, करो लगन से काम।
जब तक मिले न सफलता, करो नहीं आराम।।
अगर आचरण का दीया, आलोकित हो जाए।
मान–प्रतिष्ठा की ध्वजा, जग में फहराए।।
देश, जाति की सेवा का, है दीप अमोल।
करो प्रज्जवलित अगर तुम, सुखद बने यह लोक।।

सरस्वती विहार, रायजी निकेतन
गाड़ीखाने के पास, दतिया (म.प्र.)

गांवों में हरियाली है

नितेश

थोड़े से गम भी हैं लेकिन
अपरिमित खुशहाली है
आकर देख परदेसी अब भी
गांवों में हरियाली है।
नगर में रहकर गांव भूला
शहरी तू कहलाता है
सच पूछ गांव में अब भी
याद किया तू जाता है।
कैसे भूला बूढ़ा पीपल
कैसे भूला आम की छांव
कैसे भूला संगी–साथी
कैसे भूल गया रे गांव
बिजली भी आती है अब
फोन भी घनघनाता है
डाकिया तो चिट्ठी लेकर
पहले से ही आता है।
पर न आती तेरी खबर
ना कभी तू आता है
जड़ को छोड़ पौधा भला
जीवित कैसे रह पाता है
बहुत दिया इस गांव ने तुझको
तुझको भी फर्ज निभाना है।
पिछड़ गया जो विकास दौड़ में
आगे उसे बढ़ाना है।
बड़ा है तू मानूंगा फिर मैं
पहले बड़प्पन दिखलाना होगा।
खुशियों की सौगात लिए
गांव में तुझको आना होगा!

ग्राम–रामनगर
पो.–सांढ़ा, जिला–छपरा

युवाओं के लिए विकास योजनाएं

☞ चन्द्रेश कुमार

युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति की वह धुरी होता है जो कई चुनौतियों से लड़ते हुए देश व समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यूथ क्लबों को वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि देशभर में कई यूथ क्लब इन दिनों सक्रिय हैं लेकिन उचित दिशा–निर्देश के अभाव में इनका स्वरूप इतना व्यापक नहीं बन पाया है जितना कि अपेक्षित था। मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को चिन्हित किया गया है जिससे कि यूथ क्लबों के क्रियाकलापों को सही दिशा दी जा सके :

- चारित्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए युवाशक्ति को संगठित करना।
- युवाओं में राष्ट्रीय भावना विकसित करना ताकि वे लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बना सकें।
- दहेज प्रथा, छुआछूत और नशे के विरुद्ध युवाओं में जागरूकता लाना।
- पर्यावरण और संस्कृति के प्रति उनमें रुझान पैदा करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर खेलकूद की सुविधा मुहैया कराना।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- ग्रामीण स्तर पर युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

योग्यता

मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ वैसे यूथ क्लब उठा सकते हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत या संबंधित राज्य के अन्य दूसरे एक्ट के तहत निबंधित हों। निबंधन की तारीख से दो वर्ष के भीतर ही यूथ क्लब को वित्तीय सहायता हेतु मंत्रालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

वित्तीय सहायता

मंत्रालय प्रत्येक क्लब को पांच हजार रुपये की सहायता राशि निर्गत करता है जिसमें से ढाई हजार रुपये किराए, समाचार–पत्रों को खरीदने, कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिए जाते हैं, शेष ढाई हजार रुपये खेलकूद का सामान खरीदने, कुर्सी–टेबल ,खरीदने तथा अन्य जरूरतों के लिए दिए जाते हैं।

प्रक्रिया

मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य यूथ क्लब को अपना आवेदन जिले के नेहरू युवा केंद्र के युवा संयोजक के पास जमा कराना होता है। अगर किसी जिले में नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय नहीं है तब यह आवेदन दूसरे जिले के केंद्र में जमा कराना होगा जिसे यूथ क्लब युवा संयोजक नेहरू युवा केंद्र संगठन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ईस्ट प्लाजा, नई दिल्ली–110002 को भेज देता है।

इसके अलावा राज्य/संघशासित सरकारें भी यूथ क्लब को बढ़ावा दे सकती हैं और उनके प्रस्ताव को अनुशंसित कर युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 को भेज सकती हैं।

प्रशिक्षण

देशभर के युवाओं के लिए, जिनकी उम्र 15–35 वर्ष के बीच है, के कल्याण के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सारी योजनाएं वित्त मंत्रालय के शून्य आधारित बजट के दिशा–निर्देशों के अनुरूप चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत निम्नलिखत कार्यों को चिन्हित किया गया है :

- युवाओं के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- युवाओं को प्रशिक्षण देना।
- युवाओं के लिए प्रदर्शनी।
- जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम।

ये योजनाएं जहां युवाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ती हैं वहां युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी व्यवस्था कराती हैं। युवा कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है –

क – व्यावसायिक प्रशिक्षण;
ख – उद्यम विकास;
ग – प्रदर्शनी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना जिससे कि वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने क्षेत्र के विकास हेतु कर सकें।
- ग्रामीण युवाओं विशेषकर गैर विद्यार्थियों के रुझान को रचनात्मक कार्यों की तरफ विकसित करना।
- ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन को रोकना।
- ग्रामीण युवाओं में नई तकनीक विकसित करना ताकि गांव आत्मनिर्भर बन सकें।
- युवाओं को अपना प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु प्रोत्साहित करना।

उद्यम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य

- युवाओं में उद्यम विकास कार्यक्रम की समझ को विकसित करना।
- युवाओं में उद्यम विकास कार्यक्रम के लिए

साधन मुहैया कराना।

- बेरोजगार युवाओं में प्रबंधकीय कौशल विकसित कराना।

योग्यता

ऐसे युवा जिनकी उम्र 15–35 वर्ष के बीच है इन योजनाओं के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा ये निम्न सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं :

- राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र
- मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान
- नेहरू युवा केंद्र
- भारत स्काउट्स एंड गाइड
- पंचायती राज संस्थान
- गैर सरकारी संगठन, जिनका निबंधन तीन वर्ष पुराना हो और उनके पास समस्त जरूरी दस्तावेज हों।

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम और उद्यम विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठयक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.	सिलाई/कढ़ाई/चित्रकला/प्रिंटिंग/बुटिक	6 महीने
2.	लकड़ी/बांस निर्मित शिल्प	6 महीने
3.	दरी बुनाई/(खादी, जूट)	6 महीने
4.	रेडियो और टेलीविजन मरम्मत	6 महीने
5.	स्कूटर/मोटरसाइकिल मरम्मत	6 महीने
6.	साइकिल मरम्मत	2 महीने
7.	कम्प्यूटर	6 महीने
8.	स्टील फर्नीचर निर्माण	6 महीने
9.	स्क्रीन प्रिंटिंग	3 महीने
10.	फोटोग्राफी	3 महीने
11.	रस्सी बुनना	2 महीने
12.	खाद्य प्रसंस्करण	3 महीने
13.	जूता/चप्पल/चमड़े का सामान बनाना	6 महीने
14.	कुर्सी बुनाई	2 महीने
15.	घड़ी मरम्मत	3 महीने

योग्यता

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य और इच्छुक संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भरकर उल्लेखित किसी भी कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण से अनुशंसित कर मंत्रालय में जमा करा सकती हैं।

- गैर सरकारी संगठनों के लिए – राज्य सरकार। संघशासित क्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, नेहरू युवा केंद्र। अखिल भारतीय स्वैच्छिक संस्थाएं, जिनका कि कार्यक्षेत्र चार राज्यों में हो, के लिए किसी भी प्रकार की अनुशंसा की जरूरत नहीं है। इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित दस्तावेज ब्योरेवार प्रस्तुत करना होगा ताकि इस बात की पुष्टि हो सके।
- शिक्षण संस्थानों के लिए – राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट।
- नेहरू युवा केंद्र के लिए – नेहरू युवा केंद्र संगठन।
- भारत स्काउट्स एंड गाइड के लिए – राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए – राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट।

वित्तीय सहायता

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता

- गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – एक बैच में अधिकतम तीस प्रशिक्षुओं के लिए।

1. प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमाह 300 रुपये भत्ता।
2. प्रशिक्षक को 3500 रुपये मानदेय।
3. ट्रेनिंग के लिए कच्ची सामग्री हेतु – प्रति प्रशिक्षु पर 300 रुपये।

- आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – एक बैच में अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं हेतु।

1. रहने–खाने के लिए प्रति व्यक्ति पर 50 रुपये प्रतिदिन देय।
2. प्रशिक्षक (20 प्रशिक्षु पर एक) को 3500 रुपये मानदेय।
3. प्रशिक्षण के लिए कच्ची सामग्री हेतु प्रति प्रशिक्षु 300 रुपये।

आवासीय प्रशिक्षण की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जब प्रशिक्षण केंद्र उस क्षेत्र से 50 कि.मी. दूर हो जहां से युवाओं को इसके लिए चयनित किया जाता है।

उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए

प्रत्येक कार्यक्रम, जिसकी अवधि एक से तीन महीने के लिए अधिकतम 50 युवाओं के लिए होती है:–

- प्रत्येक प्रशिक्षु हेतु 300 रुपये भत्ता या रहने–खाने के लिए प्रत्येक को प्रतिदिन 50 रुपये देय।
- प्रशिक्षक (20 प्रशिक्षु पर एक) को 3500 रुपये मानदेय।
- यात्रा भत्ता

प्रदर्शनी कार्यक्रम हेतु

- रहने–खाने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये प्रतिदिन देय।
- यात्रा भत्ता।
- कच्ची सामग्री अधिकतम 20,000 रुपये तक (न्यूनतम 100 युवाओं के लिए)

इन सभी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कुल लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत तक मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है, शेष राशि का प्रबंध संबंधित गैर सरकारी संगठन या अन्य दूसरी संस्थाओं को करना होता है। अगर ये कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन, या राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं तब वित्तीय सहायता 100 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है।

ये सभी प्रस्ताव 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मंत्रालय द्वारा गठित एक कमेटी के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं हालांकि कमेटी द्वारा सभी प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है। इस मामले में अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी का देय होता है।

योजना की स्वीकृति पर राशि दो किश्तों में जारी की जाती है। पहली किश्त, कुल राशि का 75 प्रतिशत पहले जारी की जाती है तथा शेष राशि स्वीकृत योजना के पूर्ण होने पर तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र व निर्गत राशि के अंकेक्षण के बाद ही जारी की जाती है। साथ ही इस दस्तावेज में जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा भी होगी जिसमें उनके द्वारा कार्यक्रम स्थल का दौरा व लाभार्थियों के नाम शामिल रहते हैं।

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत चेक राशि या डिमांड ड्राफ्ट डाक द्वारा संबंधित संस्था के नाम से सीधे भेज दी जाती है। ❑

188, इंद्रा विहार
दिल्ली–110009

अंधेरे को जीतने का हुनर है हममें

☞ प्रशांत कानस्कर

छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए की गई लोकेश्वरी की पहल ने ग्राम्य जनजीवन में बदलाव के मंसूबे को नया आयाम दिया है। समाज के दबे-कुचले और थके मन के लिए वह आशा की किरण बनकर आई। घने बीहड़ में बसे आदिवासी गांव देवपांडुम की आज जो बदली हुई खुशहाल तस्वीर है, उसमें लोकेश्वरी के प्रयत्नों का अक्स समाया हुआ है।

अंधेरे को जीतने का हुनर है हममें। देखने की चाहत है जिन्हें, कलेजा हथेली पर निकालकर रखना। महिला सरपंच लोकेश्वरी के जीवन का यही जज़्बा रहा। जीवन में जो ठाना, वही किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए की गई लोकेश्वरी की पहल ने ग्राम्य जनजीवन में बदलाव के मंसूबे को नया आयाम दिया है। समाज के दबे–कुचले और थके मन के लिए वह आशा की किरण बनकर आई। इसलिए ग्रामीण समाज में वह बहुतों के बीच 'आशा दीदी' के नाम से लोकप्रिय है। घने बीहड़ में बसे आदिवासी गांव देवपांडुम की आज जो बदली हुई खुशहाल तस्वीर है, उसमें लोकश्वरी के प्रयत्नों का अक्स समाया हुआ है।

घने जंगलों के बीच बीहड़ में बसे इस गांव से मुख्य शहर तक पहुंचने में जहां दो दिन लगते थे वहां अब लोकेश्वरी व ग्रामीण महिलाओं की चहलकदमी से पक्की सड़क बन गई है! किस तरह गांव और शहर के बीच संपर्क और संवाद का द्वार खुलने से विकास और बदलाव की परिभाषा को यहां नए अर्थ मिले हैं। बिजलीविहीन इस गांव में साक्षरता की रोशनी फैलने से किस तरह घर–घर में अक्षरों के दीप अब नए संकल्पों के साथ पूरी मुस्तैदी से प्रज्जवलित हैं। राष्ट्रीय साक्षरता संसाधन केंद्र मसूरी के आमंत्रण पर दीदी बैंक देवपांडुम की अध्यक्ष फूलकुंवर और सचिव तुलसा ने दिल्ली आकर गांव की सुविधा, व्यवस्था के साथ अभाव व दिक्कतों की जानकारी राष्ट्रपति जी को दी थी तब राष्ट्रपति जी ने उनकी पीठ ठोककर उत्साह का संचार करते हुए यह नारा दिया था कि "बढ़ना है आगे तो पढ़लिखकर जागो"।

गतिशील सरपंच लोकेश्वरी अपने नाम की माया के अनुरूप ग्रामीण समाज के लोकबोध हेतु जुटी रहीं लेकिन थकी नहीं, हारी नहीं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ डटी रहीं। अब से 15 साल पहले के आदिवासी गांव देवपांडुम और अब के देवपांडुम में जमीन–आसमान का फर्क है। उसने साबित किया कि पंचायती राज में यदि महिला नेतृत्व को समान अवसर मिलें तो वह भी गांव के विकास के सपनों को नए रंग देकर यथार्थ की जमीन पर इंद्रधनुषी और मोहक मेहंदी की तरह गहरे चटखदार बना सकती है। कुशल गृहिणी की तरह फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते के समान अपने घर परिवार, समाज और द्वार–द्वार को किसी आकर्षण रंगोली–सा सजा सकती है। सरपंच लोकेश्वरी 'एकला चलो रे' की तर्ज पर निकल पड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि 'लोग जुटते गए और कारवां बनता गया'। लोकेश्वरी ने अपने पंचायत क्षेत्र के लिए कई ऐसी योजनाएं प्रशासन से स्वीकृत कराईं जिनसे गांव की दशा और दिशा बदली जैसे– तालाब के पाट, सांस्कृतिक मंच, भवन का निर्माण एवं अन्य।

पहले देवपांडुम के ग्रामीण साहूकारों और महाजनों के चक्कर में उलझे हुए थे। पीठ पर लदे पत्थर की तरह कर्ज के बोझ से वे लदे हुए थे। इस उलझन की मजबूत जंजीर को सरपंच लोकेश्वरी ने अपनी साधना से तोड़ा।

आज इस गांव में महिलाओं का अपना स्वयंसहायता आर्थिक समूह है। नाम है– नवसाक्षर महिला दीदी बैंक। यह बैंक महिलाओं की उम्मीदों, उनके उत्साह, उनकी अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है। प्रतिमाह 10 रुपये सामूहिक बचत से अंशदान करने वाली, इस बैंक की कुल 17 सदस्य हैं। सन् 96 में प्रारंभ इस बैंक की जमापूंजी अब 6 हजार के आसपास है। बैंक का खाता दल्ली राजहरा के यूको बैंक में है। चाहे धान भिंजाई का मामला हो या बेटी की शादी के लिए उधार चाहिए या फिर खेती के लिए बीज खरीदना हो या बीमार बैलों के इलाज के लिए दवा खरीदनी हो। इस दीदी बैंक की सेवाएं सभी जरूरतमंदों के लिए हैं। यदि बैंक न होता तो गांव की महिलाएं दोना–पत्तल, चटाई, टोकना, सुपा, बांसशिल्प और मुरूक, पापड़, अचार जैसे स्वरोजगार से क्या जुड़ पातीं? यदि बैंक उधार न देता तो महिलाएं धनिया, सागभाजी सामूहिक खेती जैसे रोजगार से कैसे जुड़ पातीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फूलकुंवर, तुलसा ही नहीं गांव की हर महिला की मुट्ठी में अब आत्मविश्वास का दीप अपने अंदाज में रोशन है। गांव में किसी आंधी की तरह अक्षर ज्ञान का जो गतिमान पहिया

चलता तो गांव की हर महिला की धड़कन में अक्षर–अक्षर का आगाज टिमटिमाती चांदनी की तरह स्पंदित हुआ।

समाज के हाशिए पर खड़ी देवपांडुम की महिलाएं अपना आंगन, चौका–बर्तन, घूंघट प्रथा से हटकर घर की दहलीज लांघकर पुरुष प्रधान समाज में आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पंचायती राज की व्यवस्था में सरकार ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सुविधा दी उससे गांवों में राजकाज चलाने के जागरूक महिलाओं के मंसूबे को बल मिला। लोकेश्वरी का रहन–सहन, उसकी शिक्षा, उसका रंग–ढंग, आचार–विचार, उसके तेवर, बातचीत का अंदाज, जुझारू प्रवृत्ति को देखकर पंचायत चुनाव में ग्रामीणों ने उसे दुर्ग अर्जुदा गांव का सरपंच पद नवाजा। ग्रामीणों की मदद से अपने ही गांव की डेढ़ सौ से अधिक दबी–कुचली पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को उसने शिक्षा के लिए गोद लेकर न केवल उनके शिक्षा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि आसपास के आदिवासी गांवों की बेहतरी हेतु बदलाव लाने का संकल्प लिया। बाधाएं तो कई आईं लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य सामने था इसलिए वह विचलित नहीं हुई।

सरपंच लोकेश्वरी की पहल पर आदिवासी गांव देवपाण्डुम में चल रहे चटाई निर्माण उद्योग की एक झलक

आज इस गांव में दीदी बैंक है, ट्यूबवैल है, प्राथमिकशाला, जनविकास केंद्र है, पक्की सड़कें हैं। सामूहिक खेती के बलशाली इरादे हैं, फौलादी शैक्षणिक जाग्रति है, आर्थिक बचत की मादक प्रवृत्ति है। मिलजुल कर सामाजिक निर्णय लेने एवं यथार्थ में बदलने की जी–जान से जुटने की सम्मोहक क्षमता है।

देवपांडुम की तस्वीर आज छत्तीसगढ़ के विशाल नक्शे में किसी प्रेरणास्पद आदर्श गांव की तरह नजर आती है। अब से कुछ बरस पहले इस गांव में अज्ञानता का अंधेरा था, तब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की दस्तक पर प्रदेश में चले अभियान के दौरान सरपंच लोकेश्वरी ने आदिवासी क्षेत्रों की चार पंचायतों के लिए बनी साक्षरता समिति के प्रभारी ग्राम पंचायत के सहायक शिक्षक हेमंत कांडे को अक्षर चेतना के लिए गांव को गोद लेने के लिए प्रेरित किया। उसी के परिणाम–स्वरूप अब यहां हर घर, हर परिवार का बच्चा गांव के नए प्राथमिक स्कूल में जाता है। मिडिल की पढ़ाई के लिए बच्चे ककरेल और हायर सेकेंडरी के लिए ग्राम कुसुमकसा जाते हैं।

वर्ष 96 में की गई पहल पर गांव में पहला ट्यूबवेल खुदा। बोरिंग मशीन हेतु ट्रक गांव आ सके इसके लिए महिलाओं ने पांच सौ मीटर घना जंगल काटकर सड़क भी बनाई। पेड़ काटने और कच्ची सड़क बनाने में मदद की महिलाओं के पतियों और जवान बच्चों ने। एक समग्र बेहतर साफ–सुथरा सम्मान–जनक जीवन जीने के महिलाओं के सफर की शुरुआत यहीं से हुई।

आज पीपरखार में मत्स्यपालन, कोड़ेकसा में ईंट भट्ठा उद्योग, डूटाभारदी में बांस आधारित उद्योग आदिवासी महिलाओं द्वारा ही संचालित हैं। देखादेखी रेहची में मनिहारी का साझा व्यवसाय, गब्दी में सामूहिक खेती, ग्राम सांकरी में डेकोरेशन से जुड़ा किराया भंडार और ग्राम डौकीडीह में साझा बिजली आटा–चक्की कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं द्वारा शुरू की गई। महिला सरपंच लोकेश्वरी ने जो जुझारू प्रभावी पहल की, उसे देखकर पिछड़े एवं कमजोर वर्ग से संबद्ध ग्रामीण महिलाओं ने खुद को आर्थिक घटक से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता एवं खुशहाली का सच्चा और खरा रास्ता अपनाया है। महिलाएं पुरातन घूंघट परंपरा तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि सारे बंधन तोड़ते हुए उन्होंने प्रगतिशीलता को अपने व्यक्तित्व का प्रमुख आधार बनाया है।

सरपंच लोकेश्वरी ने महिलाओं में आत्मसम्मान से जीने का जज्बा पैदाकर जिस नारे से छत्तीसगढ़ में जोरदार बिगुल फूंका है वह है "हमसे है हिम्मत, हमसे है ताकत, हम हैं आधी दुनिया"। ❑

एम.आई.जी.–1/238,
हुडको सेक्टर, भिलाईनगर,
दुर्ग, छत्तीसगढ़–490009

महिला स्वयंसहायता समूहों की कारगर भूमिका

भरतपुर जिले के संदर्भ में

☞ सुबोध अग्रवाल

भारतीय समाज में अब तक यह माना जाता था कि महिलाएं सामूहिक रूप से कोई स्वरोजगार का कार्य नहीं कर सकतीं किंतु महिला स्वयंसहायता समूहों की सदस्याएं इस परंपरा को तोड़ते हुए समूह के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने ऐसे कार्य भी शुरू किए हैं जो अब तक पुरूषों के एकाधिकार के कार्य माने जाते थे। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्री का भी स्थानीय स्तर पर विपणन किया जा रहा है।

गुलपाडा गांव की मीना की परिवार में पहले के मुकाबले अब आवभगत बढ़ने लगी है क्योंकि वह महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य बनकर सामूहिक रूप से तुलसी की माला बनाकर प्रतिदिन 40 से 50 रुपये कमा रही है। अन्यथा अब तक उसका पूरा समय घरेलू कामकाज में ही बीत जाता था। घरेलू कामकाज को आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं किए जाने से उसको परिवार में अन्य घरेलू महिलाओं की तरह ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसके अलावा वह अब घरेलू या अन्य जरूरतों के लिए भी आसानी से ऋण लेकर किश्तों में उसको चुकता कर देती है। स्वयंसहायता समूह के माध्यम से मीना को होने वाली अतिरिक्त आय से सर्वप्रथम उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया है।

भरतपुर जिले में मीना जैसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो महिला स्वयंसहायता समूहों की सदस्य बनकर सामूहिक स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने ऐसे कार्य भी शुरू किए हैं जो अब तक पुरुषों के एकाधिकार के कार्य माने जाते थे जिनमें आटाचक्की, वेल्डिंग का कार्य, चांदी की चेन निर्माण के अलावा जूतियों पर कशीदाकारी, स्पोर्टस फुटबाल की सिलाई, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, झाड़ू व छबड़ा बनाने, लाख की चूड़ियों पर नगीना लगाने, दरी बनाने, चूड़ी विक्रय, डेयरी संचालक जैसे कार्य शामिल हैं।

तेजी से पनपती सामूहिक स्वरोजगार की भावना

भारतीय समाज में अब तक यह माना जाता था कि महिलाएं सामूहिक रूप से कोई स्वरोजगार का कार्य नहीं कर सकतीं किंतु महिला स्वयंसहायता समूहों की सदस्याएं इस परंपरा को तोड़ते हुए समूह के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्री का भी स्थानीय स्तर पर विपणन किया जा रहा है यद्यपि इस संबंध में इनका सहकारी संघ बनाने पर विचार किया जा रहा है। नगर के बेरूं गांव के महिला स्वयंसहायता

समूह की सदस्य रेखा, कांता, मिथलेश, भाग्यवती सहित 14 महिला सदस्यों ने अपनी सुविधानुसार कार्य एवं समय का विभाजन कर लिया है। ये महिलाएं स्थानीय स्तर से झाड़ू बनाने के काम आने वाली सामग्री खरीदकर झाड़ू निर्माण के बाद गांव के आसपास के क्षेत्र में बेच देती हैं और इस कार्य में होने वाले मुनाफे को बांट लेती हैं।

भरतपुर शहर के धीमर मोहल्ला के महिला स्वयंसहायता समूहों की 8 महिलाओं ने सामूहिक रूप से चॉकलेट बनाने का काम शुरू किया। इस कार्य में होने वाली बचत को देखकर अन्य महिलाएं भी जुड़ गईं। अब यह समूह चॉकलेट बनाने के साथ–साथ बीड़ी बनाने का कार्य कर रहा है। इस समूह ने प्रारंभ में अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक से एक लाख 12 हजार रुपये का ऋण लिया जिसमें से कुछ ऋण सदस्यों को दिया बाकी कच्चा माल खरीदने पर व्यय कर दिया। बैंक का ऋण मात्र एक वर्ष में चुकता करने के बाद इस समूह के पास बैंक में 35 हजार रुपये की बचतराशि मौजूद है। यही स्थिति वैर तहसील के नगला धाकड में महिला स्वयंसहायता समूह की है जिसके पास करीब 38 हजार रुपये की बचतराशि मौजूद है। यह समूह चांदी की चेन की झालाई का कार्य करता है।

स्वरोजगार में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका

भरतपुर जिले में बनाए गए 2 हजार 316 स्वयंसहायता समूहों में से 406 समूह तो गरीबी–रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हैं शेष समूह गरीबी–रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वालों के हैं। इन समूहों के निर्माण में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अलावा स्वयंसेवी संगठन लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, बाफ्ड, एकॉर्ड आदि का सहयोग रहा है।

इन समूहों के संचालन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में बनाए गए समूहों में से 640 महत्वपूर्ण स्वयंसहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा चुका है, शेष को जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। विभिन्न बैंकों की शाखाओं ने 1,796 स्वयंसहायता समूहों को 3 करोड़ 99 लाख 75 हजार रुपये का ऋण मुहैया कराया है। अकेले अलवर–भरतपुर आंचलिक ग्रामीण विकास बैंक ने 818 स्वयंसहायता समूहों को 2 करोड़ 54 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करा उल्लेखनीय कार्य किया है।

बैंकों का भी मानना है कि महिलाओं को दिया गया ऋण अधिक सुरक्षित होता है और समय पर वापिस मिलता है। क्योंकि गत वर्षों के दौरान जिन महिलाओं अथवा महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण दिया गया था, उसकी करीब 99 प्रतिशत वसूली हो चुकी है।

स्वयंसहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण में बैंकों के अलावा राष्ट्रीय महिला कोष का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था ने स्वयंसहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने में सहायता करने के साथ–साथ राष्ट्रीय महिला कोष से 2 करोड़ एक लाख 34 हजार रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया। इस संस्था ने महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को उनकी स्वरोजगार की रुचि के आधार पर प्रशिक्षण भी दिया। इस संस्था द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली भी शत–प्रतिशत बताई गई है। इनमें से रामवती नाम की महिला तो वैल्डिंग जैसा कार्य कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान

महिला स्वयंसहायता समूह न केवल आर्थिक समृद्धि में सहायक बने हैं बल्कि इनके माध्यम से परिवार कल्याण, साक्षरता, बालविवाह, अल्पबचत, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी योगदान मिला है। पेंडका गांव में लुपिन महिला स्वयंसहायता समूह की महिलाओं ने एक नाबालिग बालिका की होने जा रही शादी को पुलिस के सहयोग से रुकवाने में मदद की जबकि बीरमपुरा गांव में शराबबंदी को समाप्त कराने में उल्लेखनीय योगदान किया।

अधिकांशतः यह देखा गया है कि अपने आसपास या समाज की महिला कोई बात कहती है तो उसका प्रभाव बाहरी महिला के मुकाबले अधिक रहा है साथ ही उसके परिणाम भी अधिक कारगर रहते हैं। स्वयंसहायता समूह की बैठकों में जब परिवार कल्याण, साक्षरता जैसे मुद्दों पर बात की जाती तो सदस्य महिलाओं को यह आसानी से समझ आ जाती है और इस पर अमल भी किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महिला स्वयंसहायता समूहों को शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार वैर तहसील के बल्लभगढ़ गांव में महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने सामूहिक निर्णय लिया कि उनके समूह में कोई भी अनपढ़ सदस्य नहीं होगी। अशिक्षित महिला सदस्यों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी समूह की सदस्य लाजवंती ने संभाली तथा प्रतिदिन अपने निवास पर ऐसी महिलाओं को शिक्षित बनाने के कार्य में जुटी हैं।

बचत की भावना को प्रोत्साहन

महिला स्वयंसहायता समूहों की, विशेषकर ग्रामीण सदस्याएं जो अपनी घर–गृहस्थी का काम निपटाने के बाद खेत पर पहुंचती थीं, अब वे समय निकालकर अपने समूह की महिला सदस्यों के साथ बैठक कर भविष्य के ताने–बाने बुनकर उन्हें मूर्त रूप देने का कार्य तो कर रही हैं साथ ही छोटी–छोटी बचत कर उसे समूह के माध्यम से बैंक में जमा कराने का कार्य भी कर रही हैं। इससे बचत की भावना भी बलवती हुई है।

महिलाओं ने समूह से मिले ऋण को अपने परिवार के अन्य आकस्मिक खर्चों, उत्पादक गतिविधियों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने, पारिवारिक पुराने कर्जे चुकाने, गिरवी रखे गहनों को छुड़ाने, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने आदि पर लगाया। निश्चय ही भरतपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा परिवार में उनको आत्मसम्मान दिलाने का स्वयंसहायता समूहों का गठन उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ❑

जिला कलेक्टर,
भरतपुर

विटामिन की अधिकता हो सकती है घातक

☞ डा. दिनेश मणि

हमारे शरीर के उचित विकास में विटामिनों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जब भी शरीर को ताकत व स्फूर्ति देने की बात आती है, हमें विटामिन याद आ जाते हैं। विटामिन की गोलियां गटकने की आदत आज समाज के संपन्न वर्ग के लोगों में आम होती जा रही है।

किंतु कभी–कभी हमारे लिए वह चीज भी हानिकारक हो सकती है, जिसे हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर समझते हुए प्रयोग करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर विटामिन का प्रयोग आवश्यकता से अधिक और लंबे समय तक किया जाए, तो इससे घातक बीमारियां हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन की अधिक मात्रा के चलते कैंसर, लीवर में खराबी, अवसाद और पेट की कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। यह जानकारी फूड स्टैंडर्ड नाम की संस्था ने पिछले दिनों लंदन में अपने एक शोध के बाद दी है। इस संस्था का कहना है कि विटामिन से युक्त कई चीजें हमें फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस संस्था के अध्यक्ष सर जॉन क्रेब का कहना है कि पश्चिमी देशों की चालीस प्रतिशत महिलाएं और तीस प्रतिशत पुरुष हर रोज विटामिन की गोलियों का सेवन इस ख्याल से करते हैं कि इससे उनकी उम्र में इजाफा होगा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके वे न सिर्फ अपनी उम्र कम कर रहे हैं बल्कि साथ ही भविष्य के लिए परेशानियां भी पैदा कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए धावक और तैराक विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन की गोलियां अधिक मात्रा में लेते हैं जो उनके वजन को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। परंतु इससे संबंधित विटामिनों के अधिक सेवन से कई तरह की शारीरिक परेशानियां खड़ी होती हैं। खासकर केरोटीन, निकोटिनिक एसिड, क्रोमियम पिकोटिनेट आदि के सेवन से शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बीटा–केरोटीन की अधिक मात्रा फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकती है। निकोटिनिक एसिड की अधिक मात्रा त्वचा को प्रभावित करती है, साथ ही, उससे लीवर खराब होने का खतरा बना रहता है। जिंक का अधिक सेवन हड्डियों को कमजोर कर सकता है। मैगनस की अधिकता अवसाद, तंत्रिका भंग का कारण बन सकती है।

क्या होते हैं ये विटामिन जिन्हें आज जरा–सी भी शारीरिक कमजोरी महसूस करते ही हम याद करने लगते हैं? वैज्ञानिक इन्हें कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिकों के रूप में जानते हैं जो अनेक शारीरिक क्रियाओं तथा साधारण रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक होते हैं।

सामान्यतया ताजे, प्राकृतिक तथा संतुलित आहार से ही शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों की आपूर्ति हो जाती है और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि शरीर में इनकी कमी हो, लेकिन इसके बावजूद विशेषकर समाज के संपन्न वर्ग के लोगों में भोजन के बाद विटामिन की गोलियां गटकने की आदत आम होती जा रही है। संभवतः इसी कारण औषधि की दुकानों पर जीवन–रक्षक दवाएं चाहे न मिलें, विटामिन तथा टानिकों की कमी नहीं रहती। इसका मुख्य कारण लोगों में व्याप्त यह गलत धारणा है कि विटामिन शरीर के लिए केवल लाभप्रद ही होते हैं और इनसे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। हाल ही में हुए अनेक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में लंबी अवधि तक विटामिनों का उपयोग शरीर के लिए घातक होता है। आइए देखें कि विटामिन आधिक्य का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है।

विटामिन एः शरीर में विटामिन 'ए' की अधिकता से लोगों को थकावट, सिरदर्द, त्वचा का टूटकर उखड़ना, वजन में गिरावट, गंजापन तथा आंख की कुछ परेशानियों की शिकायत हो सकती है। जो महिलाएं नियमित रूप से अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' लेती हैं उनका मासिक स्राव अनियमित होता है। बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विटामिन 'ए' की अधिकता के कारण उनके बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा बच्चों की त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त उनके शरीर की लंबी हड्डियां फूली–फली सी होती हैं, उनके यकृत भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं करते।

विटामिन 'बी' काम्प्लेक्सः विटामिन 'बी' या थायमिन की अधिकता से मनुष्य आलसी हो जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं यदि अधिक समय तक $बी_6$ की अधिक मात्रा लेती रहें तो उनमें इतना दूध नहीं बनता कि वे अपने बच्चों को बिना ऊपर का दूध दिए पाल सकें। विटामिन $बी_{12}$ का अधिक दिनों तक अधिक मात्रा में सेवन शरीर को 'एलर्जिक' बनाता है। निकोटिनिक एसिड की अधिकता से लोगों को भूख लगने, घबराहट, डर, वमन, मितली इत्यादि की शिकायत हो जाती है। वैसे तो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फोलिक एसिड की अधिकता का शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता परंतु संश्लेषित फोलिक एसिड का अधिक दिनों तक उपयोग लोगों के पाचन–तंत्र में गड़बड़ी पैदा करता है और उन्हें चिड़चिड़ा तथा बात–बात पर उत्तेजित होने वाला बना देता है। अधिक समय तब बायोटिन का अत्यधिक उपभोग शारीरिक वृद्धि, विकास तथा प्रजनन को प्रभावित करने वाली चयापचयी (मेटाबोलिक) क्रियाओं पर घातक प्रभाव डालता है।

विटामिन 'सी': लंबी अवधि तक विटामिन 'सी' या एस्कार्बिक एसिड का उपयोग करने वाले मनुष्य पेचिश के शिकार बन सकते हैं। जल में घुलनशील होने के कारण इस विटामिन की अधिकता का हमारे गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है और वे खराब होने लगते हैं।

विटामिन 'डी': जिन बच्चों में विटामिन 'डी' की अधिकता होती है वे भूख न लगने, मिचली, वमन, अधिक प्यास लगने, कोष्ठबद्धता तथा हड्डियों के जोड़ों तथा सिर दर्द की शिकायत करते हैं, ये बच्चे धीरे–धीरे कमजोर तथा चिड़चिड़े होते जाते हैं। ऐसे बच्चे मैनिनजाइटिस जैसी भयंकर बीमारियों की चपेट में भी जल्दी आ सकते हैं।

विटामिन 'ई': इस विटामिन की अधिकता मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता तथा जल्दी थकावट का शिकार बनाती है। वे 'एलर्जी' से जल्दी प्रभावित होते हैं तथा ऐसे लोगों में रक्त के थक्के बनने की गति क्षीण हो जाती है।

विटामिन 'के': बच्चों में इसकी अधिकता उन्हें रक्ताल्पता की ओर ढकेलती है तथा वयस्कों में रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है।

फूड स्टैंडर्ड के प्रवक्ता का कहना है कि यह आवश्यक है कि हम विटामिनों पर अपनी निर्भरता कम करें। खासकर विटामिन 'बी' और विटामिन 'सी' के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। पश्चिमी देशों में विटामिन 'सी' का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। परंतु पाया यह गया है कि जो लोग विटामिन 'सी' का सेवन ज्यादा और नियमित उपयोग करते हैं, उनमें पेट से संबंधित समस्याएं अधिक होती हैं।

फूड स्टैंडर्ड की इस जानकारी को लेकर यूरोप के देशों में बहस चल रही है। कई लोगों का मानना है कि इस संस्था का यह बयान कि विटामिन के अधिक सेवन से कई बीमारियां हो सकती है, दरअसल उसकी रणनीति का हिस्सा है। कई लोग मानते हैं कि यह संस्था लोगों को डराकर सहायता लेने के लिए मजबूर करना चाहती है।

कई दवा व खाद्य कंपनियों के सलाहकार पोटर बैरी ऑटवे का कहना है कि अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं कि हर दवा या खाद्य सामग्री के पैकेट पर सेवन की मात्रा लिखी होती है। उसमें वह लिखा होता है कि किसी दवा या विटामिन का कितनी मात्रा में सेवन करना है। इसलिए यह सोचना कि लोग विटामिन का अधिक सेवन कर रहे हैं, समझ से परे है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ स्टडी के राल्फ पाइक पूछते हैं, विटामिन से मरने वाले लोग कहां हैं? जहां तक मुझे ज्ञात है अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति विटामिन की अधिकता से नहीं मरा है। यह जानकारी अविश्वसनीय है। इस तरह से लोगों को डराकर किसी चीज के बारे में सूचना देना गलत है। कुछ संस्थाएं यह नहीं चाहतीं कि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद ही सचेत रहें। वे चाहती हैं कि प्रत्येक आदमी हर चीज के लिए उनसे सलाह लेता रहे। ऐसी कड़ी आलोचना के बावजूद लगभग सारे विशेषज्ञ यह मानते हैं कि विटामिनों की अधिकता हानिकारक हो सकती है और उनका सेवन सही दिशा–निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अधिक मात्रा में विटामिनों का अधिक समय तक उपयोग निरापद नहीं है और प्रतिदिन संतुलित आहार लेते रहने वाले सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वे अपने शरीर को संश्लेषित विटामिनों से विषाक्त करें। ❑

पूर्व संपादक,
'विज्ञान' मासिक पत्रिका,
47/29, जवाहरलाल नेहरू रोड,
इलाहाबाद–211002

विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग द्वारा रिकार्ड बिक्री

विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग की स्टाल पर इस वर्ष रिकार्ड बिक्री हुई। स्वर्गीय कल्पना चावला पर सरकारी प्रकाशन से प्रकाशित पहली पुस्तक और क्लोनिंग पर हिंदी में पुस्तक भी स्टाल पर उपलब्ध थी। इस वर्ष मेले का शीर्षक 'भारत का विश्व समुदाय को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में योगदान' था। सोलहवां विश्व पुस्तक मेला 14 से 22 फरवरी 2004 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चला। मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। प्रकाशन विभाग ने मेले में भाग लेने के लिए काफी तैयारी की थी। मेले में पुस्तकों की बड़े पैमाने पर बिक्री और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे।

अलग–अलग श्रेणी के लिए अलग–अलग पुस्तक सूचियां तैयार की गई थीं। प्रकाशन विभाग की गतिविधियों और कार्य विवरण पर विशेष वीसीडी तैयार की गई और उसका मेले में प्रदर्शन किया गया। नए प्रकाशनों के डिस्पले के साथ–साथ गांधी साहित्य, महात्मा गांधी पर मल्टीमीडिया सीडी, आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला और बाल साहित्य की बिक्री के लिए भी विशेष प्रयास किए गए। विज्ञापनों, एफएम चैनलों, दूरदर्शन, समाचार–पत्रों, पैम्फलेटों और रोजगार समाचार के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप आगंतुक अधिक संख्या में प्रकाशन विभाग की स्टाल पर आए।

स्वास्थ्य सुधार की कारगर पद्धति : रस चिकित्सा

☞ जितेंद्र सिंह एवं सुभाष अरोड़ा

इक्कीसवीं सदी में पहुंचने के बावजूद आज भी देश के गांवों में स्वच्छ पानी, बिजली, पाठशाला, सड़कें, चिकित्सालय आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज देश की आत्मा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कुंठित, कुपोषित, निर्बल, दुर्बल एवं बीमार नजर आती है जोकि देश की विशाल जनसंख्या के सामने 'ऊंट के मुंह में जीरा' ही है। अब तक देश में 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 2712 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना ही हो पाई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ सरकारी सुविधाओं के भरोसे बैठना अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना ही सिद्ध होगा। अतः यहां तो सिर्फ यही लोकोक्ति कारगर सिद्ध हो सकती है कि 'आपै वैद्य आपै बनो'। इस लेख में जनसामान्य में होने वाली नाना प्रकार की बीमारियों को रस चिकित्सा द्वारा दूर करने के उपाय बताने का प्रयास किया गया है जो बहूपयोगी होने के साथ–साथ सर्वसुलभ भी है।

हैजा:– हैजा अधिकतर गर्मी के दिनों में फैलने वाली बीमारी है। यह बीमारी दूषित जल, बासी खाना खाने एवं स्वच्छता के अभाव में फैलती है। इसके उपचार के लिए बेल के रस में पुदीना, लहसुन और प्याज का रस मिलाकर गर्म पानी के साथ उपयोग करना चाहिए। इस बीमारी में नारियल के पानी का सेवन भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है।

'लू' लगना:– इस बीमारी में अधिकतर घरेलू नुस्खे ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यह बीमारी अधिकतर मई–जून के महीने में लोगों को लगती है क्योंकि इस समय उत्तर भारत में तापक्रम 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके लिए आंवले और इमली का रस, नारंगी और मौसमी का रस, खरबूजा और तरबूज का रस अलग–अलग एवं मिलाकर पीना चाहिए। इस बीमारी में चने का सूखा साग पानी में भिगोकर पूरे बदन पर मलने से काफी लाभ होता है।

उल्टी या जी मिचलाना – यह बीमारी कई कारणों से होती है। यदि अनुपयुक्त एवं अधिक खाने से इस प्रकार की गड़बड़ी हो तो एकाध दिन का उपवास कर लेना चाहिए। इसमें अनार, पपीते, नींबू, नारंगी, अनन्नास एवं टमाटर के रस का सेवन करना चाहिए।

पीलिया – यह बीमारी दूषित पानी पीने एवं साफ–सफाई के अभाव के कारण फैलती है। इस बीमारी के निदान के लिए प्रातःकाल खाली पेट एक गिलास करेले के रस का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लौकी, गाजर, बीट, ककड़ी और सेब के रस का मिश्रण बनाकर सेवन करना चाहिए। इसमें गन्ने का रस या गन्ने को चूसने से बहुत ही लाभ होता है। वसायुक्त भोजन एवं मद्यपान नहीं करना चाहिए।

पेचिश – इस बीमारी में गाढ़े मट्ठे के सेवन से लाभ मिलता है। अनार एवं जामुन के रस के सेवन से भी काफी लाभ मिलता है।

दमा – इस बीमारी में गाजर, बीट एवं पत्ता गोभी का रस मिलाकर पीना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों एवं आलू और सेब के रस को मिलाकर पीना चाहिए। इसके अलावा लहसुन और पपीते का रस भी लाभकारी होता है।

कब्ज – इस बीमारी में जितना लाभ फलों एवं साग–सब्जियों के रसों के सेवन से होता है, उतना ही लाभ उन्हें चबाकर खाने से भी होता है। इसमें उपयुक्त व्यायाम एवं श्रम करना भी आवश्यक होता है। इसमें रोगी को पालक में गाजर का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आलू, ककड़ी और सेब का रस मिलाकर पीना चाहिए। अंजीर, बेल, अमरूद और नारंगी का रस भी गुणकारी होता है।

खांसी – इस बीमारी में प्रातःकाल गर्म पानी में शहद, इसके अतिरिक्त एक गिलास गाजर के रस में एक–एक चम्मच लहसुन, प्याज और तुलसी का रस मिलाकर पीना चाहिए।

खाज – इस बीमारी में गाजर और पालक के रस के मिश्रण में पत्तेदार सब्जियों का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आलू, पपीता एवं तरबूज का रस भी गुणकारी होता है। खाज वाले हिस्से में आलू का रस रगड़ने से काफी फायदा होता है।

गठिया – इस बीमारी में शहद और नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। गर्म पानी के साथ एक–एक चम्मच लहसुन और प्याज का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। इस रोग से पीड़ित रोगी को चेरी और फनसी के रस का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। इस बीमारी में आलू का रस भी बहुत ही गुणकारी होता है।

मुंह के छाले – यह बीमारी अधिकतर पाचन क्रिया की गड़बड़ी के कारण होती है। इसके लिए कब्ज का निवारण अति आवश्यक है। इस बीमारी में चौलाई एवं पत्तागोभी के रस का सेवन करना चाहिए।

सर्दी–जुकाम – इस बीमारी में नींबू का रस निचोड़कर गरम पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त अदरक, संतरा, गाजर, मूली, लहसुन आदि के रस का भी सेवन किया जा सकता है। गर्म पानी की भाप लेना भी लाभकारी होता है।

बुखार – इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर की शक्ति के लिए सिर्फ फलों के रस का ही सेवन करना चाहिए। प्रातःकाल गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ लहसुन और प्याज के रस का सेवन लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त पत्तागोभी, लौकी, तुलसी, अनार, नारंगी और मौसमी का रस इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही आराम भी करना चाहिए।

सिरदर्द – इस बीमारी के निवारण के लिए गाजर, आंवला, सेब, अमरूद को अच्छी तरह चबा–चबाकर खाना चाहिए एवं इन फलों के रस का भी सेवन करना चाहिए। इस बीमारी में नींबू, नारंगी और पत्तेदार सब्जियों का रस बहुत लाभकारी होता है। कभी–कभी लहसुन और प्याज के रस का भी उपयोग करना चाहिए।

चर्म रोग – इस बीमारी में गाजर एवं पालक के रस का मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आलू, ककड़ी, कच्ची हल्दी, अमरूद, सेब, नारंगी एवं पपीते के रस का सेवन करना चाहिए। पपीते एवं आलू का रस रोगग्रस्त भाग में लगाना चाहिए।

पेट के कीड़े – इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच प्याज का रस मिलाकर पीने से पेट के कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। इन पेट के कीड़ों को मारने के लिए कुम्हड़े का रस भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इन सब के अतिरिक्त मेथी, पुदीने और पपीते का रस भी लाभकारी होता है।

अनिद्रा – आज के भाग–दौड़ के युग में ये बीमारी हर आयु वर्ग के लोगों में व्याप्त है। इसके निवारण के लिए सेब, अमरूद और आलू के रस का मिश्रण तथा गाजर और पालक का रस मिलाकर सेवन करने से बहुत लाभ होता है। शाम छः बजे के बाद रस का सेवन नहीं करना चाहिए।

भूख न लगना – इस बीमारी के निवारण के लिए सुबह–सुबह एक गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त करेले, गाजर और अदरक का रस लेना चाहिए एवं कब्ज का भी निवारण करना चाहिए। इसके लिए शारीरिक श्रम तथा थोड़ा व्यायाम भी आवश्यक है।

मूत्राशय की पथरी – इसके निवारण के लिए गाजर, ककड़ी, कुम्हड़ा, बीट और सेब के रस का सेवन करना चाहिए। इस बीमारी में नारियल का पानी पीने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस बीमारी से पीड़ित रोगी को पत्तेदार सब्जियों के रस का सेवन नहीं करना चाहिए।

आंख दर्द – आंखों की बीमारी में गाजर एवं विभिन्न पत्तेदार सब्जियों के रसों का सेवन करना चाहिए। शर्करा वाली चीजों के उपयोग से बचना चाहिए।

रक्ताल्पता – इस बीमारी में शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है। इसके लिए पत्तेदार सब्जियों के रस का मिश्रण, पत्तागोभी, करेला, बीट, रिजका, जरदालू तथा अंगूर के रस का सेवन करना चाहिए।

संक्रामक बीमारियां – इन बीमारियों से बचने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट पीना चाहिए। एक गिलास पानी में एक चम्मच लहसुन का रस और एक चम्मच प्याज का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाजर, मौसमी और नारंगी के रस के मिश्रण का भी सेवन किया जा सकता है।

त्वचा निखार – त्वचा के निखार के लिए टमाटर और कच्ची हल्दी के रस, बीट और सेब के रस का मिश्रण तथा अमरूद एवं पपीते के रस का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ककड़ी का रस पीने और त्वचा पर मालिश करने से निखार आता है।

उच्च रक्तचाप – इस रोग में लहसुन, तुलसी और गेहूं के जवारों के रस का सेवन करना चाहिए। गाजर, ककड़ी, पपीते, बीट और नारंगी के रस का सेवन भी लाभकारी होता है। इस बीमारी में वसा वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

कोलेस्ट्रोल वृद्धि – इस बीमारी में तुलसी, लहसुन व प्याज का रस बहुत उपयोगी होता है। वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए।

रक्त अशुद्धि – इस बीमारी में गाजर एवं पालक का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। पत्तागोभी, टमाटर, नींबू, बीट, सेब और करेले का रस भी उपयोगी होता है। एक चम्मच कच्ची हल्दी के रस का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है।

बवासीर – इस बीमारी में गाजर, आलू, अंजीर और पत्तेदार सब्जियों के रस का सेवन करना चाहिए। खूनी बवासीर के लिए प्याज का रस रामबाण का काम करता है।

गर्भावस्था – गर्भवती महिलाओं के लिए प्रजीवक ए, डी और सी लौहतत्व का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना अति आवश्यक होता है। इन स्त्रियों को गाजर, टमाटर, सेब, अंजीर, बीट, लौकी तथा पत्तेदार सब्जियों का रस अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए।

गले की तकलीफें – इनके निवारण के लिए प्रातःकाल गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर सेवन करना चहिए। अनन्नास के रस को मुंह में कुलकुलाकर पीने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त एक–एक चम्मच अदरक, लहसुन और प्याज के रस को गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। एक चम्मच कच्ची हल्दी का रस लेना भी बहुत लाभकारी होता है। ❑

(लेखक कृषि प्रसार विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।)

क्लोनिंग से जुड़े सवालों का समाधान

सीमा ओझा

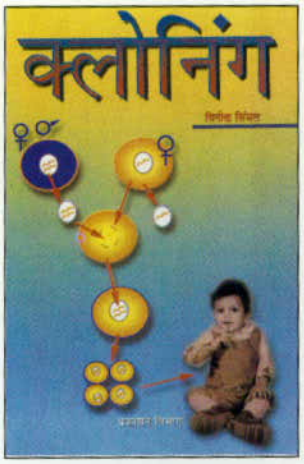

पुस्तक का नाम : क्लोनिंग; लेखिका : विनीता सिंघल; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली; मूल्य 100 रुपये; पृष्ठ सं. 84।

ज्ञानवर्धक पुस्तकें अपने समय और समाज की घटनाओं का एक अनिवार्य अंग हैं। हिंदी में साहित्यिक पुस्तकों का तो विशाल भंडार है लेकिन विज्ञान संबंधी विषयों पर गिनी–चुनी पुस्तकें ही हैं। जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें से भी अधिकतर अनुवादित हैं। हालांकि विज्ञान जैसे विषय पर पुस्तक लिखते हुए तकनीकी शब्दों का हिंदी में ही अनुवाद करना पड़ता है किंतु मूल रूप से हिंदी में लिखी पुस्तक और अनुवादित पुस्तक में एक सबसे बड़ा अंतर जो स्पष्ट रूप से दिखता है, वो है भाषा की सरलता एवं सहजता का। अनुवादित पुस्तक में अधिकतर अनुवादक भाषा का तो अच्छा ज्ञाता होता है किंतु विषय का नहीं। इसीलिए उसमें अधिकतर कुछ खामियां रह जाने की संभावना बनी रहती है। इस दृष्टि से 'क्लोनिंग' विज्ञान में लिखी एक मूल पुस्तक है जो विज्ञान विषय की ही लेखिका विनीता सिंघल ने लिखी है। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है।

जानकारियों से लबरेज इस पुस्तक की भाषा सरल एवं सहज है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने क्लोनिंग की तकनीक से लेकर इसके विविध वैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्षों को सरल भाषा में चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक विषय पर सरल भाषा में पुस्तक के आकार में हिंदी पाठकों के लिए जानकारी उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है। इससे हिंदी भाषा में विज्ञान लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता है।

साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सिमोल नेशनल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने क्लोनिंग पद्धति से मानव भ्रूण बना लेने में सफलता प्राप्त की है। आखिर क्या है यह 'क्लोन'। क्लोन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाखा या टहनी। आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार क्लोन का अर्थ है "लैंगिक तौर पर उत्पन्न पूर्वज द्वारा अलैंगिक विधि से प्रजनित संतान"। क्लोन का अर्थ है मूल की प्रतिकृति बनाना।

किंतु किसी जीव की प्रतिकृति बनाने का यह तरीका उस तरीके से बिल्कुल भिन्न है जो प्रकृति ने जीवों के लिए निर्धारित किया है। इस विधि में किसी पादप या पशु के शरीर के किसी भाग की एक कोशिका से जीव की उत्पत्ति होती है। पुस्तक में क्लोनिंग की उपादेयता वाले अध्याय में पार्किंसन, अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में बताया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति की कोशिकाओं से क्लोनिंग विधि से जो भ्रूण बनाए जाएंगे उनसे ऐसी कोशिकाएं प्राप्त होंगी जो अपने आप विकसित होंगी और इन्हें बीमार व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने पर उसका शरीर प्रतिरोध नहीं कर सकता।

वैसे डाली के जन्म के साथ ही विरोध के कई स्वर लहराने लगे थे और प्रारंभ हो गई थी एक बहस। क्लोनिंग में शोध और सफलता के पश्चात नैतिकता के सवाल उठने लगे हैं। क्लोनिंग कोई नया शब्द नहीं है। सर्वप्रथम वर्ष 1952 में क्लोनिंग का जिक्र आते ही कई नैतिक प्रश्न सामने आने लगे थे।

पुस्तक में लेखिका ने भारत की पौराणिक कथाओं के ऐसे प्रसंग डाले हैं जो क्लोनिंग की प्रारंभिक कथा कहते हैं। महाभारत में कौरव, पुराणों में विष्णु के कान के मैल से मधु–कैटम, कुश का भी क्लोन ही बना था। डाली से लेकर ईव तक एक क्लोन पैदा करता है एक खोज। इसी क्लोन की प्रारंभिक कथा को लेखिका ने जनन प्रक्रिया से क्लोन प्रक्रिया तक को रंगीन चित्रों व रेखाचित्रों के माध्यम से दर्शाया है।

कुल मिलाकर यह पुस्तक इस अद्भुत खोज का सरल भाषा में आद्योपांत वर्णन करती क्लोनिंग से जुड़े सभी तथ्यों पर प्रकाश डालती है। ❑

समीक्षा हेतु पुस्तकें आमंत्रित

कुरुक्षेत्र पत्रिका के पुस्तक चर्चा स्तंभ के लिए साहित्यिक प्रकाशन – कहानी, कविताओं सहित ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रकाशित नई पुस्तकें/कृतियां समीक्षा के लिए आमंत्रित हैं। कृपया पुस्तकों की दो प्रतियां भेजें। पुस्तकों की प्राप्ति सूचना प्रकाशित की जाएगी।

नकली उत्पादों की रोकथाम के लिए कार्यदल

उपभोक्ता मंत्रालय ने जाली, नकली, जहरीले और अवैध उत्पादों की समस्या पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिशों के आधार पर विचार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया है। खाद्यसुरक्षा, भ्रामक विज्ञापन, दवाइयों, भेषज और चिकित्सा के तौर–तरीकों, उपभोक्ता स्वास्थ्य और तंबाकू उत्पादों संबंधी सुरक्षा जैसे उपभोक्ता कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करने के लिए भी कार्यदल गठित किए गए हैं। उपभोक्ता हितों से संबंधित वर्तमान कानूनों का संशोधन करने या नए कानून बनाने के लिए भी एक दल गठित किया गया है। आशा है कि इन कार्यदलों की सिफारिशों से उपभोक्ता हित के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। नकली, जाली, जहरीले और अवैध उत्पादों संबंधी कार्यदल में न केवल संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं बल्कि भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोचेम, फिक्की और सुप्रसिद्ध गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नकली और विषैले उत्पादों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने पहले ही कई उपाय किए हैं। वर्ष 2003 में भारतीय मानक संस्थान की मोहर के दुरुपयोग के 114 मामले दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष 2001–02 में 36 मामले दर्ज हुए थे। भारतीय मानक कार्यालय ने भी आईएसआई चिन्ह के दुरुपयोग के लिए 124 फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध तलाशी और कब्जे के छापे मारे।

देश अनाज के रिकार्ड उत्पादन की ओर

वर्ष 2003–04 के लिए अनाज के कुल उत्पादन का अनुमान 21.22 करोड़ टन लगाया गया है जो एक रिकार्ड है। यह मात्रा वर्ष 2001–02 के 21.20 करोड़ टन के पिछले रिकार्ड से कुछ ज्यादा है। वर्ष 2002–03 की तुलना में अनाज उत्पादन लगभग 22 प्रतिशत अधिक है।

चावल का उत्पादन 8.794 करोड़ टन है, जो पिछले साल के उत्पादन स्तर से 21 प्रतिशत ज्यादा है। गेहूं का कुल उत्पादन 7.637 करोड़ टन आंका गया है जो पिछले साल के उत्पादन से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। दरअसल यह उत्पादन वर्ष 1999–2000 के 7.636 करोड़ टन के बराबर ही है। जहां तक मोटे अनाज का सवाल है, 2003–04 का 3.372 करोड़ टन उत्पादन, पिछले वर्ष के उत्पादन से 33.3 प्रतिशत अधिक है और यह वर्ष 2001–02 के 3.394 करोड़ टन के उत्पादन के लगभग बराबर है। दलहन का उत्पादन 1.442 करोड़ टन आंका गया है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से लगभग 30 प्रतिशत अधिक और 1998–99 के 1.491 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर के करीब है।

वाणिज्यिक फसलों के मामलों में तिलहनों का कुल उत्पादन 2.498 करोड़ टन आंका गया है, जो एक रिकार्ड है और यह 1998–99 के 2.475 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर से कुछ ही अधिक है। तिलहनों का यह उत्पादन पिछले साल के उत्पादन से 99.2 लाख टन या 66 प्रतिशत अधिक है। सोयाबीन का उत्पादन 76.1 लाख टन आंका गया है। अन्य वाणिज्यिक फसलों के मामले में, कपास और पटसन का उत्पादन 170 कि.ग्रा. वाली 1.239 करोड़ गांठें और 180 कि.ग्रा. वाली 1.079 करोड़ गांठें आंका गया है, जबकि वर्ष 2002–03 के लिए यह आंकड़े क्रमशः 87.2 लाख और 1.034 करोड़ गांठ था। गन्ने का अनुमानित उत्पादन 25.546 करोड़ टन है जो पिछले साल के मुकाबले 2.612 करोड़ टन या 9.3 प्रतिशत कम है।

राज्य अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करें

खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने राज्यों से अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया तथा विशिष्ट राशनकार्ड जारी करने के कार्य में तेजी लाने को कहा है। केंद्र इन परिवारों को जारी राशनकार्डों की संख्या के आधार पर अनाज का आबंटन करता है। अत्यंत गरीब परिवारों के फायदे के लिए यह स्कीम दिसंबर, 2000 में शुरू की गई थी। स्कीम के तहत राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की जानी थी ताकि इन्हें अत्यंत सस्ती दरों पर यानी 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल उपलब्ध कराया जा सके। शुरू में प्रत्येक परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता था जिसे अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 कि.ग्रा. प्रतिमाह कर दिया गया है। स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे के और 50 लाख परिवार जोड़े गए हैं। इन परिवारों में विधवा महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति जिनके पास जीवनयापन की कोई सुनिश्चित आय नहीं है, और आदिम जनजातियों के परिवार शामिल हैं।

जहां तक विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना को लागू करने का संबंध है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आदि सहित 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गरीब परिवारों की पहचान तथा इन्हें विशिष्ट राशनकार्ड जारी करने का काम पूरा हो चुका है। स्कीम का और विस्तार किया गया है ताकि इसमें दो करोड़ परिवारों को शामिल किया जा सके।

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi

श्री उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : सहायक संपादक : ललिता खुराना